लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

[तेरहवां सत्र]

Thirteenth Session

[खंड 49 में अंक 21 से 30 तक हैं]
Vol. XLIX contains Nos. 21 to 30

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 21—गुरुवार, 2 दिसम्बर, 1965/11 अग्रहायण, 1887 (शक)

No. 21—Thursday, December 2, 1965/Agrahayana 11, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
596	औद्योगिक विकास	Industrial Growth . . .	1892-93
597	शरावती परियोजना	Sharavathi Project . . .	1894-97
598	भारतीय चिकित्सा परिषद्	Medical Council of India . .	1897-99
600	युद्ध में मारे गये जवानों के परिवारों के लिये दिल्ली में प्लाट	Plots in Delhi for Families of Jawans killed in Action . .	1899-1902
601	उठाऊ सिंचाई के लिए पम्प	Pumps for Lift Irrigation . .	1902-06
602	विदेशी सहायता का उपयोग	Utilization of Foreign Aid .	1906-08
603	बर्ड-हैलगर्स समवाय समूह के शेयर	Shares of Bird Heilgers Group of Companies	1908-09
604	समय से पूर्व सेवानिवृत्त होने की योजना	Scheme of Early Retirement .	1909-10

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
595	घाटे की वित्त व्यवस्था के सम्बध में विश्व बैंक का सुझाव	World Bank suggestions regarding deficit financing . . .	1910-11
605	पानी की कमी के कारण फसलों को क्षति	Loss of Crops due to paucity of water	1911
606	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों का ज्ञापन	Memorandum from C. G. H. S. Doctors	1911
607	सुडान को ऋण	Credit of Sudan . . .	1911
608	बिजली पैदा करने में सोवियत सहायता	Soviet Aid for Power Generation	1912
609	रोग का कारण वाइरस	Virus as Cause of Disease . .	1912

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
610	विदेशों में जाने वाले पदाधिकारियों को भत्ते	Allowances to Officials going abroad	19'3
611	मुद्रा स्फीति को रोकना	Checking of Inflation . . .	1913
612	श्रीलंका को ऋण	Loan to Ceylon . . .	1913-14
613	कुछ ब्रिटिश उद्योगों द्वारा ब्रिटेन को भेजा गया मुनाफा	Profits Repatriated to U. K. by certain Industries . . .	1914
614	पानी को कथित रूप से रोक देने के बारे में पाकिस्तान का विरोध	Pakistan's Protest on Alleged Stoppage of Water . . .	1914
615	संयुक्त राज्य अमरीका के साथ विनियोजन की गारंटी सम्बन्धी करार	Investment Guarantee Agreement with U. S. A. . . .	1914-15
616	पंजाब के सीमावर्ती जिलों को रिआयती दरों का ऋण	Credit at Concessional Rates to Border Districts of Punjab .	1915-16
617	राज्यों के आय-व्ययक	Budgets of States . . .	1916
618	कृषि के लिये बिजली की दरों में छूट	Subsidy in Power Rates for Agriculture	1916
620	दिल्ली में मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices in Delhi . .	1916-17
621	परिवार नियोजन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र दल का प्रतिवेदन	U. N. Team Report on Family Planning	1917
622	अमरीकी सहायता	U. S. Aid	1917
623	पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात में कटौती	Cut in Imports Under P.L. 480 .	1917

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1687	सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें	Public Sector Projects . .	1918
1688	आवास योजनाओं का निलम्बन	Suspension of Housing Schemes .	1918
1689	श्रीसेलम जल-विद्युत परियोजना	Srisailam Hydro-electric Project	1918
1690	प्रति व्यक्ति शुल्क	Capitation Fee	1919
1691	रोहा रोग (ट्रकोमा)	Trachoma	1919
1692	बच्चों की चिकित्सा	Medical treatment of Children .	1919-20
1693	मातातिला बांध	Matatila Dam	1920
1695	मद्रास में जीवन बीमा निगम द्वारा धन का विनियोजन	L.I.C. Investment in Madras .	1920
1696	नई दिल्ली परिवार नियोजन संस्था	New Delhi Family Planning Association	1920

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय]	Subject	पृष्ठ Pages
1697	महाराष्ट्र में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिये ऋण	House Building Loans to Central Government Employees in Maharashtra	1921
1698	राज्यों द्वारा प्रशासनिक व्यय में बचत	Savings in Administrative Expenditure by States	1921
1699	दिल्ली में किलोकरी में अनधिकृत निर्माण	Unauthorised Construction in Kilokri, New Delhi	1921-22
1700	खाद्य पदार्थों में मिलावट	Adulteration of Foodstuffs	1922
1701	दवाइयों में मिलावट	Adulteration of Drugs	1922
1702	रेडियो सीलोन से वाणिज्यिक विज्ञापन	Commercial Advertisements on Radio Ceylon	1922-23
1703	सरकारी कर्मचारियों को प्रसूति-अवकाश	Maternity Leave to Government Employees	1923
1704	राजस्व की वसूली	Revenue Collections	1923-24
1705	किराया खरीद आधार पर मकान	Flats on Hire-Purchase Basis	1924
1706	मंत्रियों के निवास स्थानों में बिजली का खर्च	Electricity Consumed in Ministers, Residences	1924-25
1707	गन्दी बस्तियों के निवासियों को दिये गये भू-भागों पर पक्के मकान	Pucca Houses on Plots Allotted to Slum Dwellers	1925
1708	सिंचाई और जल निष्कासन व्यवस्था सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय आयोग	International Commission for Irrigation and Drainage	1925
1709	अस्पताल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाना	Banning of Strikes by Hospital Employees	1925-26
1710	टाटा फिसन उद्योगों द्वारा बनाई गई नई औषधियां	New Drugs Manufactured by Tata Fison Industries	1926-27
1711	लोक साक्षरता सम्बन्धी गोष्टी	Symposium on Mass Literacy	1927
1712	नागार्जुन सागर तथा पोचमपाद परियोजनायें	Nagarjunasagar and Pochampad Projects	1927
1713	मंत्रालयों को विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकतायें	Foreign Exchange Requirements of Ministeries	1927
1714	कोपिली परियोजना	Kopili Projects	1927-28
1715	देहाती क्षेत्रों में जीवन बीमा	Life Insurance in Rural Areas	1928
1716	आन्ध्र प्रदेश में आवास योजनायें	Housing Schemes in Andhra Pradesh	1928
1718	दिल्ली के लिय मकान बनाकर किराये पर देने की योजना	Rental Housing Scheme for Delhi	1929
1719	दिल्ली में बूचड़खाने के लिए स्थान	Site for Slaughter House in Delhi	1929

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1720	ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाने वाली नहर	Canal Linking Brahmaputra with Ganges	1930
1721	नगर सामुदायिक विकास परियोजनायें	Urban Community Development Projects	1930
1722	औद्योगिक विवादों में अनिवार्य न्याय निर्णय	Compulsory Adjudication in Industrial Disputes	1930
1723	उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण	Rural Electrification in Orissa	1930-31
1724	उड़ीसा में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें	Major and Medium Irrigation Projects in Orissa	1931
1725	महालेखापाल, उड़ीसा के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Quarters for Staff of Accountant General, Orissa	1932
1726	उड़ीसा में चेचक तथा हैजा	Small Pox and Cholera in Orissa	1932
1727	बट्टे खाते में डाली गई आयकर की रकम	Income Tax Written Off	1932
1728	सराय रोहिल्ला, दिल्ली	Sarai Rohilla, Delhi	1933
1729	दिल्ली में सरकारी अस्पताल	Government Hospitals in Delhi	1933
1730	कैवेन्टर हाउस, मौडल टाउन, दिल्ली में रहने वाले परिवार	Families Residing in Keventer House, Model Town, Delhi	1933-34
1731	आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय	Ayurvedic University	1934
1732	दिल्ली में धोबियों के लिये मकान	Housing for Washermen in Delhi	1934-35
1833	उत्तर प्रदेश में नलकूपों के लिये बिजली	Power for Tube-wells in U. P.	1935
1734	पेंशन की मंजूरी देने में विलम्ब	Delay in Sanctioning of Pensions	1935-36
1737	जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन	Reorganisation of Life Insurance Corporation	1936
1738	क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Quarters	1936-37
1739	स्वास्थ्य केन्द्र	Health Centres	1937-38
1740	पंजाब में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कर्मचारी	Medical and Health Personnel in Punjab	1938
1741	पंजाब में आयकर अपवंचन	Evasion of Income Tax in Punjab	1938
1742	पंजाब में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण	House Building Loans to Central Government Employees in Punjab	1938
1743	पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	Primary Health Centres in Punjab	1938-39
1745	प्रतिरक्षा विषयक उत्पादन	Defence Production	1939

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1746	पश्चिम जर्मनी से ऋण	Loans from West Germany .	1939-40
1747	औषधविज्ञान (मैडिसन) पढ़ाने के तरीकों के संबंध में विचार-गोष्ठी	Seminar on Methods for Teaching Medicine	1940
1748	औद्योगिक कार्यकर्ताओं के लिये मकान बनाने की योजना के लिये भूमि	Land for Housing Schemes for Industrial Workers	1940
1749	उत्तर प्रदेश में आयकर अधिकारी	Income Tax Officers in U.P. .	1940-41
1750	आसाम सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तस्कर व्यापार	Smuggling between India and Pakistan on Assam Border .	1941
1751	आयकर कानून का सरलीकरण	Simplification of Income Tax Law	1941
1752	परिवहन नीति तथा समन्वय संबंधी समिति	Committee on Transport Policy and Co-ordination . . .	1941-42
1753	कलकत्ता में तस्कर व्यापार	Smuggling in Calcutta . .	1942
1754	प्रषित सोडा-ऐश का जप्त किया जाना	Confiscation of Soda Ash Consignments	1942
1755	सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सामान जप्त किये जाने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का विनिर्णय	Supreme Court's Ruling on Confiscation of Goods by Customs Authorities . . .	1942-43
	अविलम्बीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance—	
	नागा विद्रोही मनीपुर से होकर पूर्वी पाकिस्तान जा रहे हैं—	Naga Rebels on their way to East Pakistan through Manipur—	
	श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . .	1943
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan . .	1943-45
	विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re : Question of Privilege	1946-48
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1948-49
	राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha .	1949-50
	(1) खाद्य स्थिति और (2) अनावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव—	Motions Re : (i) Food situation, and (ii) situation arising out of Drought Conditions—	
	श्रीमती ज्योत्सना चन्दा	Shrimati Jyotsna Chanda .	1950-51
	श्रीमती शशांक मंजरी	Shrimati Shashank Manjari	1951

विषय सूची	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री बृज बिहारी मेहरोत्रा	Shri Braj Bihari-Mehrotra .	1951-52
श्री वीरन्ना गोध	Shri Veeranna Gowdh	1952
श्री अल्वारेस	Shri Alvares . . .	1952-54
श्री अ० चं० गुह	Shri A.C. Guha . . .	1954-55
श्री दीनेन भट्टाचार्य	Shri Dinen Bhattacharya	1956-58
श्री जेना	Shri Jena	1958-59
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarojoo Pande . .	1959-60
श्री मणियंगाडन	Shri Maniyangadan . .	1960
श्री जसवन्त मेहता	Shri Jashvant Mehta . .	1961-62
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	1962
श्री अ० सिं० सहगल	Shri A. S. Saigal . .	1962-63
श्री हनुमन्तैया	Shri Hanumanthaiya . .	1963-64
श्री तन सिंह	Shri Tan Singh . . .	1964-65
श्री के० द० मालवीय	Shri K. D. Malaviya . .	1965-66
श्री लाटन चौधरी	Shri Lahtan Choudhury .	1967
श्री सू० ला० वर्मा	Shri S. L. Verma . .	1967-68
श्री तुलशीदास जाधव	Shri Tulshidas Jadhav	1970-71
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	Shrimati Lakshmikanthamma	1971
श्री रामानन्द शास्त्री	Shri Ramanand Shastri .	1971-72
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती	Shri Jagdev Singh Siddhanti	1972-73
श्री अ० प्र० शर्मा	Shri A. P. Sharma . .	1973
श्री राम शेखर प्रसाद सिंह	Shri Ramshekhar Prasad Singh	1973-74
श्री केप्पन	Shri Kappen . . .	1974
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhavaiya.	1974-75
श्री मोरे	Shri K. L. More . .	1975
केरल के कास्तकारों के बारे में आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-Hour Discussion re: Kerala Cultivators.—	
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair .	1968-69
श्री हाथी	Shri Hathi . . .	1969-70

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 2 दिसम्बर, 1965/11 अग्रहायण, 1887 (शक)
Thursday, December 2, 1965/Agrahayana 11, 1887 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि कल रात बनारस में लेफ्टिनेंट कर्नल महाराजकुमार डा० विजय आनन्द का 60 वर्ष की आयु में दुखद निधन हो गया है । वह आंध्र प्रदेश से विशाखापटनम क्षेत्र से निर्वाचित होकर इस सभा के सदस्य बने थे । 1932–37 और 1946–47 में वह केन्द्रीय विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं और 1960–62 में दूसरी लोक-सभा के सदस्य रह चुके हैं । खेलों के क्षेत्र में उनकी बहुत रुचि थी और 1958 में उन्हें पद्म विभूषण से विभूषित किया गया था । हम सब जानते ह कि वह इस सभा की चर्चाओं में बहुत लाभदायक योगदान देते थे । सामाजिक विषयों में उनकी विशेष रुचि थी । वह संसदीय प्रथाओं का मान करते थे । सभी प्रकार की आलोचनाओं को वह एक आदर्श खिलाड़ी की भांति सहन करते थे । हम उनकी मृत्यु पर अपना शोक व्यक्त करते हैं और मुझे आशा है कि सभा संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है ।

संचार तथा संसद कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : महाराजकुमार विजय आनन्द के निधन से सभा विज्जी नाम से विख्यात एक सज्जन सदस्य से वंचित हो गई है । मैं उन्हें 1934 से, जब हम केन्द्रीय सभा में आये थे, जानता हूं । एक खिलाड़ी के रूप में उन्होंने विश्वभर में ख्याति प्राप्त कर ली थी । व्यक्ति के रूप में वह बहुत सुसंस्कृत व्यक्ति थे । मैं उन्हें अपने भाई के समान समझता था ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : यह बहुत दुख की बात है कि एक आदरणीय तथा लोकप्रिय सदस्य का निधन हो गया है । वह राजनैतिक मतभेदों को मनुष्य के पारस्परिक सम्बन्धों के सामने बहुत तुच्छ बना देते थे । वह अपने सद्व्यवहार से बहुत लोकप्रिय हो गये थे । वह समझते थे कि राजनीति के अतिरिक्त और भी बहुत सी अच्छी बातें हैं ।

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : सभी दल उनका सम्मान करते थे । उनका स्वभाव बहुत अच्छा था । अपने विधायी जीवन के अतिरक्त अपने अच्छे स्वभाव के कारण वह समूचे देश में बहुत लोक प्रिय हो गये थे । वह बहुत दानी तथा परोपकारी जीव थे । उन्हें शेरों के शिकार का बहुत शौक था ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : महाराजकुमार न केवल एक प्रसिद्ध खिलाड़ी ही थे बल्कि सुसंस्कृत और सभ्य पुरुष थे। वह व्यापक सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने राजनीतिज्ञों में भी खिलाड़ियों वाले गुण उत्पन्न किये। इससे जीवन ऊंचा उठता है। मैं उन के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : We have lost a great Member of this House in the death of Dr. Vijaya Anand. He had endeared himself by his charming nature and personality. He was an industrious person. May his soul rest in peace.

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : India has been deprived of a great son. His death is a shock to the entire world. May God give peace to the departed soul. With these words I pay my humble tribute, to the departed soul.

अध्यक्ष महोदय : सभासद थोड़ी देर के लिये मौन खड़े रहेंगे।

(इसके पश्चात् सदस्य थोड़ी देर के लिये मौन खड़े हुए।)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Industrial Growth

+

***596. Shri Madhu Limaye :**
Shri Kishan Pattnayak :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) the target fixed for industrial production during the Fourth Five Year Plan ; and

(b) the special measures being taken to achieve that target ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : (a) The targets of industrial production for the Fourth Five Year Plan have not yet been finalised.

(b) Does not arise.

Shri Madhu Limaye : I want to know whether Government's attention has been drawn to the fact that targets fixed for the growth of important industries during the Second and the Third Five Year Plans have not been fulfilled and the tempo of industrial development has been slow. I also want to know whether at the time of fixing targets for the Fourth Plan these things will be kept in mind and the shortcomings removed ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : योजना आयोग का इरादा है कि चौथी योजना में उद्योगों संबंधी आयोजना के बारे में कड़ी नीति अपनाई जाये और हमें उन्हीं औद्योगिक एककों को हाथ में लेना चाहिये, जिन के निर्माण-कार्य को योजना अवधि में ही पूरा किया जा सके।

Shri Madhu Limaye : Are you satisfied with the answer, Sir ?

Mr. Speaker : He has said that they would endeavour to achieve the targets.

Shri Madhu Limaye : Our dependence on foreign aid went on increasing during the second and the third plans and during the happenings of August-september that aid was almost stopped. Keeping in view this we should not depend on foreign aid. At the time of formulating Fourth Five Year Plan we should see that we have not to depend on foreign aid and we have got to be self reliant. I want to know whether this would be kept in mind.

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य की बात बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत रूप से मैं उनसे सहमत हूं। उनकी बात मैं योजना आयोग तक पहुंचा दूंगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether any scheme has been made for the development of small scale industries during Fourth Plan; if so, the amount earmarked and to be spent in this regard?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : चौथी योजना अभी तैयार हो रही है। निसंदेह छोटे उद्योगों का रोजगार संसाधन के रूप में अपना स्थान होगा।

श्री नाथ पाई : इस बात का ध्यान रखते हुए कि औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी देशनांक संख्या में पिछले कुछ महीनों में ह्रास हुआ है और हमारी प्रतिरक्षा सम्बन्धी मांगें भी बढ़ गई हैं और विदेशी मुद्रा की भी कठिनाई है क्या योजना आयोग अभी भी चौथी योजना के लिये औद्योगिक उत्पादन सम्बन्धी लक्ष्यों की पूर्ति की आशा करता है? यदि नहीं तो किन लक्ष्यों में कमी करनी पड़ेगी?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह हो सकता है कि निकट भविष्य में औद्योगिक उत्पादन में कुछ कमी हो परन्तु वह कोई विशेष नहीं है। मैंने आंकड़े देखे हैं। यहां पर माननीय सदस्यों द्वारा कही गई बातों की ओर योजना आयोग पूरा ध्यान रखेगा।

श्री भागवत झा आजाद : तृतीय योजना-काल में योजनाओं की कार्यान्विति तथा लक्ष्यों की पूर्ति के आधार पर सरकार को हुए के अनुभव फलस्वरूप क्या सरकारी सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों को प्राथमिकतायें देने के प्रश्न पर पुनः विचार करेगी?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह प्रश्न भी विचाराधीन है। हाल के अनुभव के कारण हमें प्राथमिकताओं पर विचार करना होगा और उन उद्योगों को चुनना होगा जिन्हें हम यथासंभव शीघ्रता से अपने ही संसाधनों से पूरा कर सकते हैं।

Shri M. L. Dwivedi : Small scale industries and heavy industries are making progress in our country. The raw material which was imported has been reduced by fifty per cent. What arrangements are being made by Planning Commission and measures taken by the Ministry of Finance to make available the foreign exchange?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : आयात किये जाने वाले कच्चे माल का उपलब्ध करना पूर्ण रूप से विदेशी मुद्रा के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है। यदि किसी के पास विदेशी मुद्रा है तो उसके कच्चे माल में कटौती नहीं होगी परन्तु वर्तमान स्थिति में यह आवश्यक है। इस बारे में प्राथमिकता देने की एक योजना है और उस पर अमल हो रहा है।

Shri Gulshan : The people of backward Classes are in a very large number. These people have not made the desired progress during the three five year plans. Now the fourth plan is being prepared. May I know whether special attention would be paid to the progress of these classes at the time of making fourth five year plan?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह एक सुझाव है। योजना आयोग को भेज दिया जायेगा।

शरावती परियोजना

+

*597. **श्री मधु लिमये :**

श्री राम सेवक यादव :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शरावती परियोजना का दूसरा चरण पूरा करने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इस परियोजना से आजकल कितनी बिजली पैदा की जा रही है ;

(ग) इस परियोजना के प्रथम चरण के चालू होने के परिणामस्वरूप क्या गोआ को बिजली दी जा रही है ; और

(घ) कृषकों तथा छोटे पैमाने के उद्योग को कितनी बिजली दी जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) चरण २ के लिये उत्पादन केन्द्र के भवन का निर्माण कुल थोड़े से छोटे छोटे समापन कार्यों को छोड़कर लगभग पूर्ण हो गया है । सभी 6 न्यूनिटों के लिये मशीन आधारों पर कार्य किया जा रहा है । एक उत्पादन यूनिट और चार टर्बाईन यूनिटों को जोड़ने और लगाने का काम हो रहा है । एक 'स्टेप-अप ट्रान्सफार्मर' को जोड़ कर स्थापित कर दिया गया है । आगे की कार्रवाई की जा रही है । अवधारक नल के लिय इस्पात का 80 प्रतिशत भाग प्राप्त हो गया है तथा निर्माण कार्य हो रहा है ।

(ख) हर रोज 25 से 30 लाख यूनिट; प्रतिष्ठापित क्षमता 178·2 मैगावाट ।

(ग) जी हाँ ।

(घ) शरावती में उत्पन्न की गई बिजली मैसूर राज्य बिजली ग्रिड को दी जाती है । उस ग्रिड की 3·1 प्रतिशत विक्रेय बिजली कृषकों को सप्लाई की जाती है जब कि 9·7 प्रतिशत छोटे और मध्यम कोटि के उद्योगों को दी जाती है ।

Shri Madhu Limaye : Government wants that agricultural production—particularly foodgrains production—should be increased, but statistics furnished by them indicate that only 3 per cent power is being given for agriculture and 9 per cent power is being given to small and medium scale industries. I want to know whether a big part of power would be reserved for agriculture and the farmers would be helped by providing them power and engines etc. at cheap rates?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : सरकार देहातों के विद्युतीकरण तथा नलकूपों के लिये सस्ते दरों पर बिजली देने के महत्व को समझती है और इस बारे में प्रयत्न किये जा रहे हैं । कई प्रकार के प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं । और अतिरिक्त धन उपलब्ध किया जा रहा है । चौथी योजना में सात लाख नलकूप लगाने का लक्ष्य है ।

Shri Mahdu Limaye : He has referred to rural electification. It is mostly used for lighting purposes in villages. My question is whether it would be used for increasing the agricultural output or not?

Mr. Speaker : He has said that they are installing pumping sets.

Shri Madhu Limaye : Certain allegations have been levelled in connection with high cost and about contractors of Sharavati project. I want to know whether an enquiry has been conducted in this regard and whether maximum indigenous equipment would be used in this project?

डा० कु० ल० राव : शरावती परियोजना के बारे में कुछ आरोप थे वे अब समाप्त हो गये हैं क्यों कि वे केवल इस परियोजना पर 50 लाख रुपये के अतिरिक्त व्यय के बारे में थे। इस से अन्य राज्यों जैसे मद्रास, केरल और आंध्र प्रदेश को सहायता देने के कारण 5 करोड़ रुपये के बराबर राजस्व प्राप्त होगा। अतः पहले लगाये गये आरोपों का कोई आधार नहीं है।

Mr. Speaker : The second part of his question was whether indigenous material would be used?

डा० कु० ल० राव : यथासंभव देशी माल प्रयोग में लाया जाता है और देश में स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं में ऐसा ही किया जायेगा। विभिन्न स्थानों पर लगाई जा रही तीन फैक्टरियों में मशीने बनाने का विचार है।

Shri Ram Sewak Yadav : It has been said in the answer that only 3·1 per cent power is supplied to agriculturists. Keeping in view the present food situation, I want to know, whether more power would be supplied for agriculture then industries and priority would be given to agriculture? Is there any difference in the rates of power supplied for agriculture and industries; if so, what are the rates for power supplied for agriculture and that of for industries?

डा० कु० ल० राव : कृषि को उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी। कृषि के बारे में कुछ कठिनाइयां हैं। मुख्य कठिनाई तो पारेषण लाइनों के बिछाने तथा कनेक्शन देने की है। यह हमारी मुख्य तथा जटिल समस्या है। हम यथासंभव बिजली देने का प्रबन्ध कर रहे हैं। जबकि मैसूर में कृषि के लिये बिजली का भार (लोड) 3·1 प्रतिशत है, मुझ यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि मद्रास जैसे राज्य में यह 24 प्रतिशत है।

अध्यक्ष महोदय : तुलनात्मक मूल्य भी बताये जायें।

डा० कु० ल० राव : हमारा निरंतर यह उद्देश्य रहा है कि मूल्यों को कम किया जाये अथवा कुछ सहायता दी जाये। 7 राज्य ऐसे है जिनमें दर 12 पैसे प्रति यूनिट है। यह मामला अभी विचाराधीन है कि क्या उन राज्यों में सहायता दी जाये जिनमें दर 12 पैसे प्रति यूनिट से अधिक है।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know the rates charged separately for industrial and agricultural purposes?

Mr. Speaker : That would be different at different places.

श्री अल्वारेस : यह बताया गया है कि गोवा को बिजली दी गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी बिजली देने के लिये कहा गया था और वास्तव में कितनी दी गई है?

डा० कु० ल० राव : गोवा को इस समय आधा मेगावाट बिजली दी जा रही है। हम 1966 में 8 मेगावाट और बिजली देने के लिये लाइनें बिछा रहे हैं। मैसूर ने

गोवा को 50 मेगावाट बिजली की पूरी मात्रा देना स्वीकार किया है और यह तभी दी जा सकेगी जब पारेषण लाइनों के बिछाने का कार्य पूरा हो जायेगा।

श्री नाथ पाई : क्या मंत्री महोदय का ध्यान गोवा के मुख्य मंत्री द्वारा दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि शरावती परियोजना से जितनी बिजली देने का वचन दिया गया था उतनी बिजली नहीं दी गई है जिससे उस क्षेत्र में विकास सम्बन्धी सारा कार्य रुका पड़ा है और यदि उनका ध्यान इस ओर दिलाया गया है तो क्या मैं जान सकता हूं कि वह यह देखने के लिये क्या कार्यवाही करना चाहते हैं कि इस वचन को पूरा किया जाय ?

डा० कु० ल० राव : यह कहना गलत है कि विकास सम्बन्धी समस्त कार्य रुका पड़ा है क्योंकि कारखानों को तो अभी लगाया जाना है। परन्तु हम यह सुनिश्चित करने के लिये कार्यवाही कर रहे हैं कि जब वहां आवश्यकता होगी तब तक वहां बिजली पहुंच जायेगी वास्तव में मैसूर ने कोई गलती नहीं की है। देरी तो पारेषण लाइनों के बिछाने में हुई है। हमने मैसूर लाइन से गोवा का सम्पर्क जोड़ने के लिये हंडोली तथा लोंडा के बीच पारेषण लाइनें बिछा दी हैं। मैं इस मामले में व्यक्तिगत रूप में दिलचस्पी ले रहा हूं और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि इस कार्य को यथा-सम्भव शीघ्र पूरा किया जाये।

श्री सिंहासन सिंह : मंत्री महोदय ने अभी बताया कि कुछ राज्यों में कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये बिजली की दर 12 पैसे प्रति इकाई है। क्या मैं जान सकता हूं कि जो सहायता दी जाने वाली है वह केवल शरावती परियोजना क्षेत्र में दी जायेगी अथवा समस्त देश में जहां बिजली की दर 12 पैसे प्रति इकाई से अधिक है ? क्या सहायता देने की योजना को समूचे देश पर लागू किया जायेगा ?

डा० कु० ल० राव : जी हां, यह योजना समस्त देश अर्थात् सभी राज्यों में लागू की जायेगी। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया है कि 7 राज्य ऐसे हैं जिन में बिजली की दर 12 पैसे प्रति इकाई से कम है। इन राज्यों को कोश सहायता नहीं दी जायेगी। परन्तु यह मामला अभी विचाराधीन है—अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है क्योंकि वित्त मंत्री ने इस मामले को अभी नहीं देखा है—और आशा की जाती है कि उन अन्य सभी राज्यों को सहायता दी जायगी जिनमें दरें 12 पैसे से अधिक हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि मध्यम तथा छोटे पैमाने के उद्योगों को काफी हानि हो रही है क्योंकि उनको जितनी उनकी आवश्यकता है उससे कहीं कम बिजली दी गई है ?

डा० कु० ल० राव : बिजली देने के मामले में छोटे पैमाने के उद्योगों तथा कृषि को प्राथमिकता दी जाती है। परन्तु मुख्य कठिनाई तो इस बात की है कि हमारे पास सभी स्थानों पर बिछाने के लिये पर्याप्त लम्बाई तथा पर्याप्त आकार की पारेषण लाइनें नहीं हैं।

श्री मानसिंह पु० पटेल : गुजरात राज्यों में कृषि के लिये बिजली की दरों को कम करने की बजाये उनको बढ़ा दिया गया है तो क्या सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया गया है और यदि हां तो सरकार इस स्थिति में कैसे सुधार करने तथा घटा कर 12 पैसे करने जा रही है ?

डा० कु० ल० राव : यह संभव हो सकता है कि दरों में वृद्धि हो गई हो क्योंकि योजना आयोग द्वारा निश्चित किये गये तथा सभी राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा स्वीकार किये गये महत्वपूर्ण सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त यह है कि विद्युत बोर्डों को विनियोजित पूंजी पर 11 प्रतिशत लाभ अवश्य होना चाहिये, परन्तु जहां कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों का सम्बन्ध है, इनकी ओर ध्यान दिया जा रहा है और मुझे आशा है कि इस प्रयोजन के लिये थोड़े ही समय में आवश्यक निदेश दिये जायेंगे।

श्री अ० प्र० शर्मा : मंत्री महोदय ने बताया कि कृषि के लिये दी जाने वाली बिजली की दर लगभग 12 पैसे है अथवा कुछ राज्यों में 12 पैसों से कुछ अधिक दर है। इसका अर्थ यह हुआ कि कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये बिजली की 12 पैसे की दर न्यूनतम है। क्या मैं जान सकता हूं कि उद्योगों को दी जाने वाली बिजली की दर 12 पैसे से भी कम है और यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि कृषि सम्बन्धी प्रयोजनों के लिये बिजली की दर औद्योगिक प्रयोजनों के लिये बिजली की दर से कम होनी चाहिये?

डा० कु० ल० राव : ऐसा नहीं हो सकता है। उद्योगों में बड़े पैमाने पर बिजली का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ बातें हैं इसलिये उद्योगों के लिये बिजली की दर बहुत ही कम है।

Shri Gulshan : The small scale industries are being encouraged by Government but farmers in Punjab are not allowed to husk paddy and it is being done by big mills. May I know whether Government will take some steps to supply electricity to the farmers there and encourage them to establish small scale industries?

डा० कु० ल० राव : मेरे विचार में उन्हें प्राथमिकता मिलनी चाहिये। मुझे इस मामले का पता नहीं है जिसका माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं। यदि वह कुछ और ब्यौरा दे सकते हैं तो मैं इस मामले की जांच कराऊंगा।

Shri Yashpal Singh : The Government had given an assurance two years back that electricity would be given both for agricultural as well as industrial purposes at the same rate. But in U. P., while 10 paise per unit are being charged for agriculture, 3 paise per unit are being charged for industry. May I know when the disparity will be removed?

डा० कु० ल० राव : मेरे विचार में ऐसा आश्वासन कभी नहीं दिया गया होगा कि कृषि तथा उद्योग के लिये बिजली की एक ही दर होगी। इस बात से तो मैं सहमत हूं कि एक ऐसा आश्वासन दिया गया होगा कि कृषि के लिये ऋणों तथा बिजली के लिये कुछ सहायता दी जायेगी। मेरे विचार में इस वचन को अब भी पूरा किया जायेगा।

भारतीय चिकित्सा परिषद्

*598. **श्री मधु लिमये** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसन्धान पुरस्कारों की व्यवस्था करना अथवा स्मारकों के लिये धन इकट्ठा करना भारतीय चिकित्सा परिषद् का ही काम है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसा काम करने के लिये कानूनी आधार क्या है?

स्वास्थ्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पू० श० नास्कर) : (क) और (ख) : स्मारकों के लिए धन इकट्ठा करना अथवा किसी प्रकार के पुरस्कारों की व्यवस्था करना भारतीय चिकित्सा परिषद् का वैधानिक कार्य नहीं है किन्तु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसन्धान को बढावा देने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् ने (1) "रजत जयन्ती अनुसंधान पुरस्कार" और (2) "डाक्टर विधान चन्द्र राय राष्ट्रीय पुरस्कार" नामक दो पुरस्कारों की व्यवस्था की है और इस कार्य के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the Medical Council of India is preparing any comprehensive programme for eradication of diseases like small pox and cholera etc. which might be under the consideration of the Government?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar) : This work is not done by the Medical Council of India, it is done by the Central and State Governments. There is already a programme which is being implemented.

Shri Madhu Limaye : Has Government received any suggestion for evolution of para-medical system for eradication of diseases like small-pox and cholera etc. and whether the Co-operation of the Council is being brought for this purpose?

Dr. Sushila Nayar : The Medical Council of India looks after the courses for doctors. So far as evolution of para-medical system is concerned, it does not come under its Jurisdiction. There are separate arrangements for that and training is being given for that purpose.

Shri Jagdev Singh Siddhanti : Since Ayurvedic herbs are produced here and also because these are very cheap and by means of which we are able to eradicate disease, whether these have also been included in the prgroamme of the Medical Council of India?

Dr. Sushila Nayar : This Council is only responsible for standards of medical education. But the matter to which the hon. Member has referred is dealt with both by the Indian Council of Medical Research and the Central Council of Ayurvedic Research. Both these councils are doing this work.

श्री शिंकरे : मेरे विचार में भारतीय चिकित्सा परिषद के कृत्यों में से एक यह देखना भी कृत्य ही है कि इस देश में दी जाने वाली चिकित्सा सम्बन्धी उपाधियों को विदेशों के विश्वविद्यालय भी मान्यता दें। इस बारे में, आज समाचार पत्रों में एक यह समाचार छपा है कि कनाडा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा कालेज ने भारत की चिकित्सा सम्बन्धी उपाधियों को मान्यता देने से इन्कार कर दिया है, इस बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय चिकित्सा परिषद अथवा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है अथवा विचार किया जा रहा है कि इस देश में दी जाने वाली चिकित्सा सम्बन्धी उपाधियों को उचित मान्यता प्रदान की जाये?

डा० सुशीला नायर : चिकित्सा सम्बन्धी उपाधियों को मान्यता पारस्परिकता के आधार पर दी जाती है। हम उस संस्थाओं को उपाधियों को मान्यता देते हैं जो हमारी उपाधियों को मान्यता देती हैं। हम उन कालेजों की उपाधियों को मान्यता नहीं देते हैं जो हमारी उपाधियों को मान्यता नहीं देते हैं।

श्री श० न० चतुर्वेदी : क्या चिकित्सा परिषद ने पुरस्कारों के लिये धन इकट्ठा करना आरम्भ कर दिया है ?

श्री० पू० श० नास्कर : चिकित्सा परिषद ने एक छात्रवृत्ति के लिये लगभग 6 लाख रुपये तथा अन्य पुरस्कार के लिये लगभग 8½ लाख रुपये इकट्ठे कर लिये हैं।

युद्ध में मारे गए जवानों के परिवारों के लिये दिल्ली में प्लाट

+

*600. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री हुकमचन्द कछवाय :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में अल्पआय वर्ग आवास योजना के अन्तर्गत प्लाट देने के नियमों तथा शर्तों में युद्ध में मारे गए जवानों के परिवारों के लिए छूट दे दी गई है;

(ख) क्या संघ सरकार के परामर्श पर अन्य राज्यों में ऐसे परिवारों को इसी प्रकार की सुविधायें दी गई हैं; और

(ग) क्या सैनिकों के परिवारों को रियायती दरों पर ऋण देने में राज्य सरकार को हुई हानि को पुरा किया जायगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : सभा पटल पर विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) चीफ कमिश्नर दिल्ली ने यह निर्णय किया है कि निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों के लिए निर्धारित प्लाँटों का 15 प्रतिशत लड़ाई में मारे गये रक्षा कर्मचारियों की विधवाओं को आवंटन के लिए आरक्षित किया जाये। यह भी निर्णय किया गया है कि दिल्ली के संघ क्षेत्र में पांच वर्ष रहने की शर्त को भी शिथिल किया जाये।

(ख) निर्माण तथा आवास मंत्रालय की सामाजिक आवास योजनाओं के अंतर्गत विकसित प्लाटों/बनाये गये मकानों के आवंटन की सुविधाए रक्षा कर्मचारियों आदि के परिवारों के लिए बढाने के प्रश्न पर कुछ समय पूर्व विचार किया गया था तथा फरवरी 1964 में राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया था कि सैनिक कर्मचारियों, भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके परिवारों और आश्रितों को आवास योजनाओं (निम्न आय वर्ग आवास योजना सहित) के अंतर्गत ऋणों को मंजूर करते समय यदि प्राथमिकता दी जाये तो भारत सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। राज्य सरकारों को यह भी सूचित कर दिया गया था कि यदि वे सैना कर्मचारियों आदि के लिए राज्य की राजधानियों तथा अन्य बड़े शहरों के निकट यदि बस्तियां बसाने के लिये पर्याप्त भूमि निर्धारित की जाये तो कोई आपत्ति नहीं होगी।

(ग) निर्माण तथा आवास मंत्रालय के पास जो सूचना उपलब्ध है उसके अनुसार राज्य सरकारें रक्षा कर्मचारियों आदि को सामाजिक आवास योजनाओं के अंतर्गत किसी रियायती दर के ब्याज पर ऋण नही दे रही हैं। इसलिये राज्य सरकारों की हानि को पूरा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या जवानोंके परिवारों को दी जाने वाली प्रस्तावित भूमि रियायती दरों पर दी जायेगी और यदि हां, तो कितनी रियायत दी जायेगी ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : अभी ब्याज की दर में रियायत देने का कोई प्रश्न हमारे विचाराधीन नहीं है।

श्री प्र० चं० बरूआ : क्या जवानों की परिवारों की सहायता करने के लिये सहकारी भवन-निर्माण समितियों के बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

श्री मेहरचन्द खन्ना : इस प्रश्न पर अभी विचार नहीं किया गया। हम प्रत्येक मामले पर विचार कर रहे हैं। हमारा विचार बेचारी विधवा महिलाओं तथा अन्य व्यक्तियों की सहायता करने का है।

Shri A. S. Saigal : May I know the number of States who have accepted the scheme and are ready to implement it?

Shri Mehr Chand Khanna : So far as Delhi is concerned, reservation has been made. As regards other State Governments we had asked them before and also after the Chinese aggression to do so. This concession has, however, been allowed in Delhi and I think, I am going to bring this concession to the notice of State Governments also.

श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय उन लोगों के मामले पर भी सहानभूति से विचार करेंगे जो दिल्ली में बसना चाहते हैं?

श्री मेहर चन्द खन्ना : विवरण को पढ़ने से पता चलेगा कि पांच वर्ष की समय सीमा में भी छूट दी गई है।

Shri Sarjoo Pandey : As has been pointed out in the Statement that the Central Government had asked the State Governments to make such arrangements for defence personnel etc. in their respective regions, but the result is that no loans have been granted to the service personnel and State Governments generally do not sanction any loans. Even land has not so far been allotted to the family of Shri Abdul Rahim. I, therefore, want to know whether the Central Government is taking any constructive steps in this regard so that they could get assistance from the State Governments?

Shri Mehr Chand Khanna : The fact is this that State Governments sanction loans and recover interest thereon in accordance with a policy. I cannot issue any directive to them but my intention is that I should give a suggestion to them that if it is possible, concession must be given to the families of those who have laid down their lives during the war and who have been the victims of this war. But the States will have to give this concession from their own resources. Nothing can be given to the States for this purpose from the central resources.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : As State Government have been asked to help them, may I know whether the Central Government has granted loans to the jawans? As the hon. Minister has pointed out that plots are being allotted to them, whether loans will also be granted to them?

Shri Mehr Chand Khanna : The loans are granted under the Low Income group scheme. These have already been given by L.I.C. and even now they are giving?

Mr. Speaker : He has asked about the rate of interest.

Shri Mehr Chand Khanna : The rate of interest depends upon the market. I think, it is 6 or 6¼ per cent. ..... (**interruptions**) ..... They are also getting loans from L.I.C.

श्री कपूर सिंह : नगरों में भीड़-भाड़ करने तथा युद्ध में काम आये सैनिकों के परिवारों को शहरों में बसाने के पीछ उद्देश्य क्या है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : यह उस विवरण से बिल्कुल स्पष्ट है जो मैंने सभा पटल पर रखा है।

श्री कपूर सिंह : सभा पटल पर रखे गये विवरण में इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। युद्ध में मारे गये सैनिकों के परिवारों को नगरों में क्यों लाया जाना चाहिये और उन्हें यहां क्यों बसाया जाना चाहिये ? इसका यथार्थ अभिप्राय क्या है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : हमारा यह इरादा नहीं है। हमारा विचार तो यह है कि जहां कहीं वे हैं और जहां जीवन बीमा निगम की योजना लागू है यदि वहां कोई सहायता देने की आवश्यकता होगी तो दी जायेगी। उन्हें किसी विशेष नगर अथवा क्षेत्र में इकट्ठा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है।

श्री कपूर सिंह : श्रीमान् वह मेरे प्रश्न को नहीं समझ सके हैं और उन्होंने इसका उत्तर नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : सरदार कपूर सिंह संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि वह महसूस करते हैं कि चूंकि ये जवान ग्रामीण क्षेत्रों में रहत थे, इसलिये उनके परिवारों को नगरीय क्षेत्रों में क्यों बसाया जाय और उन्हें केवल नगरों में ही क्यों ये सुविधाएं दी जा रही हैं ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : मैं इस प्रश्न पर विचार करूंगा। ग्रामीण क्षेत्रों से सभी परिवारों को नगरीय क्षेत्र में लाने का कोई इरादा नहीं है।

Shri M. L. Dwivedi : It has been stated in the Statement laid on the Table that since no action has been taken by the State Governments in regard to this matter, the question of compensating them, therefore, does not arise. But as has been reported in the Press, the Government of Rajasthan has given sanction for the allotment of one lakh acre of land to such people, may I know whether the Central Government will arrange to compensate those State Governments which have undertaken or are likely to undertake to allot land to the jawans and if so, the amount thereof?

Shri Mehr Chand Khanna : It has nothing to do with the allotment of land. These are the plots which are given under the Low Income Group Scheme and on which very houses can be built.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकारों के पास धन की कमी है और वे ऐसे मामलों में सहायता देने की स्थिति में नहीं हैं और मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए कि इस मामले में कोई एक सा ढंग नहीं अपनाया गया है और राज्य सरकारों ने ये सुविधायें देने से इन्कार कर दिया है, क्या सरकार न उन सनिकों के, जिन्होंने हाल ही के युद्ध में वीरगति पाई है, परिवारों को ऋण तथा सहायता देने के लिये केन्द्रीयकृत नीति अपनाने के लिये कोई कार्यवाही करेगी अथवा की है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : नीति एक सी है। यह सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होती है। प्रश्न केवल जीवन बीमा निगम से धन प्राप्त करने का है। हम यह राशि राज्य सरकारों को देते हैं। यह राशि भी सीमित मात्रा में है। मेरे विचार में इस वर्ष जीवन बीमा निगम से 15 करोड़ रूपये मिलेंगे। अगले वर्ष क्या स्थिति होगी इस के बारे में कुछ कहना तो मेरे लिये बहुत कठिन है।

Shri Bade : The Hon. Minister has just stated that loan is given to them from L.I.C. and interest is charged on it, I want to submit that since they have laid down their lives and if their families are given loans, why interest should be charged from them and whether the Hon. Minister will recommend to the L.I.C. that interest should not be charged and that the Central Government would compensate it?

Shri Mehr Chand Khanna : When we give loans, we charge interest on it from the L.I.C., some body will, therefore, have to pay the interest. However, the suggestion given by the Hon. Member can be considered by the Ministry of Defence and Ministry of Finance.

श्री दे० द० पुरी : कुल कितने परिवारो ने यह सहायता प्राप्त की है और आज तक कुल कितनी राशि दी गई है ?

श्री मेहरचन्द खन्ना : इस मामले के बारे में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है।

उठाऊ सिंचाई के लिए पम्प

+

***601. श्री क० ना० तिवारी** : **श्री प्र० चं० बरूआ** :
श्री प्र० चं० चक्रवर्ती : **श्री रेड्डियार** :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के विभिन्न भागों में उठाऊ सिंचाई के लिये लगाए गए सकड़ों पम्प चालू योजना के अन्त में बिजली के अभाव में बकार पड़े रहगे;

(ख) इन पम्पों के निकटतम बिजली ग्रिड से जोड़ने के लिये सामान की व्यवस्था करने में राज्यों की असफलता के क्या कारण हैं ;

(ग) इस सम्बन्ध म केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(घ) पहले लगाये जा चुके गहरे नलकूपों की, जो इस समय काम में नहीं आ रहे हैं, क्या अनुमानित लागत है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) से (घ) : अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तीसरी योजना के अन्त तक लिफ्ट सिंचाई के लिये लगाए गए पम्पों के बड़े पैमाने पर बेकार रहने की कोई संभावना नही है। किन्तु, यह हो सकता है कि कुछ एक पम्प जो किसानों ने अपने निजी तौर पर दूर दूर तक विस्तृत इलाकों में लगा रखे हैं और जो राज्य बिजली बोर्डों की विद्यमान उप-पारेषण और वितरण प्रणालियों

की किफायती पहुंच में नहीं है, बेकार रहे। ऐसे पम्पों की ठीक ठीक संख्या मालूम नहीं है।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों को विस्तृत पैमाने पर बिजली का सप्लाई देने में धन की कमी बाधा डाल रही है। वितरण ट्रांसफार्मरों और लाइन कन्डक्टरों जैसे अत्यावश्यक सामान की भी बहुत ही कमी है क्योंकि उन के उत्पादन के लिये अपेक्षित कच्चे माल की आम कमी है।

(ग) 1964-65 और 1965-66 के दौरान, कृषि संबंधी त्रैश प्रोग्राम के अधीन सिचाई पम्पों/नलकूपों को बिजली देने के लिये राज्य की योजना में निर्धारित राशियों के अतिरिक्त 8.2 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता दे दी/अलाट कर ी गई है। चौथी योजना के प्रथम दो वर्षों के लिये कम सप्लाई वाली जिस सामग्री की आवश्यकता है उस को भी आंका जा रहा है ताकि राज्य बोर्डों को उन को प्राप्त करने में सहायता मिल सके।

(घ) मार्च 1965 के अन्त में लगभग 200 गहरे नलकूप ऐसे थे जिन को बिज ी न मिली, चाहे बाकी हर पहलु से वे सम्पुर्ण थे। गहरे नलकूपों की औसत लागत, बिजली की कीमत को निकाल कर 60,000 रुपये होती है। ऐसे खोदे गये तथा निष्क्रय नलकूपों की कुल लागत, मार्च, 1965 के अन्त तक 120 लाख रुपये थी।

Shri K. N. Tiwary : May I know the total number of pumping sets which are to be installed during the Third Five Year Plan, how many of them have since been installed and the number of sets still to be installed?

Shri Shyamdhar Misra : There was a proposal to install about 2 lakh 50 thousand sets. It is hoped that this number will increase. 4 lakhs and 50 thousand sets have been installed during the three Five Year Plans. One lakh and 50 thousand sets were to be installed in each Plan and the number would come to 4 lakhs and fifty thousand.

Shri K. N. Tiwary : It has been mentioned in this statement :

> "ग्रामीण क्षेत्रों में धन के अभाव के कारण से बिजली की सप्लाई बड़े पैमाने पर न ीं हुई है। वितरण ट्रांसफार्मरों और लाइन कन्डक्टरों जैसे अत्यावश्यक सामान की ी बहुत कमी है क्योंकि उन के उत्पादन के लिये अपक्षित कच्चे माल की आय कमी है।"

May I know what action is being taken by the Government to make up this shortage of funds and raw material and by what time it will be made up completely?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : तांबे, इस्पात और अलमीनियम की कमी है। इन को विदेशों से आयात किया जाता है। हम अब अगले दो वर्षों में ग्रा ीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को निर्धारण करने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे ही यह तयार हो जायेगा तो हम माननीय वित्त मन्त्री से आवश्यक धन लेने की कोशिश करेंगे।

श्री प्र० च० बरूआ : क्या यह सच है कि जब कि विद्युत शक्ति का 25 प्रतिशत से अधिक उपभोग उद्योग करता है वहां कृषि को केवल 4 प्रतिशत ही मिलता है और यदि हां, तो चौथी योजना में कृषि को विद्युत का अपना पूरा भाग मिले इस के क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री कु० ल० राव : 7 लाख पम्पों को विद्युत देकर इस प्रतिशत को 5 से 10 प्रतिशत कर देने का उद्देश्य है।

श्री कर्गी सिंहजी : क्या सरकार की योजना राजस्थान नहर परियोजना में उठाऊ सिंचाई को बढाने के लिये फालतू धन को प्रयोग करने की है विशेषकर कोई प्रस्ताव इन पम्पों का प्रयोग करके राजस्थान नहर में छोटे झरनो से विद्युत तैयार करने और उठाऊ सिंचाई को बढ़ाने का है ?

डा० कु० ल० राव : जब उठाऊ सिंचाई योजना पर कार्य आरम्भ किया जायेगा और इस की मंजूरी दी जायेगी तो इस के लिये बिजली भी उपलब्ध कर दी जायेगी। बिजली के लिये कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि जलधारा 12 फूट की ऊंचाई से गिर रही होगी तो इस से बिजली तैयार की जायेगी।

श्री रेड्डियार : इस तथ्य को देखते हुए कि जल्दी पैदा होने वाली फसलों के उत्पादन के लिये उपाय किया जाना आवश्यक है तो क्या माननीय मन्त्री उन कुओं को जो प्रेषण लाइन के निकट हैं, विद्युत देने पर विचार करेंगे ?

डा० कु० ल० राव : जो कुएं प्रेषण लाइनों के निकट है उन को आवश्य ही उच्चतम प्राथमिकता मिलेगी। मेरा विचार था कि यह किया जा रहा है।

श्री शशिरंजन : यह स्पष्ट है कि बहुत कम प्रतिशत में बिजली कृषि को दी गई है। हमारा अनुभव यह है कि कृषि को दी जाने वाली इस थोड़ी बिजली का भी प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि गहराई तक खुदाई नहीं हुई है या कभी बिजली दी जाती है और कभी नहीं दी जाती है। क्या माननीय मन्त्री के पास ऐसी कोई गणना है या उन के पास कोई रिपोर्ट है ताकि यह पता चल सके कि यह जो 4 या 5 प्रतिशत बिजली सप्लाई की जाती है इस में एक प्रतिशत का भी प्रयोग नहीं किया गया है; यदि यह सच है तो यह देखने के लिये जो बिजली सप्लाई की जाती है उस को पूरी तरह प्रयोग हो माननीय मन्त्री क्या कदम उठा रहे हैं ?

डा० कु० ल० राव : मुझे इस बारे में अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि कुएं काम नहीं कर रहे हैं। या बिजली का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। दूसरी ओर हमें बिजली के लिये अधिक प्रार्थना पत्र प्राप्त हो रहे हैं।

श्री पु० र० पटेल : कुछ समय पूर्व माननीय मन्त्री ने विद्युत मण्डलों के सभापतियों को सम्बोधित करते हुए कहा था कि कृषि के लिये बिजली अधिक से अधिक 9 पैसे प्रति एकक की दर से दी जायेगी। दूसरे उन्होंने कहा था कि कुओं को बिजली से चलाया जाना चाहिये और कि आज केवल 10 प्रतिशत कुएं डिज़ल पावर या बिजली की शक्ति से चलते हैं। तीसरे उन्होंने यह भी कहा था कि सोवियत संघ में कृषि पर खर्च होने वाली बिजली की $\frac{1}{4}$ दर दूसरे उपभोक्ताओं से ली जाती है। माननीय मन्त्री ने जो कुछ कहा था वह उस को कबतक कार्यान्वित कर देंगे ?

डा० कु० ल० राव : जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है वह 9 पैसे प्रति एकक नहीं था। हां, कुछ मास पूर्व हम ऐसा करने की सोच रहे थे परन्तु लागत के कुछ और बढ़ जाने से कृषि के लिय बिजली सप्लाई करने के लिये जो कम से कम मूल्य हम ने सोचा है वह 12 पैसे प्रति एकक है।

दूसरी बातों के लिये मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इन सब बातों को नोट किया था। सरकार का लगभग यही उद्देश्य होगा कि वह कृषकों को उपर बताई गई दर पर बिजली सप्लाई करके उनकी सहायता करे।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या मैं जान सकता हूं कि ये 200 कुएं जो काम नहीं कर रहे हैं और जिन पर 1 करोड़ 20 लाख रुपया व्यय किया गया ह कहां पर हैं और क्या सरकार ने कोई समय सूची बनाई है कि ये नलकूप कब तक चालू कर देगी ?

डा० कु० ल० राव : ये नलकूप निम्नलिखित स्थानों पर हैं :

गुजरात	9
मध्य प्रदेश	15
उत्तर प्रदेश	48
पश्चिमी बंगाल	98
राजस्थान	30
कुल	200

मुझे खेद है कि इन 200 कुएं को, जो कि कृषि के कार्यों के लिये बहुत लाभदायक होंगे, चालू नहीं किया गया है। हम कुछ अतिरिक्त धन लेने की कोशिश कर रहे हैं और हम नलकूपों को चालू करने के लिये अधिमान देने के लिये कोशिश कर रहे हैं।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : क्या सरकार ने इन नलकूपों को चालू करने के लिये कोई समय-सीमा नियत की है ?

डा० कु० ल० राव : वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इन नलकूपों को चालू कर दिया जायेगा।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मन्त्री को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के बांडा जिले के बुंदेलखण्ड क्षेत्र में, जिस को उत्तर प्रदेश का अधिक अन्न उगाने वाला क्षेत्र समझा जाता है, चट्टानों में छेद करने वाली मशीनों और रिग के उपलब्ध न होने के कारण नलकूपों के निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है ?

डा० कु० ल० राव : यह प्रश्न नलकूपों के निर्माण से सम्बन्ध रखता है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यदि नलकूप लगाये जाते हैं तो वे बहुत लाभदायक होंगे। यह बहुत सम्भव है कि रिग के अभाव के कारण उन के निर्माण कार्य में विलम्ब हो रहा है।

श्रीमती रेणुका राय : विवरण से मालूम हुआ है कि एक मुख्य कारण कच्चे माल का अभाव और वितरण ट्रांसफारमर्ज़ और लाइन कण्डक्टरों की सप्लाई की कमी है। क्या इस कच्चे माल के बदल ढुंढने की भारत में कोशिश की जा रही है। क्या मैं यह भी जान सकती हूं कि इस बारे में विदेशी मुद्रा की क्या स्थिति है और क्या ये माल पूर्णरूप से भारत में उपलब्ध हो सकते हैं ?

डा० कु० ल० राव : इन चीजों के यथासम्भव शीघ्र स्थानापन्न की कोशिश करना आवश्यक है। वास्तव में कम शक्ति के ट्रांसफार्मरों के लिये तेल और इन्सुलेशन पेपर

के स्थान हम भारत में से ही तेल और पेपर की तलाश कर रहे हैं। परन्तु इस में कुछ समय लगगा। परन्तु इस कारण इस काम में कोई विलम्ब न हो हम इन चीजों की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है मैंने बिजली बोर्डों को कच्चे माल को न्यूनतम आवश्यकताओं की सूचना देने को कहा है और एक बार यदि यह सूचना प्राप्त हो जाती है तो हम वित्त मन्त्री को इस के लिये पहुंच करेंगे।

श्रीमती रेणुका राय : इन के स्थानापन्न के लिये क्या किया जा रहा है।

डा० कु० ल० राव : मैंने अभी बताया है कि स्थानापन्न के लिये विभिन्न गवेषणा संस्थाओं द्वारा गवषणा करने की कोशिश कर रहे हैं।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether the Hon. Minister is aware of this thing that the loan which was given for the purchase of pumping sets had not actually been used for that purpose and if so, whether these sets have also been included in the figures available with the Hon. Minister?

Shri Shyam Dhar Mishra : I have got full information in this regard. A committee was appointed by the Programme Evaluation Organisation which investigated this matter. This committee has reported that the loans given to the people for the purchase of pumping sets have been properly utilized. At some places it might have been misused and if any case is pointed out that can be looked into.

श्री बड़े : विवरण से पता लगा है कि 203 नलकूपों को बिजली नहीं दी गई है जब कि वे और प्रत्येक पहलू से पूर्णरूप से तैयार थे। माननीय मन्त्री ने मध्यप्रदेश के बारे में कुछ आंकड़े बताये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि वहां पम्पों के फेल होने का कारण चम्बल बिजली की शक्ति का अभाव है या इस कारण से है कि राज्य सरकार ने केन्द्र से सहायता मांगी थी और केन्द्र ने सहायता देने से इन्कार कर दिया था?

डा० कु० ल० राव : मुझे खेद है कि मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं विश्वास से नहीं बता सकता कि वे 15 कुएं उस क्षेत्र में आते हैं जिस को चंम्बल परियोजना से बिजली दी जाती है या दूसरे क्षेत्र में जहां दूसरी परियोजनाओं से बिजली दी जाती है। मैं यह सूचना प्राप्त करने की कोशिश करूंगा।

विदेशी सहायता का उपयोग

+

*602. **श्री कपूर सिंह** :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने हाल में विशिष्ट परियोजनाओं के लिए दी गई बिदेशी सहायता के उपयोग के बारे में ब्यौरा प्रकाशित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि विशिष्ट परियोजनाओं के लिए दी गई सहायता के उपयोग में सामान्य रूप से देर होती है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या चौथी योजना के लिये हमने अधिक इकट्ठी गैर परियोजना सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो हमारी प्रार्थना पर भारत सहायता कंसर्टियम के सदस्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) विशिष्ट प्रायोजनाओं के लिए दी गयी विदेशी सहायता के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा निकाले गये "विदेशी सहायता 1964" नामक वार्षिक प्रकाशन में दी गयी है। यह प्रकाशन माननीय सदस्यों के लिए सितम्बर 1965 में उपलब्ध किया गया था।

(ख) जी, हां। इस सम्बन्ध में "विदेशी सहायता का उपयोग 1964" विषयक रिपोर्ट के अध्याय iv की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह रिपोर्ट सभा की मेज पर 16 अप्रैल, 1964 को रख दी गयी थी।

(ग) और (घ) : चूंकि चौथी आयोजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए भारत सरकार ने भारत सहायता संघ के सदस्यों से चौथी आयोजना के लिए सहायता देने के लिए अभी निवेदन नहीं किया है, लेकिन सरकार की नीति यही है कि प्रायोजना से भिन्न कार्यों के लिए दी जाने वाली सहायता में वृद्धि करवायी जाय।

श्री कपूर सिंह : क्या यह सच है कि समाजवादी कहलाने वाले देश हमें बिना शर्त गैर-परियोजना सहायता देने में अतिच्छुक हैं और यदि हां, तो क्या यह हम पर राष्ट्रीयकरण ठोंसने की शर्त है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : नहीं, समाजवादी देश हमें जो सहायता देते हैं उस को हम "परियोजना सहायता" कहते हैं। वह सहायता उन परियोजनाओं के लिये होती है जिन के अन्तर्गत फैक्टरीयों में हम निर्माण कार्य आरम्भ करते हैं। हम भारत में उनके द्वारा स्थापित की गई परियोजनाओं के लिये उपकरणों फालतू पूर्जों और दूसरे सहायक उपकरणों के लिये सहायता प्राप्त करने के प्रश्न पर बातचीत कर रहे हैं। मेरा विचार नहीं है कि हमें जो सहायता दी जाती है वह किसी प्रकार हमारी आर्थिक नीतियों को प्रभावित करने के लिये दी जाती है।

श्री कपूर सिंह : मुझे और कोई प्रश्न नहीं करना है। परन्तु उन्होंने मेरे प्रथम प्रश्न को टाल दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमारी ओर से परियोजनाओं की तैयारी के वास्तविक कार्य को तेज करने और इन परियोजनाओं के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिये क्या विशेष कदम उठाये गये हैं क्योंकि यह भी ऋण को उपयोग करने में विलम्ब का एक बड़ा कारण है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य का मतलब तीसरी योजना की परियोजनाओं से है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जी, हां।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है। मेरा विचार है इस प्रयोजन के लिये कार्यप्रणाली को काफी कड़ा कर दिया गया है। क्या हो रहा है इस के बारे में हमें अब पहले से अधिक सूचना है। यद्यपि विलम्ब सशर्त परियोजनाओं के कारण है फिर भी और कई कारण हैं। वास्तव में यदि परियोजनाओं के लिये ऋण विश्व बैंक से मिलता है तो इस की जांच में काफी समय लग जाता है। फिर भी

काफी अच्छी मात्रा में सहायता का उपयोग किया गया है। 1961–62 में 251 करोड़ रुपये की 1962–63 में 325 करोड़ रुपये, 1963–64 में 404 करोड़ रुपये, 1964–65 में 507 करोड़ रुपये और इस वर्ष अप्रैल और सितंबर के बीच 265 करोड़ रुपये की सहायता का इस्तेमाल किया गया है। मेरा विचार है कि हम इस ओर प्रगति कर रहे हैं।

बर्ड हैलगर्स समवाय-समूह के शेयर

*603. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्ड-हैलगर्स समवाय-समूह के अधिकांश शेयर हाल में समवाय-समूह के अधिकारियों को हस्तांतरित कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस हस्तांतरण के लिए सरकार से पूर्व अनुमति मांगी और ले ली गई है तथा किस आधार पर?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख) : मेसर्स बर्ड ऐण्ड-कम्पनी (प्राइवट) लिमिटेड और मेसर्स एफ० डब्ल्यू० हैलगर्स ऐण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड ने समवाय अधिनियम की धारा 346 (1) के अधीन 1 जनवरी, 1964 और उसके बादसे आवेदन-पत्र भेजकर क्रमश: 63,967 और 47,245 शेयरों के हस्तांतरण के लिये समवाय विधि बोर्ड की स्वीकृति प्राप्त की। दोनों कम्पनियों के सामान्य और तरजीही शेयरों की कुल संख्या क्रमश: 70,505 और 40,005 है। स्पष्ट है कि इनमें से कुछ शेयर उल्लिखित अवधि में अनेक बार हस्तांतरित किये गये हैं। लेकिन सरकार को जो सूचना प्राप्त है उस के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि इन हस्तांतरणों के कारण इन दोनों कम्पनियों के अधिकांश शेयर इन कम्पनियों के अधिकारियों को हस्तांतरित हो गये हैं या नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस समवाय द्वारा किये गये अपराधों के कारण उस पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जो जुर्माने किये गये थे उन में से एक बड़ी राशि अभी वसूल की जाती है इस को देखते हुए क्या सरकार जुर्माने की राशि की वसूली को सुनिश्चित करने के लिये अंशों के हस्तांतरण के समय अंशों के कुछ भागों को लेने के लिये कदम उठाये थे या प्रयास किये थे?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह स्थिति तब उत्पन्न होगी जब राशि वसूल नहीं होगी। मैं किसी निश्चय से नहीं बता सकता परन्तु मेरा विचार है कि उन्होंने कुछ राशि दे दी थी और शेष राशि देने के लिये सीमा-शुल्क अधिकारियों से कुछ अधिक समय मांगा था। यदि राशि प्राप्त नहीं होती है तब अंशों को अर्जित करने का या इस से सम्बन्धित किसी दूसरी बात पर विचार किया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो निदेशक देश छोड़कर चले गये हैं उन के उपर जो जुर्माने किये गये थे उन की राशि की प्राप्ति के कार्य में क्या प्रगति हुई है और क्या इस समवाय के नये मालिकों ने ऐसा कहा चाहिये कि कार्यपालिका के उच्च अधिकारियों किसी प्रकार इस बात का उत्तरदायित्व लेंगे कि यह राशि प्राप्त की जायेगी?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या सरकार का ध्यान बर्ड-हैलगर्स ग्रुप के सभापति श्री प्रान प्रसाद द्वारा बुलाये गये समाचार सम्मेलन की ओर गया है जिस में उन्होंने बताया है कि बर्ड-हैलगर्स के अंशों को बर्ड एण्ड कम्पनी और हैलगर्स के 1250 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों ने क्रय

कर लिया है और कि इन को निवृत्तिवेतन, भविष्य निधि और अधिवार्षिकी निधियों से राशि लेकर क्रय किया गया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह ऐसा मामला है जिस के बारे में मैं कुछ बताने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि जब तक मेरे पास तथ्य न हों मैं कुछ राय नहीं दे सकता। हमारे पास अभिलेख के अनुसार जो भी जानकारी उपलब्ध थी, हम ने दे दी है।

श्री दाजी : इस समवाय के हस्तांतरण की मंजूरी देने से पूर्व क्या सरकार ने जांचपड़ताल की थी या सरकार ने जानकारी एकत्र की थी कि भूतपूर्व मालिकों से जुर्माने की वसूली के लिये पर्याप्त राशि बच जायेगी ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं कानूनी स्थिति के बारे में कुछ नहीं बता सकता परन्तु फिर भी मेरा विचार यह है कि कानूनी स्थिति यह है कि अंशों के हस्तांतरण के बावजूद जुर्माना देने का उत्तरदायित्व समवाय का ही है। कम्पनी की परिसम्पत् को जुर्माने के विरूद्ध रोका जायेगा।

श्री दाजी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया। मैं उस जुर्माने के बारे में पूछा रहा हूं जो समवाय के निदेशकों के विरूद्ध व्यक्तिगत रूप लगाया गया है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैंने बताया है कि जहां तक निदेशकों के विरुद्ध जुर्माना वसूल करने का प्रश्न है मैं तब तक कोई उत्तर नहीं दे सकता जब तक मैं यह पता न लगा लूं कि इस समय स्थिति क्या है। इसलिये मैंने कहा था कि मुझे सूचना चाहिये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या हस्तांतरण के कानूनी और तकनीकी पहलूओं की जांच की गई है और क्या हस्तान्तरण के पश्चात् जुर्माने देने का उत्तरदायित्व इसी कम्पनी पर रहेगा ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा मैं बताया है कि कानूनी स्थिति यह है कि हस्तांतरण के बावजूद समवाय के संसाधन जुर्माने की प्राप्ति के लिये उपलब्ध होंगे।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या माननीय मन्त्री ने इस चीज का अनुमान लगाया है कि युरोपियन निदेशकों जो कि देश छोड़ कर चले गये हैं जैसे कि श्री पिलकिंगटन, के पास कुल कितने अंश हैं या उन अंशों का मूल्य कितना है और यदि हां तो उन अंशों का क्या होगा ? क्या वे भी हस्तांतरित कर दिये जायेंगे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मुझे इस बारे में ठीक स्थिति मालूम नहीं है। इसलिये मैं नहीं बता सकता कि उन अंशों का क्या होगा।

समय से पूर्व सेवानिवृत्त होने की योजना

+

*604. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री श्यामलाल सर्राफ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार सिंह :
श्री बड़े :
श्री गौरी शंकर कक्कड़

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मितव्ययता लाने की दृष्टि से मध्यम आय वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समय से पूर्व सेवानिवृत्ति मांगने के लिए प्रेरित करने के हेतु एक योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख) : सिद्धान्त रूप में यह निर्णय किया गया है कि कर्मचारियों की संख्या में कमी करने के उद्देश्य से ऐसे कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति सम्बन्धी पर्याप्त लाभ प्रदान किये जायं जो समय से पहले सेवा-निवृत्त होना चाहें। ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether these persons will be granted full pension or not?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : निवृत्तिवेतन के लिये कुछ बातों पर जोर देने का विचार है। यह बात सम्बंधित लोगों पर छोड़ दी जायेगी कि वे दिये जाने वाले लाभों के आधार पर निवृत्त हों या न हों।

Shri Yashpal Singh : Will they be allowed to serve in the private concerns after retirement?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरा विचार है कि यदि वे उच्च वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे तो उन को आज्ञा दे दी जायेगी।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : How much extra amount will be given to the persons whom the Government facilitate to retire?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जैसा मैंने बताया हम ने समय से पूर्व सेवानिवृत्ति के मामले में सेवानिवृत्ति के लाभों की योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया है और प्रत्येक मामले की गुणों के आधार की जांच की जायगी। मान लो एक व्यक्ति ने 21 वर्ष सेवा की और मान लो कि सरकार उस को कहती है कि 5 वर्ष का लाभ दिया जायेगा, तो कुल उस की 26 वर्ष की सेवा समझी जायेगी। मुझे ठीक सूत्र का मालूम नहीं है परन्तु शायद जो वेतन वह लेता है उस का 26/80 के हिसाब से उस को सेवानिवृत्ति लाभ दिया जायेगा।

Shri Bade : The Hon. Minister has just now told that question have been asked to him about the retirement of middle aged persons. I would like to know when he was asked about this and what reply has been given from him and the percentage of the staff who will be retired?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यह सब कुछ बताना
विचाराधीन है और जब योजना तैयार हो जायेगी तो इ
जायेगा। वे क्या करना चाहेंगे यह उन पर छोड़ दिया जायगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

World Bank suggestions regarding Deficit Financing

*595. **Shri D. N. Tiwary** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the World Bank has suggested to the Government of India that during the coming few years, efforts should be made to develop the results of last Five Year Plans, to avoid deficit financing and to increase the rates of interest on bank and public debts;

(b) if so, the full details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Loss of Crops due to paucity of water

***605. Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that crops in the Ganga Canal and Bhakra Canal areas have been destroyed to a considerable extent due to paucity of water in those areas this year consequent upon the diversion of the water to Pakistan; and

(b) if so, the reasons for not taking any suitable steps to meet the shortage of water in those areas?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Under the Indus Water Treaty, the Water in the Eastern Rivers are to be shared with Pakistan up to 1970 or latest 1973. This sharing of waters does diminish the supplies that could have been otherwise utilised in India. Irrigation in the Ganga Canal and Bhakra Canal areas was adversely affected due mainly to the failure of rains and consequent low supplies in the river.

(b) The difficulty has been mitigated to some extent by proper regulation of the available supplies and putting in tube wells.

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों का ज्ञापन

***606. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना के डाक्टरों ने प्रधान मंत्री को ज्ञापन पेश किया है कि वह उनकी सेवा की शर्तों तथा पारिश्रमिकों के मामले में स्वयं निर्णय करें; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के कुछ अधिकारियों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया था। उसमें यह मांग की गई थी कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा की द्वितीय श्रेणी से जनरल ड्यूटी मेडिकल अफसरों के प्रथम श्रेणी के ग्रेडमें पदोन्नति के लिये कोई अर्हता परीक्षा (क्वालिफाइंग टेस्ट) नहीं होनी चाहिये। इस विषय पर भारत सरकार ने पहले भी विचार किया था और यह निश्चय किया गया था कि प्रथम श्रेणी में पदोन्नत होने वाले डाक्टरों में कोई न्यूनतम आवश्यक व्यावसायिक क्षमता है या नहीं यह जानने के लिये नियमतः एक अर्हता परीक्षा होनी चाहिए।

सूडान को ऋण

***607. श्री यशपाल सिंह** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूडान में उद्योगों की स्थापना के लये 5 करोड़ रुपये का ऋण देने के बारे में सूडान सरकार से निर्णायक रूप से बातचीत पूरी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) और (ख) : जी, नहीं। ऋण की शर्तों का तय होना अभी बाकी है।

बिजली पैदा करने में सोवियत सहायता

*608. श्री बासप्पा :

श्री दी० चं० शर्मा :

श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निकट भविष्य में सोवियत संघ भारत में बिजली पैदा करने के लिये बड़े पैमाने पर सहयोग देगा और

(ख) यदि हां, तो किस हद तक ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख) : दो बिजली उत्पादन स्कीमें नामशः नेवेली ताप बिजली केन्द्र चरण 3 और लोअर सिलेरु पन बिजली परियोजनाहीं रुस से सहायता के लिये आयोजित हैं। नेवेली चरण 3 के लिये रुस द्वारा "वर्किंग ड्राइंगस्" तैयार करने के सम्बन्ध में रुस से एक करार हो गया है। इस कार्य पर 25 लाख रुपये व्यय होंगे जो कि वर्तमान ऋणों के अधीन बचत में से पूरें कर लिये जायंगे। परियोजना के लिये इस्पात के आयात के लिये रुसी व्यापार संधी के अधीन लगभग 36 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा का भी बन्दोबस्त किया गया है। जहां तक लोअर सिलेरु परियोजना का सम्बन्ध है, रुस से किस प्रकार की सहायता और किस प्रकार का सामान प्राप्त किया जाए और किस प्रकार का सामान देश संसाधनों से प्राप्त किया जाए इस के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

हरिद्वार में स्थित भारत हैवी ईलेक्ट्रिकल्स का कारखाना जिस को रुसी सहायता से स्थापित किया जा रहा है, आशा है कि वह ताप तथा पन बिजली केन्द्रों के लिये यंत्र तथा साज सामान बनाने की क्षमता उत्पन्न करेगा।

रोग का कारण वाइरस

*609. श्री हरि विष्णु कामत : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है वैज्ञानिक अनुसन्धान ने सिद्ध कर दिया है कि मानव शरीर में रोग का कारण आवश्यक रूप में अथवा मुख्यतः "बैसिलस" अथवा "वाइरस" नहीं होते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अनुसन्धान के ठोस तथा निश्चित परिणाम से क्या संकेत मिलता है; और

(ग) इस समस्या पर भारत में किए जा रहे अनुसन्धान के ब्यौरे क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : मानव शरीर में रोग के अनेक कारण हैं जैसे परजीवि, चयापचयिक विकार, कुपोषण आदि। यह आवश्यक नहीं कि इसका कारण जीवाणु और वाइरस ही हों।

(ग) सम्बन्धित क्षेत्रों में जहां अनुसन्धान किया जा रहा है ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अनुसन्धान केन्द्र इस प्रकार हैं :—

(1) वाइरस अनुसन्धान केन्द्र, पूना

(2) पोषण अनुसन्धान प्रयोग शालायें, हैदराबाद

(3) केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान्, कसौली

(4) राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली।

इन संस्थाओं के विभिन्न पहलूओं पर उन मेडिकल कालेजों में अनुसंधान कार्य किया जाता है जहां स्नातकोत्तर अनुसंधान की सुविधायें मौजूद हों।

Allowances to officials going abroad

*610. **Shri Ram Sewak Yadav** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government officials going abroad on official business receive their allowance in foreign currency;

(b) if so, whether the foreign currency which is not spent in foreign country is returned to Government or becomes the personal property of the person concerned;

(c) whether Government have come across cases where foreign currency acquired in the form of allowances has been sold on profit; and

(d) if so, whether any legal action can be taken against the persons resorting to such practices?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : (a) Yes, Sir. Normally such payments are made by the Indian Missions abroad.

(b) If any foreign currency is not spent the officer has the option to return it to Government at the Embassy or to surrender it through a Bank within 30 days of arrival in India, in accordance with the normal exchange control regulations.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Checking of Inflation

*611. **Shri Sidheshwar Prasad :**
Shri Onkar Lal Berwa :
Shri D. C. Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government have any measures under contemplation to check inflation and consequent rise in the price line;

(b) whether there has been an exchange of views with the Chief Ministers of States also in this connection recently; and

(c) if so, the steps proposed to be taken to check inflation and hold the price line?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : (a) to (c). Government's measures to check rise in prices have been announced from time to time. It is Government's policy to check deficit financing, keep the expansion of bank credit within limits and to ensure equitable distribution of essential commodities through specific price and distribution controls. Consultations have been held in this connection with the Chief Ministers of States. Such further measures as are necessary will be taken.

श्रीलंका को ऋण

612. **श्री प्र० चं० बरूआ :** : **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री मुहम्मद कोया : **श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने श्रीलंका को 2 करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण देने देने की पेशकश की है ताकि श्रीलंका भारत से उपभोक्ता माल खरीद सके;

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) करार के अन्तर्गत श्रीलंका को क्या विशिष्ट वस्तुएं तथा कितने मात्रा में भेजी जायेंगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) इस तरह के किसी ऋण के बारे में विचार किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) : उद्देश्य यह है कि इस ऋण से उपभोक्ता वस्तुएं खरीदी जाएं । खरीदी जाने वाली वस्तुओं और ऋण की शर्तों के बारे में बातचीत चल रही है ।

कुछ ब्रिटिश उद्योगों द्वारा ब्रिटेन को भेजा गया मुनाफा

***613. श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) 1956 से अब तक मुनाफे की कुल कितनी रकम ब्रिटिश उद्योगों द्वारा ब्रिटेन को भेजी गई;

(ख) पेट्रोलियम, बागान तथा निर्माण उद्योगों से क्रमश: कितना कितना मुनाफा भेजा गया;

(ग) मुनाफे में से भारत में कितना रुपया पुन: उद्योगों में लगाया गया और वह मुख्यत: किन किन उद्योगों में लगाया गया; और

(घ) भारत तथा ब्रिटेन, दोनों देशों में, पंजीकृत ब्रिटिश कम्पनियों ने जो भारत में व्यापार करती हैं, कुल कितना मुनाफा कमाया ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होते ही उसे लोक सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

पानी को कथित रूप से रोक देने के बारे में पाकिस्तान का विरोध

614. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार तथा विश्व बैंक से सिन्धु बेसिन जल सन्धि के अन्तर्गत स्वीकृत पानी देना बन्द करने के बारे में विरोध प्रकट किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) पाकिस्तान का यह आरोप कि उनको दिये जाने वाले पानी को बन्द कर दिया गया है या उसमें कमी कर दी गई केवल निराधार हीं नहीं अपितु तथ्यों के विपरीत भी है ।

संयुक्त राज्य अमरीका के साथ विनियोजन की गारंटी सम्बन्धी करार

***615. श्री दी० चं० शर्मा** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका के साथ विनियोजन की गारंटी सम्बन्धी करार की अवधि बढाने का निर्णय किया गया है;

(ख) क्या इस करार का क्षेत्र बढ़ाने का विचार जिससे युद्ध तथा क्रान्तियों से उत्पन्न जोखम में विदेशी विनियोजनों के लिए समुचित संरक्षणों की पर्याप्त व्यवस्था हो सके; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा उसकी क्रियान्विति के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के साथ 19 सितम्बर, 1957 और 7 दिसम्बर 1959 को क्रमशः मुद्रा की अपरिवर्तनीयता और सम्पत्ति की जप्ती से होने वाली हानी की पूर्ति के लिये जो दो करार हुए है व किसी खास अवधि के लिये नहीं हैं, बल्कि वे तब तक लागू रहेंगे जब तक कि उन्हें रद्द नहीं कर दिया जाता। इसलिए निवेश गारंटी सम्बन्धी इन करारों की अवधि बढ़ाने का सवाल ही पदा नही होता।

(ख) और (ग) : इस सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच बातचीत हो रही है और आशा है कि जल्दी ही एक करार पर हस्ताक्षर हो जायेंगे।

पंजाब के सीमावर्ती जिलों को रिआयती दरों पर ऋण

***616. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने विशिष्ट सीमावर्ती जिलों में उद्योग और व्यापार को फिर से कायम करने के लिये ऋण लेने वाले व्यक्तियों को रिआयती दरों पर ऋण देने के लिये विभिन्न अनुसूचित बैंकों को लिखा है;

(ख) क्या अनुसूचित बैंकों ने कोई कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो बैंकों के नाम क्या हैं और उनके द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रिजर्व बैंक का विचार इस सम्बन्ध में कोई और कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) जी, हां।

(ख) बैंकों ने आवश्यक मात्रा में ऋण सुविधाएं देना मान लिया है।

(ग) सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें प्रमुख बैंकों के नाम दिये गये हैं। इन बैंकों के स्थानीय एजेण्टों से कहा गया है कि वे इस बात की पक्की व्यवस्था करें कि बैंक सम्बन्धी सभी सामान्य सुविधाएं मिलती रहें और विशेषकर नये ऋणों के लिये या वर्तमान ऋणों की सीमाएं बढ़ाने के प्रार्थना-पत्रों को, बिना किसी रुकावट के, स्वीकार किया जाय।

(घ) रिजव बैंक, सीमावर्ती क्षेत्रों में काम करने वाले बैंकों से निकट सम्पर्क बनाये हुए है। यदि रिजर्व बैंक का ध्यान किसी बड़ी शिकायत या कठिनाई की ओर दिलाया जायगा, तो इस सम्बन्ध में, आवश्यकतानुसार आगे कार्रवाई करने के प्रश्न पर विचार किया जायगा।

गवर्नर ने जिन बैंकों को लिखा है, उनके नाम ये हैं :—

1. बैंक ऑफ बड़ोदा
2. बैंक ऑफ इण्डिया
3. सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया
4. यूनायटेड कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया

5. पंजाब नेशनल बैंक

6. नेशनल एण्ड ग्रिण्डलेज़ बैंक

7. भारतीय राज्य बैंक (स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया)

Budget of States

*617. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether he had has any discussions recently with the State Finance Ministers on (i) co-ordination of states budgetary activities with those of the Centre, and (ii) how the state budgets should be balanced; and

(b) if so, the results or details thereof?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Rameshwar Sahu) : (a) and (b) . The Deputy Chairman of the Planning Commission and the Finance Minister had discussions with several Chief Ministers on questions like mobilisation of adequate resources for the Fourth Plan and in that context, of balancing States Budgets and were promised full co-operation in this regard.

कृषि के लिए बिजली की दरों में छूट

*618. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :** **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री मुथिया :**

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कृषि कार्यों के लिये बिजली की दरों में छूट देने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या कृषि को एक उद्योग मानने के बारे में कोई निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तथा (ख) : कृषि संबंधी उद्देश्यों के लिये बिजली के दर जहां 12 पसे प्रति यूनिट से अधिक हैं वहां उपदान देने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। उपदान की राशि को केन्द्र और सम्बद्ध राज्य 50 : 50 के अनुपात में बाटेंगे ।

(ग) जी, नहीं ।

दिल्ली में मूल्यों में वृद्धि

*620. **श्री प्र० चं० बरूआ :**

श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि नवम्बर, 1965 में राजधानी में सभी अत्यावश्यक वस्तुओं के भाव काफी बढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न अत्यावश्यक वस्तुओं के भावों में कितनी वृद्धि हुई; और

(ग) भाव कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) से (ग) : एक विवरण, जिसमें आवश्यक जानकारी दी गयी है, सभा की मेज पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०-5287/65**।]

परिवार नियोजन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र दल का प्रतिवेदन

*621. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 26 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 229 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) परिवार नियोजन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितनी प्रगति की है; और

(ख) यदि प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) संयुक्त राष्ट्र दल ने एक प्रारम्भिक ड्राफ्ट रिपोर्ट तयार कर ली है। सरकार को अभी उनकी अन्तिम रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

अमरीकी सहायता

*622. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० रानेन सेन :
श्री दीनेन भट्टाचार्य :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अमरीका ने आर्थिक सहायता सम्बन्धी अपने पूरे कार्यक्रम को फिर से आरम्भ करने के लिये पूर्व शर्त के रूप में भारत से कुछ आश्वासन मांगे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या आश्वासन मांगे गये हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात में कटौती

*623. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय किया है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्नों के अतिरिक्त कुछ वस्तुओं के आयात में कटौती की जाये ;

(क) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसकी क्या प्रतिक्रिया होगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (क) इस विषय पर अब भी विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) : ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें

1687. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में अब तक सरकारी क्षेत्र की कौन-कौन सी परियोजनायें अपने मूल प्राक्कलनों से अधिक लागत पर पूरी हुई है;

(ख) प्रत्येक मामले में कितनी अधिक लागत आई है; और

(ग) मूल प्राक्कलनों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : सूचना इकट्ठी की जा रही है।

आवास योजनाओं का निलम्बन

1688. **श्री लिंग रेड्डी :**

श्री कोल्ला वेंकैया :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात-काल की दृष्टि से आवास योजनाओं को निलम्बित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में निलम्बित की जाने वाली योजनाओं पर कुल कितनी लागत आनी थी;

(ग) क्या निणय करने से पहले राज्य सरकारों से सलाह कर ली गई थी;

(घ) यदि हां, इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया थी;

(ङ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं; और

(च) क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की स्थिति क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : जी नहीं, परन्तु 1966-67 के खर्चे में कुछ कमी की संभावना है। तथापि इस समय कमी की ठीक सीमा नहीं बताई जा सकती।

(ग), (घ) और (ङ) : आवास कार्यक्रम राज्य सरकारें बनाती हैं। आपात-काल को दृष्टि में रखते हुए स्वयं उन्होंने 1966-67 के अपने खर्चे में कमी का सुझाव दिया है।

(च) जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबध है, सभी वर्तमान आवास योजनायें चालू रहेंगी।

श्रीसेलम जल-विद्युत परियोजना

1689. **श्री कोल्ला वेंकैया** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री 21 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1334 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीसेलम जल विद्युत् परियोजना के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा अपेक्षित तथा मांगी गई विदेशी मुद्रा की शेष धनराशि इस बीच मंजूर कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) से (ग) : इस उद्देश्य के लिये विदेशी सहायता को प्राप्त करने की सम्भाव्यता पर विचार किया जा रहा है।

प्रति व्यक्ति शुल्क

1690. श्री अ० क० गोपालन : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि अलप्पी चिकित्सा कालेज के प्राधिकारियों ने प्रति व्यक्ति शुल्क के रूप में 102500 रुपये की राशि एकत्र की है; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री डा० सुशीला नायर : (क) सरकार को मालूम है कि टी० डी० मेडिकल कालेज, अल्लपी ने प्रति व्यक्ति शुल्क के रूप में पर्याप्त धन एकत्र किया है किन्तु ठीक ठीक कितनी रकम वसूल की है यह मालूम नहीं है।

(ख) केरल सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशों के अनुसार यह संस्था जुलाई, 1965 से प्रति व्यक्ति शुल्क नहीं ले रही है।

Trachoma

1691. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Utiya :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the names of various regions in India in which the World Health Organisation has conducted a survey for studies in trachoma;

(b) whether they have made any suggestions regarding the causes and diagnosis of the disease; and

(c) if so, the reaction of Government thereto?

Minister for Health Dr. Sushila Nayar : (a) The world Health Organisation conducted a survey for studies in trachoma in a few selected rural and urban areas in Uttar Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Bihar, Mysore and Jammu & Kashmir.

(b) Yes.

Medical Treatment of Children

1692. Shri Utiya :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) the important steps taken by Government in the field of medical treatment of children during the current year so far;

(b) whether Governments of foreign countries have also given some aid for this purpose; and

(c) the number of hospitals for children in India at present?

Minister for Health Dr. Sushila Nayar : (a) to (c). With the assistance of International agencies it has been possible to establish Paediatric Departments in the various medical colleges in the country. In 1964 a sum of $ 5,45,000 provided by UNICEF was utilized for expanding the facilities in 49 medical colleges and 50 District Hospitals. A further sum of $ 2,45,000 was made available in 1965 for giving assistance to 13 medical colleges and 25 District Hospitals, 3 infectious Diseases Hospitals.

There are a few well equipped and up-to-date hospitals for children in the country in Madras (Children's Hospital), Calcutta (Institute of Child Health), Hyderabad (Niloufer Hospital), Delhi (K.S. Children's Hospital), Gujarat (K. T. Children's Hospital, Rajkot), Orissa (Red Cross Children's Hospital, Cuttack) and Mysore (Children's Hospital, Bangalore), Apart from these, all major hospitals in the country have children's wards/wings attached to them.

Matatila Dam

1693. Shri Mate : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state the probable date by which the supply of electricity from Matatila Dam to Madhya Pradesh is likely to commence?

Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri S. D. Misra) : The U.P. State Electricity Board have agreed to supply about 2·5 MW of power from Matatila Power Station to Madhya Pradesh and out of this about 1 MW of power is already being supplied at Jhansi since 11-4-1965.

मद्रास में जीवन बीमा निगम द्वारा धन का विनियोजन

1695. श्री मलाइछामी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963-64, 1964-65 और 1965-66 में अब तक जीवन बीमा निगम ने मद्रास राज्य में औद्योगिक परियोजनाओं में कितनी पूंजी लगाई है; और

(ख) क्या राज्य सरकार ने जीवन बीमा निगम द्वारा उन योजनाओं में जिन को आरम्भ करने में इस समय धन की कमी के कारण विलम्ब हो रहा है, धन का विनियोजन किये जाने के लिये प्रार्थना की है?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने मद्रास राज्य में, उद्योगों में जो कुछ पूंजी लगायी है उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	रकम (लाख रुपयों में)	
1963-64	115.03	(वास्तविक)
1964-65	99.37	(वास्तविक)
1-4-1965 से 31-10-1965 तक	156.92	(कुल)

(ख) जी, नहीं।

नई दिल्ली परिवार नियोजन संस्था

1696. श्री राम हरख यादव : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या नई दिल्ली परिवार नियोजन संस्था ने समस्त दिल्ली क्षेत्र में निःशुल्क चलते फिरते क्लिनिकों की व्यवस्था करने की योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) नई दिल्ली परिवार नियोजन संघ से ऐसी कोई योजना नहीं मिली है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

House building loans to Central Government employees in Maharashtra

1697. Shri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) the number of applications received from the Central Government employees in Maharashtra for house building advance during the last six months;

(b) the number of applications for the grant of the said advance sanctioned by Government; and

(c) the total amount of loan sanctioned to them during the above period, up-to-date?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) 8.

(b) 2.

(c) Rs. 28,150.

Savings in administrative expenditure by States

1698. Shri D. S. Patil :
Shri Tulsidas Jadhav :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the names of States in which a decision has been taken to reduce unnecessary expenditure on their administration in order to increase their resources for defence requirements and development schemes;

(b) the estimated amount of savings likely to be made, State-wise, during the next five years;

(c) whether Government have recommended to the State Governments for immediate abolition of the post of Deputy Secretaries and Under Secretaries which are in excess of their requirements; and

(d) if so, the reasons for making recommendation for the abolition of these posts only?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b). These concern the State Governments and as such, the information is not readily available.

(c) No Sir.

(d) Does not arise.

दिल्ली में किलोकरी में अनधिकृत निर्माण

1699. **श्री ईश्वर रेड्डी :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री 20 जून, 1962 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3602 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली-14 में श्रीनिवासपुरी के पीछे किलोकरी में अनधिकृत निर्माण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या खसरा संख्या 136 के शेष भाग का इस बीच अर्जन किया गया है, तथा क्या उसके लिए कोई प्रतिकर दिया गया है;

(ग) क्या पूरे खसरा संख्या 131 का अथवा उसके कुछ भाग का अर्जन किया गया तथा उसके लिये प्रतिकर दे दिया गया है; और

(घ) खसरा संख्या 136 का टुकडों में अर्जन किया जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकार ने बतलाया है कि उनके ध्यान में श्रीनिवासपूरी के पीछे किलोकड़ी में अनधिकृत रूप से मकान बनाने के 155 मामले आये हैं और उन्हें गिराने के लिये कार्यवाही की जा रही है। अब तक ऐसे दो अनधिकृत मकान गिराये जा चुके हैं और अन्य चार मामले कोर्ट में चल रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) अभी किसी भाग का अर्जन नहीं किया गया है। खसरा नम्बर 136 में बने हुये मकान और खाली जगह दोनों हैं। खाली जगह के बारे में अर्जन की कार्यवाईयां पूरी हो चुकी हैं और उस पर कब्जा कर लिया गया है। जिस भाग पर निर्माण हो चुका है, उसके अर्जन के लिये कार्यवाही अभी शेष है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट

1700. श्री हरि विष्ण कामत : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में 1 अप्रैल, 1965 से खाद्य पदार्थों में मिलावट के सम्बन्ध में कितने मुकदमे चलाये गये हैं;

(ख) कितने व्यक्ति दोषी सिद्ध हुए हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या तथा कितना दण्ड दिया गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : सरकार के पास जो सूचना उपलब्ध है उस का एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5288/65।**]

दवाइयों में मिलावट

1701. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में 1 अप्रैल, 1965 से दवाईयों में मिलावट के संबंध में कितने मुकदमें चलायें गये हैं;

(ख) कितने व्यक्ति दोषी सिद्ध हुए हैं; और

(ग) प्रत्येक मामले में क्या तथा कितना दण्ड दिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों/प्रशासनों से मंगाई गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Commercial Advertisements on Radio Ceylon

1702. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the details of the amount of foreign exchange being spent at present by India on commercial advertisements through Radio Ceylon;

(b) the details of such expenditure incurred during the last ten years; and

(c) whether there is any proposal under consideration to ban such advertisements by the companies ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) A sum of Rs. 3·61 lakhs has been spent in foreign exchange during the first 10 months of 1965.

(b) The table below gives the figures for the last 10 years.

Year	Amount released in lakhs of Rupees
1955	26·89
1956	33·14
1957	16·49
1958	5·76
1959	2·48
1960	3·18
1961	3·16
1962	2·14
1963	2·47
1964	2·48

(c) No, Sir.

सरकारी कर्मचारियों को प्रसूति-अवकाश

1703. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों में काम करने वाली विवाहित महिलाओं को प्रसूति अवकाश देने के कारण कितने श्रम दिनों की हानि हुई है;

(ख) क्या ऐसी कोई सीमा है कि कोई महिला कर्मचारी इतनी बार प्रसूति अवकाश ले सकती है; और यदि हां, तो वह क्या है;

(ग) क्या परिवार नियोजन योजना की वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए इस प्रश्न पर हाल में विचार किया गया है कि ऐसा अवकाश तीन बार मिल सकता है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) पिछले 3 वर्षों के सम्बन्ध में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से सूचना प्राप्त की जा रही है। प्राप्त होते ही उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

(ख) अभी कोई सीमा-निर्धारित नहीं है ।

(ग) और (घ) : इस सम्बन्ध में एक सुझाव पर विचार किया जा रहा है ।

Revenue Collections

1704. Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Madhu Limaye :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there has been an increase in the collection of revenues of the Central Government?

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps Government propose to take to increase it further?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Compared to earlier years, the total collections of tax revenues in the current year have been higher so far.

(b) The more important reasons are :

(i) Levy of new duties; (ii) increases in the rates of certain existing duties and taxes; (iii) increases in levels of imports, production and clearance of exciseable goods; (iv) increase in the disposal of assessments and (v) special steps taken for increasing the number of assessees.

(c) Review of the existing arrangements is being made from time to time and suitable instructions are issued whenever necessary.

किराया-खरीद आधार पर मकान

1705. श्री यशपाल सिंह :
श्री मरंडी :
श्री उटिया :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा निम्न मध्य आय वर्ग के लिये अधिक मकान बनाने तथा उनको किराया-खरीद आधार पर देने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसके लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : दिल्ली विकास प्राधिकार ने निम्न एवं मध्यम आय वर्गों के व्यक्तियों में बिक्री के लिए 1726 रिहायशी मकानों के निर्माण की स्वीकृति दे दी है। इन में से 180 मकान बन चुके हैं और शेष 1546 लगभग तीन वर्ष में बन जायेंगे । ये मकान भाड़ा-खरीद आधार पर बेचे जाने के लिए नहीं हैं अपितु नकद रुपये लेकर बेचे जायेंगे।

इनके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकार का चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि में भी 12800 मकान बनाने का विचार है । इस प्रस्ताव का ब्यौरा अभी तैयार नहीं हुआ है।

(ग) इन 1726 मकानों के निर्माण पर अनुमानतः 3 करोड़ 9 लाख रुपये खर्च होंगे जिसकी पूर्ति प्राधिकार के सामान्य विकास लेखे से की जायेगी । चालू वित्तिय वर्ष के लिए संशोधित प्राक्कलन 54.48 लाख रुपये के हैं तथा 1966–67 के बजट प्राक्कलनों में 153.32 लाख रुपये की व्यवस्था की आशा है। शेष रकम अनुवर्ती एक या दो वर्षों में खर्च की जायेगी ।

चौथी पंच वर्षीय योजना में किये जाने वाले निर्माण के अनुमानित खर्च का कोई ब्यौरा अभी तक तैयार नहीं किया गया है

Electricity consumed in Ministers' residences

1706. Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to refer to the statement showing the expenditure on account of electricity consumed at the residences o

the Ministers laid on the Table in fulfilment of the assurance given in reply to Unstarred Question No. 1151 on the 5th December, 1963 and state :

(a) the names of Ministers whose electricity bills still exceed the limit fixed; and

(b) the expenditure incurred on the consumption of electricity in the residences of Ministers and out-houses attached thereto during 1964-65 and 1965-66 (up to September, 1965) month-wise?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) The limit of Rs. 200 per month voluntarily accepted by the Ministers is in respect of the combined consumption of electricity and water in the residential portions of the houses allotted to them. There is no separate limit for electricity.

(b) The required information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

Pucca Houses on plots allotted to slum dwellers

1707. Shri Madhu Limaye : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the slum dwellers in Delhi have been allowed to build pucca houses on the plots allotted to them; and

(b) if so, whether it is proposed to give ownership rights to them?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b). Slum dwellers in Delhi have not been allotted plots but built tenements on rental basis. The allottees have already been given the option to purchase these tenements on hire purchase basis over a period of 20 years.

International Commission for Irrigation and Drainage

1708. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Conference of the International Commission on Irrigation and Drainage scheduled to be held in January, 1966 has been postponed; and

(b) if not, whether the preparations for the same are being made on proper lines?

Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri S. D. Misra) : (a) No.

(b) The Central Board of Irrigation and Power, which acts as the Indian National Committee for the International Commission on Irrigation and Drainage, is making appropriate arrangements for holding the Conference.

अस्पताल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाना

1709. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या स्वास्थ्य मंत्रालय में अस्पताल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) इन कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था करने का सुझाव दिया गया है ;

(ग) क्या त्रिदलीय भारतीय श्रम सम्मेलन के अक्तूबर के अधिवेशन की विषय सूची में इस प्रस्ताव को शामिल कर लिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो सम्मेलन ने इस विषय में क्या सिफारिशें की हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) इस समय अस्पताल औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं। सरकार को इस बारे में बहुत से प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि अस्पताल कोई उद्योग नहीं हैं और अस्पतालों पर औद्योगिक विवाद अधिनियम लागू होने से अस्पतालों का वातावरण ही दूषित हो गया है। अस्पतालों को इस अधिनियम के क्षेत्र से अलग करने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

(ख) जहां तक सरकारी अस्पतालों का सम्बन्ध है इनके कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हैं और उन पर केन्द्रीय असैनिक सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम लागू होते हैं। कर्मचारियों की कर्मचारि-परिषदें भी हैं जहां उनके किसी भी वर्ग की शिकायतें सुनी जा सकती हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

टाटा फिसन उद्योगों द्वारा बनाई गई नई औषधियां

1710. **श्री प्र० चं० बरूआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स टाटा फिसन उद्योगों के औषधि निर्माण प्रभाग ने हाल ही में देशी कच्चे माल से 'डैक्स्ट्रावन" नामक एक नई औषधि बनाई है ;

(ख) क्या रुधिर प्लाजमा के आपातकालीन उपचार के लिए अन्य औषधियों के स्थान पर 'डैक्स्ट्रावन' की तुरन्त प्रयोग में लाया जा सकता है ;

(ग) क्या दुर्घटना में अथवा युद्ध में चोटें लगने के कारण अधिक रक्त निकल जाने से रक्त में से जो लोह तथा हैमोग्लोबिन नष्ट हो जाता है उसको दूसरी औषधि 'इम्फोन' शीघ्रतापूर्वक पूरा कर देती है; और

(घ) क्या सरकार ने घायल जवानों का जीवन बचाने के लिए इन दोनों औषधियों के प्रभाव का परीक्षण किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। 'डैक्स्ट्रावन' नामक औषधि मैसर्स टाटा फिसन उद्योगों के औषधि निर्माण प्रभाग द्वारा देशी कच्चे माल से बनाई जाती है। किन्तु यह कोई नई औषधि नहीं है अपितु लगभग एक दशाब्दी से देश में प्रयोग की जा रही है।

(ख) डैक्स्ट्रावन रक्त प्लाज्मा घन विस्तारक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है किन्तु यह रक्त का पूर्ण रूपेण स्थानापन्न नहीं है जिसको रक्तस्राव तथा उपघातज चोटों से सम्बन्धित आघात वाले मामलों में प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) लौह की कमी वाली रक्त क्षीणता के विशेष मामलों में इम्फोन उपयोगी होता है और इसका प्रयोग तभी बतलाया जाता है जब खाद्य लोह प्रति-दिष्ट हो अथवा या तो अप्रभावकारी हो या अव्यावहारिक हो। यह निरन्तर अत्यधिक रक्त हानि से पीड़ित रोगियों के लिये लाभदायक है।

(घ) इन औषधियों की जो देश में काफी समय से प्रयोग में लायी जा रही है प्रभावकारिता भली प्रकार सिद्ध है। और ये सभी औषध एवं अंगराग अधिनियम के अधीन मान्य भेषज संहिताओं में सम्मिलित हैं। अतः इनकी प्रभावकारिता को जांच करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Symposium on Mass Literacy

1711. Shri Onkar Lal Berwa :
Shri Dhuleshwar Meena :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a symposium on mass literacy was held in Poona for 3 days commencing from the 8th November, 1965 ; and

(b) if so, the subjects discussed therein?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Yes, Sir.

(b) A copy of the Note on Points for consideration of the National Seminar on Gram Shikshan Mohim is placed on the Table of the House. [**Placed in the Library. See No. LT.-5289/65**].

नागार्जुन सागर तथा पोचमपाद परियोजनायें

1712. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने अनाज की कमी को पूरा करने के उद्देश्य से इस वर्ष नागार्जुन सागर तथा पोचमपाद परियोजनाओं के लिये अतिरिक्त ऋण तथा अनुदानों की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि के ऋण तथा अनुदान की प्रार्थना की गई है ; और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है।

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) से (ग) : आन्ध्र प्रदेश सरकार ने चालू वर्ष के दौरान नागार्जुनसागर परियोजना के लिये 9 करोड़ रुपये और पोचमपाद परियोजना के लिये 92 लाख रुपये की अतिरिक्त ऋण सहायता मांगी थी। नागार्जुनसागर परियोजना के लिये 7.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकार कर ली गई है।

मंत्रालयों को विदेशी मुद्रा संबंधी आवश्यकतायें

1713. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मन्त्रालय ने अन्य मन्त्रालयों को निदेश दिये हैं कि वे विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं को कम से कम करने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा सम्बन्धी अपनी आवश्यकताओं पर पुनर्विचार करे ; और

(ख) यदि हां, तो मन्त्रालयों की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं। वित्त मन्त्रालय ने विदेशी मुद्रा के निर्धारणों (एलोकेशंस) की खुद ही समीक्षा की है और उन्हें घटा कर कम से कम कर दिया है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

कोपिली परियोजना

1714. श्रीमती रेणुका बड़कटकी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोपिली परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो चौथी योजना में इस परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Life Insurance in Rural Areas

1715. Shri Yashpal Singh :
Shri Kapur Singh :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there is any proposal to make arrangements for acceptance of insurance premia at Post Offices with a view to promote life insurance in villages; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b) : In certain rural areas where the Corporation desired this facility, the Post Offices have agreed to collect life insurance premia. Such post offices merely act as bankers for the Corporation.

आन्ध्र प्रदेश में आवास योजनायें

1716. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964–65 और 1965–66 में आन्ध्र प्रदेश में विभिन्न आवास योजनाओं के लिये कितनी राशि नियत की गई है ; और

(ख) अब तक कौन कौन सी योजनायें क्रियान्वित की गई हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : आध्र प्रदेश में विभिन्न आवास योजनाओं के लिये 1964–65 तथा 1965–66 में निम्नांकित नियतन है :—

योजना के नाम	नियतन किया गया			
	1964–65			1965–66
	योजित निधि	जीवन बीमा निगम निधि	कुल	योजित निधि
	(लाख रुपयों में)			
1. सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास	9.00	..	9.00	3.92
2. निम्न आय वर्ग आवास	31.60	50.00	81.60	35.58
3. ग्रामीण आवास परियोजनायें	7.00	..	7.00	7.00
4. गंदी बस्ती सफाई	14.44	..	14.44	12.08
5. मध्य आय वर्ग आवास	..	65.00	65.00	..
6. राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजना	..	10.00	10.00	..
7. भूमि अधिग्रहण तथा विकास योजना	..	25.00	25.00	..
कुल	62.04	150.00	212.04	58.58

चालू वित्तीय वर्ष के लिए जीवन बीमा निगम निधियों का अभी तक नियतन नहीं किया गया है ।

दिल्ली के लिये मकान बनाकर किराये पर देने की योजना

1718. श्री शिव चरण गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकार ने दिल्ली के लिये मकान बना कर किराये पर देने की योजना मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो, उसका ब्यौरा क्या है तथा इस समय इस योजना की क्या स्थिति है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत मकानों का आवंटन करने से सम्बन्धित नीति क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी , नहीं ।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में बूचड़खाने के लिये स्थान

1719. श्री शिव चरण गुप्त : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में बूचड़खाने को इसके वर्तमान स्थान से हटाने का निश्चिय किया है और इसके लिए दिल्ली की वृहत् योजना में एक नया स्थान सुझाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस योजना का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इसमें होने वाले विलम्ब को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान बूचड़खाने में सुधार करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है, और यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) पुराने शहर में स्थित बूचड़खाने के सहायक व्यापारों के लिये दिल्ली के मास्टर प्लान में रोहतक रोड पर एक स्थान निर्धारित किया गया है । तदुपरांत दिल्ली विकास प्राधिकार ने 30 जनवरी, 1964 को हुई अपनी बैठक में क्षेत्रीय आधार पर शाहदरा, रोहतक रोड और ओखला क्षेत्र (दक्षिण दिल्ली) में तीन बूचड़खाने खोलने की सिफारिश की है । यह भी सिफारिश की गई थी कि अन्य दो बूचड़खानों के विकसित होने तक वर्तमान बूचड़खाना चलता रहे ।

(ख) जी हां ।

(ग) दिल्ली नगर निगम इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं की जांच कर रहा है । आशा है कि यह काम चौथी पंच वर्षीय योजना के उत्तरार्द्ध में आयोजित मद के रूप में शुरू किया जायेगा ।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने बतलाया है कि स्थानान्तरण में विलम्ब को देखते हुये वर्तमान बूचड़खाने में निम्नलिखित सुधार किये गये है :—

(क) अधिक स्थान बनाने के लिये भैंसों के अनुभाग में शेडों का विस्तार किया गया है ।

(ख) धुलाई की सुविधा के लिये पानी के टैंकों और पानी के अधिक नलकों की व्यवस्था की गई है ।

(ग) नालियों में सुधार किया गया है ।

(घ) गोबर, मांसोच्छिष्ट, और अन्य गन्दगी को तुरन्त हटाने के प्रबन्ध कर दिये गये हैं । बूचड़खाने के अहाते में हमेशा दो ट्रेलर खड़े रहते हैं जिनमें बूचड़खाने की गन्दगी भर दी जाती है और उसे समय समय पर हटा दिया जाता है ।

(ङ) और अधिक जलज शौचालयों की व्यवस्था कर दी गई है ।

(च) पक्षियों से बचाने के लिये, जाली लगाने का काम तथा हलाल अनुभाग की छत की मरम्मत का काम चल रहा है ।

ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाने वाली नहर

1720. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रह्मपुत्र को गंगा से मिलाने वाली सम्पर्क नहर का निर्माण कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : प्राथमिक अनुसन्धानों से पता चलता है कि परियोजना पर काफी खर्च आएगा। अतः स्कीमों को विभिन्न चरणों में कार्यान्वित करने का विचार है। वर्तमान आपातकालीन अवस्था में इस स्कीम को कार्यान्वित किया जाए अथवा नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है।

नगर सामुदायिक विकास परियोजनायें

1721. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर सामुदायिक विकास परियोजनाओं सम्बन्धी समन्वय समिति की प्रथम बैठक हाल में नई दिल्ली में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य-सूची में क्या विषय थे तथा उनके बारे में क्या निर्णय किये गये ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) बैठक के विवरण की एक प्रति संलग्न है जिसमें कार्य सूची की मदें भी सम्मिलित हैं।

औद्योगिक विवादों में अनिवार्य न्याय निर्णय

1722. **श्री सिद्धेश्वर प्रसाद** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने औद्योगिक विवादों में अनिवार्य न्यायनिर्णय समाप्त करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है, और

(घ) यदि हां, तो क्या दोनों पक्ष इससे सहमत है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : योजना आयोग द्वारा गठित श्रम पैनल के लिए एक निबन्ध में एक सुझाव दिया गया है कि परीक्षणात्मक आधार पर एक वर्ष के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत सरकार अनिवार्य न्याय निर्णय के स्वेच्छा-निर्णय के अधिकारों का उपयोग करे ; केवल आपातकालीन स्थिति के कारण जब इस प्रकार का संदर्भ आवश्यक हो जाय। पैनल ने अभी अपना काम पूरा नहीं किया है।

(ग) सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में ग्रामीण विद्युतीकरण

1723. **श्री रामचन्द्र उलाका** :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा के राज्य में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिये अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ; और

(ख) इस अवधि में उड़ीसा में इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) उड़ीसा सरकार को तृतीय पंच वर्षीय योजना के दौरान 71 लाख रुपये की केंद्रीय ऋण सहायता के रूप में स्वीकृति दी गई। इस उद्देश्य के लिये 1965-66 के दौरान 42.92 लाख रुपयों का आवंटन किया गया है।

(ख) तृतीय पंच वर्षीय योजना के प्रथम चार वर्षों में 307 अतिरिक्त ग्रामों में बिजली दी गई थी और 1965-66 के दौरान 60 और ग्रामों में बिजली देने का विचार है।

उड़ीसा में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें

1724. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजनावधि में उड़ीसा में अब तक कितनी बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें आरम्भ की गई है ; और

(ख) इसी अवधि में अब तक इन पर कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) तथा (ख) : अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

उड़ीसा में बड़ी तथा मध्यम कोटि की सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में लोक सभा में 2-12-65 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1724 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण।

तृतीय योजना में हाथ में ली गई परियोजनाओं का नाम (इन में दूसरी योजना की वे परियोजनाएं भी शामिल हैं जिन पर तीसरी योजना में भी कार्य किया जा रहा है।)	मार्च, 1966 तक हुआ व्यय (प्रत्याशित) (लाख रुपयों में)
मुख्य	
1. हीराकुड चरण 1	6549.03
2. महानदी डेल्टा परियोजना	2015.13
3. सालन्दी सिंचाई परियोजना	594.76
4. आनन्दपुर बराज परियोजना	28.64
मध्यम	
1. सलिया	138.21
2. सल्की	104.55
3. बुढाबुढियानी	100.80
4. गोदाहदो	51.43
5. घनै	113.45
6. दोरजंग	195.39
7. बहुदा (चरण 1)	48.99
8. हीराधरबाती	30.45
9. जौरो हरभंगी	4.65
	9975.48

महालेखापाल, उड़ीसा के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

1725. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भुवनेश्वर में महालेखापाल, उड़ीसा के अधीन इस समय सभी श्रेणियों के कितने व्यक्ति काम करते हैं ; और

(ख) अक्तूबर, 1965 के अन्त तक उक्त कार्यालय के कितने कर्मचारियों को परिवारक्वार्टर दिये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 912।

(ख) 412।

उड़ीसा में चेचक तथा हैजा

1726. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों में उड़ीसा में कितने लोगों को चेचक तथा हैजा हुआ, और

(ख) इसी अवधि में उड़ीसा में इन रोगों से कितने व्यक्ति मरे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : गत छः महीनों में (1 मई से 31 अक्तूबर 1965 तक) चेचक और हैजा के रोगियों तथा इनसे हुई मौतों की संख्या इस प्रकार है :—

	रोगी	मौतें
चेचक . . .	680	178
हैजा . . .	119	32

बट्टे खाते में डाली गई आयकर की रकम

1727. श्री पाराशर :

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मामलों में आयकर की एक लाख (1,00,000) रुपये से भी अधिक की बकाया राशि चालू वर्ष में बट्टे खाते में डाली गई है ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों या फर्मों के नाम क्या हैं और इस प्रकार कितनी रकम बट्टे खाते में डाली गई है ; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : चालू वित्तीय वर्ष में 6 मामलों में एक लाख रुपये से अधिक आयकर की बकाया को बट्टे खाते डालने की मंजूरी दी गई है। ब्यौरे संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-5291/65।]

Sarai Rohilla, Delhi

1728. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Slum Clearance Department has declared the Bagh Kare Khan area of Sarai Rohilla, Delhi as a slum area ;

(b) the basis on which this decision has been taken; and

(c) whether any steps have been taken to improve this area?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes.

(b) The decision was taken by the competent authority under the Slum Areas (Improvement and Clearance) Act, 1956, as the buildings in the area were found to be unfit for human habitation and detrimental to the safety, health and morals of the residents.

(c) Yes, basic amenities such as paving of streets, provision of drains and street lighting etc. have been provided. Community facilities like primary schools, dispensaries etc. have also been arranged.

Government Hospitals in Delhi

1729. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Government Hospitals in Delhi, doctors come to their duty one to one and-a-half-hours later than the time indicated on the Notice Boards for this purpose;

(b) whether it is also a fact that likewise other staff also comes late;

(c) whether it is also a fact that the patients reaching in time have to waste five to six hours because for want of proper guidance, the patients do not deposit their prescriptions etc. at proper places and when the hospital staff come and direct them to go to different rooms, the patients have to stand in queue a fresh after wasting one or one-and-a-half-hours; and

(d) the steps being taken by Government to remove these difficulties?

Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) to (c). No.

(d) Does not arise.

कवेन्टर हाउस, माडल टाउन, दिल्ली में रहने वाले परिवार

1730. श्री गुलशन :

श्री ओंकार सिंह :

श्री ओंकारलाल बेरवा :

क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैवेन्टर हाउस, माडल टाउन दिल्ली में रहने वाले परिवारों को, जिनके मकान 30 अक्तूबर, 1965 को खाली करवाये गये थे, दूसरे मकान देने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें निष्कासन से पहले दूसरे मकान न दिये जा सकने के क्या कारण हैं; और

(ग) दूसरे मकान किस आधार पर दिये जाते हैं ?

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : प्रश्नाधीन भूमी 30 वर्ष के लिए नवम्बर 1920 में तत्कालीन नगर पालिका दिल्ली के द्वारा मैसर्स कैवेन्टर्स (पी) लिमिटेड को डेरी चलाने के लिए पट्टेपर दी गयी थी। पट्टे की शर्तों के विरुद्ध उन्होंने मकान बना लिये तथा बगैर अनुमति के उन्हें किराये पर दे दिया। इसलिये नगर पालिका ने पट्टे की अवधि समाप्त हो जाने पर पट्टे को नवकृत (रिन्यू) नहीं किया। अप्रैल 1958 में नगर निगम के अधीन सभी नजूल की भूमि को निर्माण तथा आवास मंत्रालय के भमि तथा विकास अधिकारी को हस्तान्तरित कर दिया गया। क्योंकि मेसर्स कैवेन्टर्स ने भूमि अथवा उस पर बने परिसरों (प्रेमिसेज़) को खाली नहीं किया अतएव भूमि तथा विकास अधिकारी ने उनके खिलाफ पब्लिक प्रेमिसेज़ (एविक्शन आफ अनअथराईज्ड औक्यूपैन्टस) एक्ट 1958 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की। मैसर्स कैवेन्टर्स ने 1962 में परिसरों का दखल भूमि तथा विकास अधिकारी को दे दिया तथा उसे 31 जुलाई 1962 तक का सभी बकाया तथा क्षति भी अदा कर दी। फिर भी मैसर्स कैवेन्टर्स के टैनमैन्टस क्वार्टरों में रहने वालों के अनधिकृत कब्जे में बने रहे, और उनके खिलाफ पी० पी० एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही चलती रही तथा जुलाई 1964 में बेदखली के आदेश दिये गये थे। उनमें से 17 ने डिस्ट्रिक्ट जज दिल्ली की अदालत में अपील की लेकिन 9 सितम्बर 1964 को अपील खारिज कर दी गयी। इसके बाद 45 व्यक्तियों को क्वार्टरों से बेदखल किया गया। इन व्यक्तियों को कोई वैकल्पिक वास नहीं दिया गया क्योंकि वे इसके अधिकारी नहीं थे।

Ayurvedic University

1731. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government contemplate to set up an Ayurvedic University; and

(b) if so, the outlines thereof?

Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Nc

(b) Does not arise.

Housing for Washermen in Delhi

1732. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 407 on the 11th November, 1965 regarding the provision of residential accommodation for washermen in Delhi and state :

(a) whether the Committee has since finalised its report and submitted it to Government ;

(b) if so, the nature of the recommendations made by the Committee; and

(c) when Government will take decisions thereon?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes.

(b) and (c). Main recommendations of the Committee are given in the attached statement. These are under consideration.

Statement

(A) **Municipal Corporation Area :**

(i) In the first stage, the Slum Clearance Scheme may be implemented and environmental improvements carried out in those areas where there are large con-

centrations of dhobis. Slum Clearance projects should be drawn up for construction of multi-storeyed buildings which should provide for ghats and places of work for dhobis on the ground floor and for drying up clothes on the back varandahs and on terraces in the case of *katras* which belong to the Corporation. The rent of residential units in these buildings should be fixed according to the principles of Slum Clearance Scheme and of the non-residential units on the basis of their full cost.

(ii) Adequate number of dhobi ghats should be provided along the bank of the river Jamuna but a little away from the main stream. Every coloniser should be asked to set apart a site for a dhobi ghat. The ghats and ironing facilities should be located in a central place in the colonies as far as possible.

(B) **New Delhi Municipal Committee Area :**

There is no problem of dhobi ghat and residential accommodation for dhobis in the New Delhi Municipal Committee area. When the existing dhobi ghats are demolished for using land according to Master Plan, it would be necessary to evolve alternative arrangements for providing working places and residential accommodation for about 400 dhobi families for meeting the requirements of the New Delhi Municipal Committee Area. As regards new colonies, suitable provision should be made for the ghats and residential accommodation for dhobis and necessary planning for the purpose should be done now so that slums are not created subsequently.

(C) **General :**

The eligible dhobi families amongst the squatters on Government land should be provided with alternative residential accommodation as well as dhobi ghats in the Jhuggis and Jhopris colonies.

उत्तर प्रदेश में नल-कूपों के लिये बिजली

1733. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री किन्दर लाल :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को कृषि उत्पादन बढाने के लिये राज्य में गैर-सरकारी नलकूपों के लिये बिजली की व्यवस्था करने के लिये चालू कैलेंडर वर्ष में पर्याप्त धन आवंटित किया है; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी राशि आवंटित की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्याम धर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) 150 लाख रुपये ।

पेंशन की मंजूरी देने मे विलम्ब

1734. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री हिम्मत सिंहका :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेंशन की मंजूरी देने में विलम्ब को दूर करने के लिये कोई नयी योजना बनाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) योजना के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : पेंशनों की मंजूरी देने में जो देरी होती है उसे दूर करने के लिये कुछ कार्य-प्रणाली सम्बन्धी तथा अन्य परिवर्तनों पर विचार किया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम का पुनर्गठन

1737. श्री उमानाथ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम द्वारा तैयार की गई 'पुनर्गठन और केन्द्रीयकरण' की योजना पर वित्त मंत्री द्वारा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को पहले दिये गये आश्वासनों के अनुसार, पुनर्विचार करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) इस आश्वासन को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि पूरी योजना पर पुनर्विचार होने तक योजना की क्रियान्विति रोक दी जायगी और जहां पर यह क्रियान्वित की जा चुकी है, वहां यथापूर्व स्थिति कायम कर दी जायगी ;

(ग) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम ने इस आधार पर कि वित्त मंत्रालय ने उन्हें ऐसा करने की सलाह नहीं दी है न तो योजना की क्रियान्विति रोकी है और न ही यथा पूर्व स्थिति कायम की है; और

(घ) यदि हां, तो क्रियान्विति को रोकने, यथापूर्व स्थिति कायम करने तथा योजना पर पुनर्विचार करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ) : निगम को सितम्बर, 1964 में सूचित कर दिया गया था कि जब तक उसकी पुनर्गठन योजना की तरह-तरह की पेचीदगियों पर विस्तार से विचार न कर लिया जाय तब तक उसे योजना को क्रियान्वित करने के लिये आगे कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिये। सरकार ने यथापूर्व स्थिति को फिर से स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई आश्वासन नहीं दिया था। अतः निगम ने अपने पुनर्गठन कार्य के सम्बन्ध में आगे की कार्रवाई रोक दी। जहां तक यथापूर्व स्थिति को फिर से लाने का सम्बन्ध है, निगम ने पुनर्गठन सम्बन्धी अन्तिम निर्णय की प्रतीक्षा करने का निश्चय किया है। इस निर्णय में सरकारी प्रतिष्ठानों से सम्बद्ध समिति की इस सिफारिश के सम्बन्ध में किया जानेवाला निर्णय भी शामिल है कि निगम को अलग अलग निगमों में विभाजित कर दिया जाना चाहिये।

Allotment of quarters

1738. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :
Shri Yudhvir Singh :

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether Government allot quarters to its officers and employees according to their respective categories;

(b) if not, the reasons therefor;

(c) the number of cases in which allotment has not been made according to the categories; and

(d) the difficulty which Government have got in allotting the quarters to officials according to the category to which they are entitled?

Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Officers eligible for accommodation in types I to V are allotted accommodation only in their entitled types. Officers entitled to types VI and above are also eligible for allotment in the next below type.

(b) The percentage of satisfaction in the case of the quarters belonging to type V and above is comparatively better than in the lower types and experience has shown that it does not cause any hardship to the Officers entitled to types V, VI and VII if the officers in the higher types are also considered for allotment in their next below types.

(c) The total number of units in the General Pool is about 41,000. On the 1st January 1965 there were 8459 officers who were occupying residences of types different from those to which they were entitled.

(d) The decision in regard to the allotment of accommodation in categories I, II, III, IV and V referred to in (a) above has recently been taken. The position in regard to the categories VI and above will be reviewed in the light of the experience gained.

स्वास्थ्य केन्द्र

1739. श्री लिंग रेड्डी : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि:

(क) दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत देश में अब तक कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आरम्भ किये गये हैं;

(ख) उनमें से कितने केन्द्रों में कोई डाक्टर नहीं है; और

(ग) डाक्टरों की कमी कैसी पूरी की जायेगी?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 30 सितम्बर, 1965 को देश में 4742 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काम कर रहे बतलाये गये हैं जिनमें द्वितीय योजना अवधि के अन्त में खोले गये 2691 केन्द्र सम्मिलित हैं। 4742 केन्द्रों में से 4373 केन्द्र भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नमूने के थे और शेष 369 राज्यों द्वारा स्वीकृत नमूने के।

(ख) 30 सितम्बर, 1965 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत नमूने वाले 525 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र डाक्टरों के बिना बतलाये गये हैं।

(ग) डाक्टरों की कमी की पूर्ति करने/कम करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :—

1. मेडिकल अफसरों की सेवा शर्तों को उदार करना ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों की ओर आकर्षित हों। उदाहरणार्थ जन स्वास्थ्य अथवा प्रैक्टिस न करने के लिये भत्ता देना और रिहायशी मकान की व्यवस्था करना आदि।

2. सेवा काल में विस्तार की उदारता पूर्वक मंजूरी तथा सेवानिवृत्त मेडिकल अफसरों को फिर से रोजगार देना।

3. सहायक सर्जनों की भर्ती के लिये अधिकतम आयुसीमा को बढ़ाकर पैंतीस वर्ष तक तथा विशेषज्ञों की भर्ती के लिये 50 वर्ष तक करना।

4. स्थानीय निकायों द्वारा निजी तौर पर चिकित्सा का काम करने वाले डाक्टरों की सेवाओं का उपयोग करना ताकि राज्य सरकारों में स्थायी तौर पर सेवा करने वाले डाक्टरों को ग्राम क्षेत्रों में काम करने के लिये छोड़ा जा सकेगा।

5. पदों के स्थायीकरण, कुशलता रोध पार करने तथा उच्चतर पदों एवं स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के चुनाव के लिये ग्राम क्षेत्रों में काम करने की न्यूनतम अवधि को अनिवार्य शर्त बनाना।

6. स्थायी आधार पर नियुक्ति का प्रस्ताव कर अतिरिक्त क्षेत्रों से डाक्टरों की भर्ती करना।

7. आरक्षित सीटों के लिये मनोनीत तथा छात्रवृत्ति पाने वाले छात्रों से स्नातक होने के उपरांत कुछ वर्षों के लिये राज्य सरकार की सेवा करने का बौण्ड भरवाया जाता है।

8. वर्तमान मेडिकल कालेजों में जहां कहीं सम्भव हो तथा नये मेडिकल कालेज खोलकर प्रवेश संख्या बढ़ाना।

पंजाब में चिकित्सा तथा स्वास्थ्य कर्मचारी

1740. **श्री दलजीत सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने अनुरोध किया है कि राज्य में चिकित्सा और स्वास्थ्य कर्मचारियों संबंधी आवश्यकता पूरी करने के लिये प्रशिक्षणों को अधिक सुविधायें दी जायें;

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने निम्नलिखित प्रशिक्षण सुविधाओं के लिये केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया है :—

(1) स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रशिक्षण एवं अनुसन्धान;

(2) उप-स्नातक चिकित्सा प्रशिक्षण; और

(3) परा-चिकित्सा कर्मचारियों का प्रशिक्षण।

(ग) ये प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

पंजाब में आयकर अपवंचन

1741. **श्री दलजीत सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय पंजाब में आयकर अपवंचन के कितने मामले अनिर्णित हैं?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : 23-11-1965 को जिन कर-निर्धारितियों के खिलाफ कर की चोरी से सम्बन्धित शिकायतें विचाराधीन थीं उनकी संख्या 694 थी।

पंजाब में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मकान बनाने के लिए ऋण

1742. **श्री दलजीत सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964–65 में पंजाब में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की ओर से मकान बनाने के लिये ऋण के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) सरकार ने कितने आवेदन पत्र मंजूर किये ; और

(ग) कितनी राशि का ऋण दिया गया?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) 48।

(ख) 37।

(ग) 4.19 लाख रुपये।

पंजाब में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1743. **श्री दलजीत सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) पंजाब में इस समय कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काम कर रहे हैं;

(ख) वर्ष 1966-67 में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का विचार है ; और

(ग) वर्ष 1965-66 तथा 1966-67 में पंजाब में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 229।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) स्वास्थ्य योजना के अधीन 1965-66 में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन बनाने के निमित्त राज्य सरकार ने 24.00 लाख रुपये की व्यवस्था की है। यह रकम उस धन के अतिरिक्त है जो विकास विभाग द्वारा उपलब्ध किया जा रहा है।

1966-67 के लिये राज्य सरकार ने 30.00 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव किया है। इसमें से 20.00 लाख रुपये उन कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों को पूरा करने पर खर्च होंगे जो इस समय अधूरे हैं तथा 10.00 लाख रुपये उन कुछ मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन बनाने पर खर्च होंगे जो किराये के भवनों पर चल रहे हैं।

प्रतिरक्षा विषयक उत्पादन

1745. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी वर्ष में औद्योगिक उत्पादन को बढ़ा कर तथा उसका विविधकरण करने के द्वारा प्रतिरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मार्गोपायों का दिग्दर्शन कराने के लिये योजना आयोग का तकनीकी अध्ययन दल बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उन दलों के सदस्य कौन-कौन होंगे ;

(ग) क्या यह भी सच है कि योजना आयोग ने राज्य सरकारों से कहा है कि कोई नई औद्योगिक परियोजना आरम्भ न की जाये जब तक उनका सम्बन्ध प्रतिरक्षा सम्बन्धी उत्पादन से न हो ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) योजना आयोग ने तकनीकी अध्ययन दल गठित किये हैं। ये दल कार्यक्रमों और परियोजनाओं की व्यापक रूप से जांच करेंगे और विचार करेंगे कि किस प्रकार प्रतिरक्षा के लिये आवश्यक औद्योगिक सामान का उत्पादन देश में ही किया जा सकता है ।

(ख) अध्ययन दलों में सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ तकनीशन होते हैं।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम जर्मनी से ऋण

1746. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी की सरकार ने भारत को चालू वित्तीय वर्ष में 8 करोड़ 60 लाख डालर का ऋण देना स्वीकार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई करार किया गया है; और

(ग) इस करार की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां। जर्मन प्राधिकारियों ने तीसरी पंचवर्षीय आयोजना के पांचवें वर्ष के लिये 34.36 करोड़ ड्यूशमार्क (40.89 करोड़ रुपये) का ऋण देना स्वीकार किया है।

(ख) और (ग) : आशा है कि दोनों सरकारों के बीच समझौते पर जल्दी ही हस्ताक्षर हो जायेंगे ।

औषधविज्ञान (मैडिसन) पढ़ाने के तरीकों के संबंध में विचार-गोष्ठी

1747. **श्री राम हरख यादव** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का देश के महत्वपूर्ण केन्द्रों में औषधविज्ञान (मैडिसन) पढ़ाने के नये तरीकों तथा औज़ारों के संबंध में विचार-गोष्ठियां करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय) के सहयोग से नवम्बर–दिसम्बर, 1965 में दिल्ली, वाराणसी, बड़ौदा और हैदराबाद में चिकित्सा शिक्षा की शिक्षण विधियों की वर्कशाप चलाई है, जिनमें प्रत्येक केन्द्र में लगभग बीस बीस छात्र हैं। ये सभी छात्र मेडिकल कालेजों के वरिष्ठ अध्यापकों में से लिये गये हैं और प्रत्येक भागग्राही संस्था से तीन नामों के पैनल से चुने गये हैं — एक प्रीक्लीनिक वर्ग से, एक पैरा-क्लीनिक वर्ग से और एक क्लीनिक वर्ग से।

इन क्षेत्रीय वर्कशापों को चलाने के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन को चार भारतीय विशेषज्ञों की सेवायें उपलब्ध करा दी गई हैं। ये विशेषज्ञ विश्व स्वास्थ्य संगठन के स्टाफ के अतिरिक्त होंगे। पहली वर्कशाप दिल्ली में काम करने लग गई है।

औद्योगिक कार्यकर्ताओं के लिये मकान बनाने की योजना के लिये भूमि

1748. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री 26 अगस्त, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 214 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक कार्यकर्ताओं के लिये मकान बनाने की योजनाओं के लिये भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही शीघ्रता-पूर्वक करने के लिये किये जाने वाले उपायों पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : समिति की ग्यारह सिफारिशों में से दस सिफारिशें मुख्यत: राज्य सरकारों के द्वारा कार्यान्वित करने के लिये हैं। शीघ्र कार्यवाई के लिये ये उनके पास भेज दी गयी हैं। रिट पिटीशनों को शीघ्र निबटाने के लिये उच्च न्यायालयों के द्वारा विशेष न्यायपीठों की स्थापना करने की सिफारिश भारत सरकार के विचाराधीन है।

उत्तर प्रदेश में आयकर अधिकारी

1749. **श्रीमती शशांक मंजरी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिनियम के स्वस्थ ढंग से लागू करने की दृष्टि से आयकर अधिकारियों को एक स्थान पर रखने के सम्बन्ध में कोई अवधि सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो वह कितनी है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश मंडल में कितने आयकर अधिकारी (श्रेणीवार) 3 वर्षों से अधिक समय तक एक स्थान पर काम करते रहे हैं और इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, नहीं, परन्तु प्रायः 4-5 वर्ष एक स्थान पर रहने के बाद उनका तबादला किया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है।

आसाम सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच तस्कर व्यापार

1750. श्री प्र० चं० बरूआ : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 16 नवम्बर, 1965 के 'आसाम ट्रिब्यून' में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि भारत के मणिकचार क्षेत्र के तस्कर व्यापारियों और पूर्वी पाकिस्तान के तस्कर व्यापारियों के बीच एक कनस्तर मिट्टी के तेल के बदले में एक मन पाकिस्तानी पटसन का वस्तु विनिमय हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के तस्कर व्यापारी को रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रतिक्रिया की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : जी, हां। लेकिन, विभाग द्वारा की गई पूछ-ताछ से पता चलता है कि अखबार में छपी खबर सही नहीं है।

आयकर कानून का सरलीकरण

1751. श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल ने हाल के एक अध्ययन में आयकर कानून को युक्तिसंगत और सरल बनाने के बारे में अनेक सुझाव दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) आयकर कानून को युक्तिसंगत और सरल बनाने के लिये व्यापार संघों तथा जनता के सुझावों का सरकार सदैव स्वागत करती है। समय-समय पर आने वाले इस प्रकार के सभी सुझावों पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है, और जब कभी कोई सुझाव स्वीकार करने योग्य पाया जाता है तो कानून में तदनुसार संशोधन करने की कार्यवाही की जाती है।

परिवहन नीति तथा समन्वय संबंधी समिति

1752. श्री दी० चं० शर्मा : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिवहन नीति तथा समन्वय सम्बन्ध समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) सरकार ने कौन-कौन सी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : जैसा कि दिनांक 18 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 302 के उत्तर में बताया जा चुका है कि परिवहन नीति तथा समन्वय

संबंधी समिति के प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और आशा है कि शीघ्र ही प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

कलकत्ता में तस्कर व्यापार

1753. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**

श्री किन्दर लाल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1965 में सीमा-शुल्क अधिकारियों ने कलकत्ता में 34 लाख रुपये की लागत का चोरी छिपे लाया गया माल पकड़ा था, जिसमें सोना, चांदी, आभूषण तथा घड़ियां शामिल थीं; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) सितम्बर, 1965 में सीमा-शुल्क अधिकारियों ने कलकत्ता में सोना आभूषण तथा घड़ियों सहित कुल 84,060 रुपये का चोरी-छिपे लाया गया माल पकड़ा था।

(ख) इसमें से 7,382 रुपये का माल जब्त कर लिया गया है जो 2,650 रुपये वैयक्तिक अर्थदण्ड और 10,026 रुपये मोचन अर्थदण्ड दिया गया है। अन्य में मामलों में कार्यवाही अभी चल रही है।

प्रेषित सोडा-ऐश का जब्त किया जाना

1754. **श्री राम सेवक यादव :**

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि बम्बई के सीमा-शुल्क कलक्टर ने वर्ष 1953 में 'लाइसेंस बेच देने' 'सेल आफ लाइसेंस' के आधार पर सोडा-ऐश के कुछ कंसाइमेंट क्षेत्राधिकार न होने पर भी जब्त कर लिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इन कंसाइमेंट के कारण बम्बई पत्तन न्यास को देय भाड़े का भुगतान करने के लिये, जो गैर-कानूनी तौर पर सामान जब्त किये जाने के परिणामस्वरूप अभी तक अदा नहीं किया गया है, क्या कार्यवाही करने का विचार किया गया है?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) सीमाशुल्क समाहर्ता बम्बई ने 1953 में सोडा-ऐश का आयात किया गया कुछ माल पकड़ा था और पार्टी द्वारा दायर की गई रिट दरख्वास्तें सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय द्वारा नामंजूर कर दी गई थी जिसकी रिपोर्ट आल इण्डिया रिपोर्टर 1957 सुप्रिम कोर्ट 478 में प्रकाशित हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सामान जप्त किये जाने के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय का विनिर्णय

1755. **श्री राम सेवक यादव :**

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार को मालूम है कि उच्चतम न्यायालय ने ए० आई० आर० 1962 एस० सी० 1893 में यह निर्णय दिया है कि सीमा-शुल्क अधिकारियों को 'लाइसेंस बेच देने' 'सेल आफ लाइसेंस' के आधार पर माल जब्त करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो सीमा-शुल्क कलक्टरों द्वारा इसी आधार पर 1953 में जब्त किये गये माल के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) आल इण्डिया रिपोर्टर 1962 सुप्रीम-कोर्ट 1893 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय जिस निर्णय का उल्लेख है उस सरकार को पता है। इस विशेष मामले में लाइसेंसों की बिक्री का प्रश्न न्यायालय के विचार के लिये प्रस्तुत ही नहीं हुआ था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अविलम्बनीय लोक-महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

मनिपुर से होकर पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले नागा विद्रोही

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रतिरक्षा मंत्री का ध्यान निम्न अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"प्रकाशित समाचार कि 2,000 नागा विद्रोही मनीपुर से होकर पूर्वी पाकिस्तान जा रहे हैं।"

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : अध्यक्ष महोदय, सरकार को रिपोर्टें मिली हैं कि मनीपुर के उत्तरी भागों के विभिन्न क्षेत्रों में नागा दल इकट्ठे हो रहे हैं। यह सम्भव है कि विद्रोही हथियार तथा सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये निकट भविष्य में पूर्वी पाकिस्तान जाने के उद्देश्य से इकट्ठे हो रहे हों। ऐसी किसी संभाव्य गतिविधि के सम्बन्ध में अपनी सुरक्षा सेनाओं को सतर्क कर दिया गया है।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय के उत्तर से स्पष्ट है कि वे हथियार तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये पाकिस्तान जाने के इरादे से इकट्ठे हो रहे हैं। इसी समय हम शान्तिपूर्ण समझौते के लिये उनसे बातचीत कर रहे हैं। क्या यह सच है कि श्री फिजो--माइकेल स्काट पाकिस्तान एक्सिस देशभक्त नागाओं और नागालैंड के हितों के विरुद्ध काम कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी कार्यवाहियों और उनका पाकिस्तान आना जाना रोकने के लिए कदम उठाने तथा उन पर उचित निगरानी रखने का है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : स्वाभाविक ही है, जब कभी शान्ति मिशन विद्रोही नागा नेताओं से मिला है, उन्होंने हमेशा इस ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है और यदि ऐसी उनकी कोई मंशा होती उसका विरोध किया है। विद्रोही नागा नेताओं ने हमेशा यह दावा किया है कि नागालैंड के बारे में करार होने के बाद से वे कोई गैर-कानूनी हथियार नहीं लाये हैं। अब यदि वे मनीपुर के उत्तरी भागों में इकट्ठा हो रहे हैं तो हमें यह देखना है कि वे वहां से निकल न पायें और यदि निकल जाते हैं तो हथियार लेकर वापिस न आ पायें। हम केवल इतना ही कर सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : इस बात का उत्तर नहीं दिया गया कि क्या सरकार को फिजो माइकेल स्काट-पाकिस्तान एक्सिस के बारे में जानकारी है।

श्री यशवंतराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि ऐसा कोई 'एक्सिस' नहीं है

श्री प्र० चं० बरूआ (शिवसागर) : भारत के विरुद्ध षड़यन्त्र रचने में चीन और पाकिस्तान के लिये काश्मीर और नागालैंड मेल के दो आधार बन गए हैं। क्या सरकार विश्वास करती है कि वे नागालैंड में काश्मीर के समान स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं तथा हथियार और प्रशिक्षण देकर विद्रोही नागा नेताओं के हाथ मज़बूत करना चाहते हैं और यदि हां, तो क्या सरकार पाकिस्तान और चीन के गठजोड़ की इस कुटिल चाल को रोकने के लिये कदम उठायेगी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सच है कि पाकिस्तान ने कुछ लोगों को प्रशिक्षण देने और हथियार भेजने का प्रयत्न किया है लेकिन अभी तक उसने अपने सशस्त्र लोगों को नहीं भेजा है। काश्मीर और नागालैंड में मुझे केवल यही अन्तर मालूम पड़ता है। नागालैंड का प्रश्न, राजनैतिक तथा सैनिक, दोनों ही दृष्टिकोण से एक भिन्न प्रश्न है। इससे हमें अपने ढंग और अपनी शक्ति से निपटना है।

श्री लिंग रेड्डी (चिकबलापुर) : क्या पाकिस्तान जाने से पहले नागा विद्रोही मनीपुर के लोगों को आतंकित करते हैं और बल पूर्वक धन इकट्ठा करते हैं। क्या सरकार ने इन नागा विद्रोहियों का सामना करने के लिये मनीपुर के लोगों को हथियार देना आश्वयक समझा है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जहां तक मुझे जानकारी है, गृह-मंत्रालय ने इस विषय में इस सभा में कुछ सूचना दी है। उन्होंने स्थानीय लोगों को हथियार देने में रुचि दिखाई है ताकि वे नागा विद्रोहियों की दमन वाली कार्यवाही का सामना कर सकें।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, Sir, since long Government have declared the area bordering with Burma as disturbed area. The people of that area are willing to extend their cooperation to Government against naga hostiles who, in the absence of army in sufficient numbers, have taken it a safe route for crossing over to Pakistan *via* Burma. Will Government post army in sufficient numbers in that area and seek the cooperation of the people.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक सुझाव है जिस पर समय समय पर अन्य स्थानों पर अपनी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए विचार करना होता है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Are you aware that naga hostiles realise seven rupees per family and in case of failure to do people are killed? If so, what special steps are contemplated to check such oppressive measures by the hostile nagas, and to stop their movement to Pakistan?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सच है कि मनीपुर के उत्तरी भागों में कुछ हिंसात्मक कार्यवाही की गई है लेकिन इसके बारे में मुझे विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं है। इसके लिये सूचना मिलने पर मैं अथवा गृह कार्य मंत्री आवश्यक जानकारी दे सकते हैं। मनीपुर प्रशासन ने ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की है।

Shri Bade (Khargon) : Naga hostiles have becc me more active. Recently there was a report in the press that they fired on a train in Assam and Manipur resulting in a 3 deaths and injuries to 8 persons. Similarly they had lifted 26 people in Manipur. Are you thinking of discontinuing the peace talks and of taking severe steps against the naga hostiles?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह सच है कि कुछ लोगों ने, अधिकांशत: नागाओं ने, डीमापुर रेलवे लाइन पर आक्रमण किया था और इस घटना में कुछ व्यक्ति मारे गये थे। मेरे पास इस घटना के आंकड़े नहीं हैं। इसके बारे में हमें अवश्य ही कदम उठाने हैं।

श्रीमती रेणुका बड़कटकी (बारपेटा) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नागा विद्रोही बर्मा के राज्यक्षेत्र से होकर पाकिस्तान से हथियार तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं, क्या भारत सरकार ने बर्मा सरकार को मनीपुर नागालैंड-बर्मा सीमा पर गश्त बढ़ाने अथवा वहां भारत-बर्मा द्वारा संयुक्त रूप से गश्त लगाने के लिये लिखा है ताकि नागा विद्रोहियों को बर्मा के राज्य-क्षेत्र से होकर पाकिस्तान जाने से रोका जा सके ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हम बर्मा सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

श्री दाजी (इन्दौर) : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शांति समझौते और प्रधान मंत्री द्वारा संभव भेंट की भावना के बावजूद भी वे ऐसी शत्रुतापूर्ण कार्यवाही करते रहे हैं जो शांति समझौते के उल्लंघन के बराबर ही है, क्या सरकार अपने पहले निर्णय बदलने पर विचार कर रही है तथा क्या यह सच है कि मनीपुर प्रशासन और मनीपुर के निर्वाचन प्रतिनिधियों ने अधिक गश्ती दस्ते और सशस्त्र सेना तैनात करने की मांग की है, जिसकी व्यवस्था सरकार मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में अभीतक नहीं कर सकी है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मनीपुर सरकार ने अवश्य कुछ सहायता मांगी है। हमने इस मामले में आवश्यक कदम उठाये हैं। हथियार लाना और इस प्रकार की कार्यवाही अवश्य ही शांति समझौते की भावना के विरुद्ध है। इसमें कोई संदेह नहीं है। साथ ही हमने शान्ति मिशन और उनके जरिये नागा विद्रोहियों के नेताओं का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The Burmese Government was requested not all those people to pass through their territory. Have they extended their help or turned down the request?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं बता चुका हूं कि इस सम्बन्ध में हम बर्मा सरकार से सम्पर्क बनाये हुए हैं।

श्री वासुदेवन नायर : क्या यह सच है कि नागा विद्रोहियों का प्रभावी वर्ग वर्तमान शांति समझौते के विरुद्ध है और उन्होंने सरकार से बातचीत मंत्रियों के स्तर पर करने के लिये कहा है; यदि हां, तो इसी कारण से प्रधान मंत्री ने उनके नेताओं से स्वयं मिलने के लिये कहा है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं तो यह समझता हूं कि यह प्रश्न प्रधान मंत्री जी से पूछना चाहिये।

श्री मा० ल० जाधव (मालेगांव) : नागा विद्रोहियों को निरस्त्र करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जब उनसे हमारा सामना होगा तो हम उनको न केवल निरस्त्र करेंगे बल्कि कुछ और भी करेंगे।

Shri Ram Harakh Yadav (Azamgarh) : Do these Naga leaders have expressed a desire to meet the Prime Minister and discuss with him the recent hostilities?

Shri Y. B. Chavan : Yes, once they had expressed a desire to meet the Prime Minister.

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

श्री दाजी (इन्दौर) : कल यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि दो वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी मंत्रियों, उच्च मंत्रियों और अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर खर्च की विदेशी मुद्रा संबंधी जानकारी देने के बारे में इस सभा को दिये गये आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया है। कल संसद कार्य मंत्री ने आगे बताया कि वे प्रयत्न करते रहे हैं लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला है। लोक सभा सचिवालय ने भी सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति के प्रयोग के लिये जानकारी देने के लिये बारबार वित्त मंत्रालय को लिखा है लेकिन उसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। मेरा निवेदन है कि यह निरन्तर अवहेलना और विलम्ब इस सभा और समिति के आदेशों की अवज्ञा करने के बराबर है तथा यह स्पष्ट रूप से इस सभा के विशेषाधिकार भंग करने का मामला है।

इस सम्बन्ध में मैं श्री मे द्वारा लिखित संसदीय प्रक्रिया संबंधी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 111 और 112 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिनमें इस प्रश्न पर विचार किया गया है कि क्या सभा के नियमों और आदेशों की अवज्ञा से सभा का अवमान होता है। श्री शेण्डरिच और मैरीनर्स के मामले में यह प्रश्न उठा कि क्या विवरण देने में विलम्ब करने से अवज्ञा होती है। समिति ने सर्व सम्मति से यह कहा कि बिना किसी क्षम्य कारण से विलम्ब से भी अवज्ञा होती है। आगे इस बारे में भी चर्चा की गई है कि क्या समिति के आदेशों की अवज्ञा, सभा की समिति को जानकारी तथा विवरण प्रस्तुत करने में विलम्ब से सभा का अवमान अथवा विशेषाधिकार भंग होता है, क्योंकि आश्वासन सभा में दिया गया था और यह निर्णय दिया गया कि इससे सभा का विशेषाधिकार भंग हुआ है।

इस मामले में बहुत विलम्ब हुआ है बल्कि इस सभा की सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति को जानकारी नहीं दी गई है। अतः इससे समिति का विशेषाधिकार भंग हुआ है। यह सभा का विशेषाधिकार भंग करना है क्योंकि लोक सभा के सचिवालय, से प्रार्थना के बावजूद, जो लोकसभा ही का अंग है। जानकारी देने में विलम्ब किया गया है। संसद् कार्य मंत्री को यह कहना पड़ा कि वे असमर्थ रहे हैं और उनके प्रयत्नों का कोई परिणाम नहीं निकला। मेरा निवेदन है कि वित्त मंत्री महोदय, जो अपने विभाग के लिये सभा में उत्तरदायी हैं, ने सभा का विशेषाधिकार भंग किया है और इसलिये सभा के अवमान के लिये उन्हें दोषी मानना चाहिये तथा इस विषयमें आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : अध्यक्ष महोदय, अपना स्पष्टीकरण देने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि सभा का सम्मान न करने अथवा मेरे मंत्रालय द्वारा सतर्क न रहने का आभास होने के लिये मुझे खेद है और इसके लिये मैं क्षमा मांगता हूं।

दो प्रश्न हैं, एक तो तकनिशियनों के बारे में, जो एक पुरानी बात है। मेरे सहयोगी श्री भगत ने 23 नवम्बर को संसद-कार्य मंत्री को लिखा था कि हमें अनेक स्थानों से जानकारी एकट्ठी करनी है और हमें जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि यह जानकारी हमें मिल जायेगी। विदेश जाने वाले सरकारी कर्मचारियों से संबंधित दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूं कि 16 सितम्बर, 1965 को दिया गया था। इसका संबंध वास्तव में मुझसे न होकर 46 मंत्रालय और विभागों से है। विभागों को महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व से मंजूरियों के बारे में पता करना है। यदि लेखे विभाग में होते तो सूचना शीघ्र दी जा सकती थी। यह हमारी लेखा पद्धति में दोष है और उसे हम दूर कर रहे हैं।

16 सितम्बर, 1965 को प्रश्न रखा गया था। और इन मंत्रालयों और विभागों को 15 जुलाई 1965 को लिखा गया था। 31 अगस्त, 1965 तथा 11 अक्तूबर, 1965 को उन्हें फिर लिखा गया तथा 4 नवम्बर, 1965 और 23 नवम्बर, 1965 को अर्ध सरकारी पत्र लिखे गए। फिर भी छः मंत्रालयों एवं विभागों ने अभी तक सूचना नहीं भेजी है। यदि अनुमति हो तो मैं अब तक प्राप्त सूचना

अगले सप्ताह भेज दूं और अन्य विभागों से सूचना उनसे मिलने पर भेज दूंगा। सभा जैसा चाहे में करने को तैयार हूं। मैं दोषी विभागों के नाम नहीं लेना चाहता। इसी प्रकार के दो अन्य प्रश्न हैं एक का उत्तर 26 अगस्त, 1965 को और दूसरे का 11 नवम्बर को दिया गया था। सरकार के पास इसका एक ही उपाय है कि कह दें कि जानकारी इकट्ठा करना संभव नहीं है। लेकिन मैं यह नहीं कहना चाहता। जो भी सूचना मिल सकती है उसे इकट्ठा करने के लिये मैंने भरसक प्रयत्न किया। लेकिन मैं सुझाव दूंगा कि भविष्य में जैसे जैसे सूचना प्राप्त होती जाये भेज दी जाये ताकि वित्त मंत्रालय पर कार्यवाही न करने का दोष न लगाया जाये। मैं देखने में अपने कर्त्तव्यों की उपेक्षा तथा सभा के प्रति सम्मान न दिलाने के लिये बिना शर्त क्षमा मांगता हूं, लेकिन यह सच नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri : Which these departments?

Shri Bade (Khargon) : The names of the departments must be given.

अध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात से सहमत हूं कि उनका उत्तर दायित्व हर प्रकार से परार्थ है सीधा नहीं है। उन्हें दूसरे मंत्रालयों से सूचना भेजने के लिये कहना पड़ता है। मंत्री महोदय को मैं यह सुझाव अवश्य दूंगा कि जिन विभागों ने विलम्ब किया है उनके विरुद्ध कोई खास कदम उठाना चाहिये, क्योंकि इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मांगी गई सूचना न भेजने में जानबूझकर विलम्ब करने से विशेषाधिकार का उल्लंघन होता है, न कि वित्त मंत्री द्वारा यह सूचना यथाशीघ्र प्राप्त करने के लिये विशेष उपाय करने चाहिये तथा जानकारी सभा-पटल पर रखी जानी चाहिये। इस समय जितनी भी जानकारी उपलब्ध है वह सभा-पटल पर रख दी जाये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : वह मैं करूंगा।

श्री मी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं आपसे सहमत हूं कि वित्त मंत्री की क्षमा-प्रार्थना स्वीकार कर ली जाये। लेकिन जहां तक अन्य मंत्रियों पर दोष डालने के उनके प्रयास का सम्बन्ध है मंत्रिमंडल तथा सरकार के इस सभा के प्रति संयुक्त उत्तरदायित्व का एक महत्वपूर्ण सिद्धान्त की ओर ध्यान जाता है। मंत्रीमंडलीय शासन पद्धति में प्रधान-मंत्री और मंत्रिमंडल को संयुक्त रूप से उत्तरदायित्व स्वीकार करने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं तर्क को समझता हूं लेकिन यह तो सरकार के विरुद्ध निन्दा प्रस्ताव अथवा अविश्वास के प्रस्ताव का आधार हो सकता है लेकिन वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार भंग करने का मामला नहीं।

श्री दाजी : मेरा निवेदन यह है कि वित्त मंत्री दोषी मंत्रालयों के नाम गोपनीय रखने का प्रयास कर रहे हैं। उन्हें नाम बताने चाहिये अथवा उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिये।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मेरा नम्र निवेदन है कि सूचना प्राप्त होते ही मैं सूचना भेज दूंगा। श्री मसानी ने संयुक्त उत्तरदायित्व की बात कही। मैं इस विषय में उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता। मैंने सभा को यह बताने के लिए कि मैं खाली नहीं बैठा रहा, की गई कार्यवाही का उल्लेख किया। मैंने उत्तरदायित्व से बचने का बिलकुल प्रयास नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : जब सूचना यहां प्रस्तुत की जायेगी तो नाम प्रकट हो जायेंगे।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : मैं नाम नहीं दे सकूंगा।

श्री स० मो० बनर्जी : माननीय मंत्री ने कहा है कि क्योंकि इसमें बहुत से मंत्रालय आते हैं इसलिये यह रिपोर्ट पेश करना उनके लिये असंभव है। कल गृह मंत्री जी ने आपसे प्रार्थना की थी कि दोषी विभागों के नाम न बताये जायें। यह कैसे संभव है ? क्या यह लोकहित में है ? हम दोषी मंत्रालयों अथवा मंत्रियों के नाम जानना चाहते हैं।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मेरे विचार में यदि मंत्री महोदय आपका सुझाव मानकर अन्य मंत्रालयों से प्राप्त उत्तर सभा-पटल पर रख दें तो दोषी मंत्रालयों के नाम हमें अपने आप ज्ञात हो जायेंगे इसलिये उन्हें यह सुझाव मान लेना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : कल तो उन्होंने ऐसा करने का वचन दिया था।

अध्यक्ष महोदय : यदि यह सूचना सभा को दे दी जाय तो मुझे कोई आपत्ति न होगी । यदि अभी सूचना न भी दी जा सके तो भी अन्त में कभी तो देनी ही होगी ।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : जितनी भी सूचना मेरे पास है वे मैं अगले सप्ताह सभा के समक्ष रख दूँगा जब सभा को अवसर प्राप्त होगा कि..... **(अन्तर्बाधाएं)**

अध्यक्ष महोदय : शान्ति । शान्ति । सभा को इतना समय दे देना चाहिये । वित्त मंत्री ने अभी जो क्षमा याचना की है वह हमें मान लेनी चाहिये । सभा को यह सूचना अभी देने के लिये बाध्य नहीं करना चाहिये । जानकारी लेने का जिम्मा मेरा रहा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं । की एक एक प्रति :—

(एक) विकृतीकृत स्पिरिट (अभिनिश्चयन और निर्धारण) संशोधन नियम, 1965 जो दिनांक 23 अक्तूबर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1545 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) जी० एस० आर० 1648 जो दिनांक 13 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) जी० एस० आर० 1689 जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(चार) जी० एस० आर० 1690 जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(पांच) जी० एस० आर० 1691 जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(छः) जी० एस० आर० 1692 जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(सात) जी० एस० आर० 1693 जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(आठ) जी० एस० आर० 1694 जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

(नौ) जी० एस० आर० 1695 जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी-5285/65 ।]**

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 76 वां संशोधन नियम, 1965, जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1682 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 77 वां संशोधन नियम, 1965, जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1683 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 78 वां संशोधन नियम, 1965, जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1684 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 79 वां संशोधन नियम, 1965, जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1685 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 80 वां संशोधन नियम, 1965, जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1686 में प्रकाशित हुए थ।

(छः) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात-शुल्क-वापसी (सामान्य) 81 वां संशोधन नियम, 1965, जो दिनांक 20 नवम्बर, 1956 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1687 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) 82 वां संशोधन नियम, 1965, जो दिनांक 20 नवम्बर, 1965 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1688 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 5286/65।]**

राज्य-सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य-सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 18 नवम्बर, 1965 को पास किये गये करारोपण विधियां (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक, 1965, के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि राज्य-सभा ने अपनी 30 नवम्बर, 1965, की बैठक में न्यायाधीश (जांच) विधेयक, 1964 पर दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति में सम्मिलित होने के लिये लोक-सभा की सिफारिश से सहमति प्रकट की और उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिये निम्नलिखित सदस्यों को नाम-निर्देशित किया :—

(1) श्रीमती अम्मन्ना राजा

(2) श्री जयसुख लाल हाथी

(3) श्री अकबर अली खान
(4) श्री रमेशचन्द्र शंकरराव खांडेकर
(5) श्री देवव्रत मुकर्जी
(6) श्री गोपाल स्वरुप पाठक
(7) प्रोफेसर एम० रत्नस्वामी
(8) श्री प्रकाश नारायण सप्रू
(9) श्री डी० एल० सेन गुप्ता
(10) श्री के० के० शाह

---

(1) खाद्य स्थिति तथा (2) अनावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTIONS RE : (i) FOOD SITUATION AND (ii) SITUATION ARISING OUT OF DROUGHT CONDITIONS—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब खाद्य स्थिति के प्रस्ताव पर हम आगे विचार आरंभ करेंगे। 15 घंटों में से 4 घंटे 15 मिनट लिये जा चुके हैं और 10 घंटे 45 मिनट शेष हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या मंत्री महोदय 6 को उत्तर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां। श्रीमती ज्योत्सना चंदा।

श्रीमती ज्योत्सना चंदा (कचार) : मैं सरकार का ध्यान चाय बागान क्षेत्रों में बेकार पड़ी भूमि की ओर दिलाना चाहती हूं और चाहती हूं कि इन्हें सहकारी संस्था अधिनियम के अन्तर्गत लाकर इनमें खेती की जाये। यदि भूमि सुधार वास्तव में आवश्यक हैं तो सरकार को इन्हें तुरन्त बिना हिचकिचाये लागू करना चाहिए। राशनिंग सभी मुख्य नगरों में लागू होनी चाहिये और वसूली सरकारी व्यापार द्वारा होनी चाहिए आपात का सामना करने के लिये प्रत्येक राज्य में 'बफार' भण्डार होने चाहिये और इन भण्डारों के बारे में सरकार को सजग रहना चाहिये। खाद्यान्न बहुत बड़ी मात्रा में पूर्वी पाकिस्तान को चोरी छुपे भेजे जा रहे हैं। सरकार को इसे रोकने के लिये तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये।

मत्स्य-पालन को प्रोत्साहन मिलना चाहिये और सरकारी मत्स्य-शालाओं द्वारा "स्पान" मछलियों का संभरण सस्ते दामों अधिक मात्रा में होना चाहिये।

जनता के आहार संबंधी स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिये जोरदार प्रचार कार्यक्रम चलाया जाना चाहिये जिससे अन्न का प्रयोग घटाया जा सके, साथ ही सरकार को चाहिये कि सस्ते दामों पर अन्य खाने योग्य पदार्थ सहायक आहार के रूप में उपलब्ध करे। जमाखोरों और काला-बाजार करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। संचार व्यवस्था को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिये ताकि खाद्यान्न लाने-लेजाने में सुविधा हो।

खाद्य के संकट के समय मिज्जो पहाड़ियों में उन विमानों द्वारा गिराना पड़ता है क्योंकि वहां संचार साधनों का अभाव है इस प्रकार बहुत-सा अन्न व्यर्थ चला जाता है। इससे बचने के लिये संचार का वहां विकास होना चाहिये।

खाद्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में प्रकाशित पुस्तिका में जो कार्यक्रम सुझाये गये हैं, उन्हें सरकार को सच्चे हृदय से अपना कर सफल बनाना चाहिये और अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों को भी इसमें पूरा सहयोग देना चाहिये ताकि हमें अपना स्वाभिमान बेच कर दूसरों के आगे हाथ न पसारने पड़े।

Smt. Shashank Manjri (Palamon) : Whatever good or bad happens in the country, it has its direct impact on the peasantry which is 85 per cent of the total population of the country. They produce all the good things for others but they themselves get a very rough deal from others, the society and the Government alike. It appears, whatever the Government does, its benefits go to undesirable elements of Society, viz., the smuggleers, black marketers, hoarders etc. Peasantry appears to be withering away as a result of continued exploitation of Society, in difference of Government and wrath of nature. They have been humbled by their own weakness and helplessness. They have to pay many times more for even those commodities which they themselves had produced. The Congress and the Government should pay serious attention to their plight. Now efforts are being made to produce food on every strip of land but all efforts would come to nought unless bribery and selfishness have not been eradicated. The effort now being made in this regard should have been made in the very beginning, if that had been the case we would not have come to such a pass. Empty words would achieve nothing. We are facing war as well as famine, and odds are heavy against us as far as means to overcome Scarcity situation are concerned. How could you expect people to work hard on empty stomatchs. 1966 appears to be the most critical year ahead but that would only be for the poor because the rich have already enough food stocks for at least a year. We are left with no choice except to accept aid under P.L. 480 and the like and then think for the future.

Shri Braj Bihari Mehrotra (Bilhour) : Though we have been discussing the food situation in every session, yet the situation had never been as grave as now. Unfortunately, the Government have never thought over the problem seriously and with a view to tackling it on a long term basis. They have always been thinking in terms of external help to solve this problem. Why our attention does not go to the huge quantity of that fertilising manure which is used as fuel in our country and this goes waste? We think of chemical fertilisers alone as if these alone would work wonders. On the other hand, this can kill all vegetation without adequate supply of water. There is no coordination in Food, Agriculture and Irrigation Department in State to see that water is made available to the farmer in time.

I am sure that if the farmer is provided with loans on low interest, irrigation facilities, seeds and manure, he can produce two and even three crops in one year.

In certain cities sewer pipes are being released into the Ganga, the Yamuna and other rivers and this being wasted. Now in villages

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

to septic tanks are being put up to destroy the excreta which is a very valuable means of fertilisers. I would request the Hon. Minister to consult the Agriculture Specialists to find out a way to exploit this wealth.

Those of us who are non-vegetarians should supplement their diet with eggs, meat and fish for which poultry, piggery, and fish-keeping should be developed.

Shri Braj Bihari Mehrotra]

The slogan to miss-a-meal is mainly meant for those well-to-do families who live in cities for in the villages where 87 per cent of our people live, most of the homes light their hearths only once a day.

Villages should be electrified quickly so that the dependence on water from big dams might be eased and instead tube-wells might be installed for surety of irrigational water from them. At the same time it should be cheap. Effective steps should be taken to save crops from rats, birds, jackals and other enemies of crops.

श्री वीरन्ना गौध (बंगलौर) : यद्यपि खाद्य मंत्री ने स्थिति का ठीक मूल्यांकन किया है और उन्होंने जो उपाय सुझाये हैं वे भी ठीक है परन्तु यदि इन्हें क्रियान्वित न किया गया तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। क्योंकि यही विचार तथा सुझाव पहले भी व्यक्त किये जा चुके हैं और इन पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई।

हाल ही में मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे से जो अनुभव हुआ है वह बहुत ही दुखपूर्ण था। सभी स्थानों पर जनता को न अन्न मिलता है और न ही उनके पशुओं के लिये चारा ही उपलब्ध है। इसके परिणामस्वरूप लोग अपने घर छोड़ रहे हैं। यद्यपि मैसूर राज्य की सरकार यथासंभव प्रयत्न कर रही है परन्तु स्थिति को देखते हुए यह बहुत ही थोड़ा है। इसलिये मैसूर सरकार की 20 करोड़ रु० की मांग को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये। सस्ते अनाज की दुकानों तथा सहकारी स्टोरों पर भण्डार अपर्याप्त हैं वहां अन्न शीघ्र पहुंचाया जाना चाहिये। चारे के अभाव के कारण पशु घरों से निकाले जा रहे हैं। भेड़ बकरियों तथा बैलों आदि के दाम एक-चौथाई रह गये हैं। सरकार को मैसूर के लिये चारे की व्यवस्था भी शीघ्र करनी होगी। क्योंकि भविष्य में इससे गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। रूसी ट्रैक्टरों के मूल्य में 50 प्रतिशत वृद्धि कर दी गई है जो बिलकुल अन्यायपूर्ण है।

मैसूर सरकार ने हाल ही में एक आदेश द्वारा जिला आयुक्त को यह निर्णय लेने का अधिकार दिया है कि खेतों में कौन कौन सी फसल बोई जाये। इस संबंध में किसी स्पष्ट विधि के अभाव से काफी कठिनाइयां उत्पन्न होने की आशंका है क्योंकि अधिकतर जिला नियुक्तों को कृषि तथा ग्राम्य जीवन का कोई अनुभव नहीं होता।

सहकारिता, कृषि, विकास आदि विभागों के बहुत से अधिकारी एवं कर्मचारी गावों में कार्य करने के लिये नियुक्त हैं परन्तु मेरा अनुभव तो यही है कि किसानों को उन्हों ने किसी प्रकार की कोई भी सहायता नहीं पहुंचाई।

[**श्रीमती रेणू चक्रवर्ती पीठासीन हुई**
SHRIMATI RENU CHAKRVARTI *in the Chair*]

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन अधिकारियों के कान खींचे और उन्हें उन कार्यक्रमों को पूरा करने में किसानों की यथासंभव सहायता करने को कहे जिनका उल्लेख खाद्य मंत्री जी ने अभी अभी यहां किया है।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : सभापति महोदय, सरकार पिछले कई वर्षों से मोनसून की आड़ में शरण लेती रही है। और भी कई देश ऐसे हैं जहां पर मौसम की खराबी का खाद्य उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है, परन्तु उन्होंने इसके उपाय कर लिये हैं और अब उन देशों में खाद्य उत्पादन मोनसून पर आधारित नहीं है। अल्प विकसित देशों में खाद्य उत्पादन गिरता जा रहा है और विशेष रूप से भारत में ऐसा है। सभी ऐसे देशों में जैसे कि रूस, यूगोस्लाविया, भारत

और चीन में खाद्य उत्पादन में कमी रही है और इसका कारण यह है कि औद्योगिक उत्पादन को बहुत अधिक प्राथमिकता दी गई। रूस में श्री खुरुश्चेव और यूगोस्लाविया में श्री टीटो जैसे व्यक्तियों ने प्राथमिकताओं के इस क्रम को उलट दिया और वहां पर कृषि उत्पादन को अधिक ध्यान दिया जाने लगा। हमारे नियोजन कर्ताओं ने इतिहास से सबक नहीं लिया और परिणाम यह है कि हम मोनसून पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। हमारी इस गलत नीति के कारण ही देश में खाद्य का संकट प्रायः बना रहता है। खाद्य की समस्या को हल करने के लिये दो बातों का होना बहुत जरूरी है। एक तो हमें यह पता होना चाहिये कि हमारी खाद्यान्न की आवश्यकता क्या है और दूसरे यह कि देश में सब स्थानों पर अनाज एक ही भाव पर बिके।

मैं माननीय खाद्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह आगामी कुछ वर्षों में एक राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार करने के लिये क्या कुछ कर रहे हैं ताकि हमें यह पता लग सके कि हमें खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या आवश्यक वस्तुएं चाहियें और उनसे कितना खाद्य उत्पादन बढ़ सकता है।

वैज्ञानिकों ने बताया है कि जमीन के नीचे पानी का स्तर गिरता जा रहा है और भारत में भी यह चीज़ देखने में आई है। हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। सरकार को चाहिये कि मोनसून पर भरोसा न करके प्रत्येक गांव में कम से कम एक नलकूप लगाये। क्या हम कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं बना सकते हैं जिससे कि यदि मोनसून अच्छी हो तो हम उसका लाभ उठा सके और उसके साथ साथ उस पर निर्भर भी न करें।

पानी के बिना खेती नहीं हो सकती है। इसलिये पानी की सामुचित व्यवस्था करने के लिये हमें दृढ़ नीति बनानी चाहिये।

अगला प्रश्न उर्वरकों का है। भारत में प्रति एकक एक पौंड उर्वरक प्रयोग होता है जब कि जापान में प्रति एकक 20 पौंड उर्वरक प्रयोग में लाया जात है। यही कारण है कि जापान में अधिक पैदावार है।

एक प्रश्न यह है कि क्या खेती के अन्तर्गत और भूमि को लाया जाये या इस समय उपलब्ध भूमि में ही गहन खेती की जाये। विश्व में कुल भूमि के 12 प्रतिशत भाग पर औसत रूप से खेती की जाती है। इस 12 प्रतिशत को बहुत काफी समझा जाता है। इसके विपरीत भारत में 45 प्रतिशत पर खेती की जाती है। इससे पता चलता है कि हम अपने संसाधनों से पूरा लाभ नहीं उठा रहे हैं और भूमि में पूरा उत्पादन नहीं कर रहे हैं। और अधिक भूमि को खेती के अन्तर्गत लाने का भी सुझाव दिया जाता है, परन्तु मैं इसके विरुद्ध हूं। पहले ही विश्व की औसत के मुकाबिले तीन गुना भूमि पर हमारे देश में खती की जाती है। सरकार को गहन खेती पर जोर देना चाहिये।

सरकार ने भूमि संबंधी सुधारों की ओर अभी तक पूरा ध्यान नहीं दिया है। हमारे देश की 50 प्रतिशत जन संख्या खेती के व्यवसाय में लगी हुई है और राष्ट्रीय आय में इसका 60 प्रतिशत योग है। जब तक सरकार कृषि की ओर पूरा ध्यान नहीं देगी हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि नहीं हो सकती है। हमारे देश में मूल्य की भी एक बड़ी समस्या है। यहां पर कृषि उत्पादन में वृद्धि होने पर किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता है। उत्पादन में कमी के कारण कीमतों में जोते जी आती है इसका लाभ भी किसानों को नहीं पहुंचता है, केवल व्यापारियों को ही पहुंचता है। अन्य देशों की सरकारें ऐसी स्थिति में किसानों को राज्य सहायता देती हैं। फ्रांस में जो कि एक औद्योगिक देश है, कृषि को बड़ा महत्व दिया जाता है। हमारी सरकार को कृषि की ओर बहुत अधिक ध्यान देना चाहिये।

[श्री अल्वारेस]

पिछले महीने विजयनगर में हुई विशेषज्ञ समिति की बैठक में निम्नतम समर्थक मूल्य, खरीद मूल्य तथा विपणन मूल्य की सिफारिश की गई है। मेरा सुझाव है कि निम्नतम समर्थक मूल्य और खरीद मूल्य को मिला कर एक कर देना चाहिये और विपणन मूल्य को अलग से स्वीकार करना चाहिये। खाद्य निगम को इस उद्देश्य से स्थापित किया गया था कि इसको खाद्यान्न के समाहार का एकाधिकार प्राप्त होगा। इसको देखते हुए इन तीन प्रकार के मूल्यों को रखने का कोई अर्थ नहीं है क्योंकि मंडी में लाये गये सारे अनाज को केवल खाद्यान्न निगम ही खरीदेगा। क्योंकि सरकार ने अपनी इस नीति पर पूरी तरह अमल नहीं किया है इसलिये पिछले 4 महीनों में अनाज के मूल्यों में बहुत उतार चढ़ाव हुआ है। पिछले वर्ष अच्छी फसल के होते हुए भी मंडी में अनाज का स्टाक नहीं आया। सरकार की राशनिंग की घोषणा को देखते हुए मूल्यों में बहुत अधिक तेजी नहीं आई, अन्यथा स्थिति बहुत गम्भीर होती। सरकार चाहे तो समर्थक मूल्य रख सकती है अन्य मूल्यों को रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि खाद्य निगम को कुछ राज्यों का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ है इसलिये यह अच्छा कार्य नहीं कर सका है। खाद्य निगम को खाद्यान्न के समाहार और मूल्यों के संबंध में पूरे अधिकार दिये जाने चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा हम कीमतों पर काबू नहीं पा सकते।

पिछले 5 वर्षों में सरकार ने चीनी के निर्यात के लिये चीनी उद्योग को 34.46 करोड़ रु० की राज्य सहायता दी है। सरकार गन्ना उगाने वालों को समर्थक मूल्य नहीं देना चाहती है और यही कारण है कि सरकार ने गन्ना उगाने वालों को कोई राज्य सहायता नहीं दी है।

पी० एल० 480 के अन्तर्गत आयात किये गये अनाज के लिये हम अमरीका को अब तक 927 करोड़ रु० दे चुके हैं। यदि इस रकम का एक भाग ही भारतीय किसानों को प्रोत्साहन के रूप में दे दिया जाता तो आज भारत में कृषि उत्पादन का चित्र कुछ और ही होता।

देश में खाद्यान्न के वितरण का काम इस समय व्यापारियों के हाथों में है। यदि सरकार खाद्यान्न के समाहार का काम अपने हाथ में पूर्ण रूप से ले लेती है तो मुझे विश्वास है कि सरकार वितरण पर भी नियन्त्रण रख सकती है। जब तक वितरण की पूरी व्यवस्था पूर्ण रूप से बड़े वितरकों के हाथ में रहती है समर्थक मूल्य देने और एकाधिकार समाहार का कोई अर्थ नहीं है। जहां तक खुदरा वितरण का संबंध है इसको खुदरा व्यापारियों के हाथों में रहने देना चाहिये।

कृषि मूल्य आयोग ने चेतावनी दी है कि हमें अगले 10 वर्षों तक खाद्य के मामले में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। खाद्य के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये हम 10 वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। जिस कार्य के लिये हमने 10 वर्ष का लक्ष्य रखा है उसे हमको 5 वर्षों में पूरा करना चाहिय। हमें अपने देश को यथा शीघ्र आत्मनिर्भर बनाना है।

श्री अं० चं० गुह (बारसार) : सभापति महोदय, इस समय खाद्य की स्थिति बड़ी गम्भीर है। ऐसी हालत में हमारे सामने उपलब्ध खाद्य के वितरण की समस्या सामने आती है। वितरण के लिये समाहार का होना आवश्यक है। समाहार और वितरण के लिये सरकारी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। गत वर्ष खाद्य की स्थिति इतनी खराब न होते हुए भी खाद्यान्न की वसूली निर्धारित लक्ष्य से 3 लाख टन कम रही। इस वर्ष खरीफ की फसल काफी कम हुई है और मैं नहीं समझता कि सरकार, अपनी राशन की नीति को बनाये रखने के लिये पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की वसूली कर लेगी।

सरकार को समाहार के प्रश्न को प्राथमिकता देनी चाहिये और फिर वितरण व्यवस्था को बनाना चाहिये। खाद्यान्न निगम को स्थापित किये गये आज एक वर्ष से भी अधिक हो गया है, परन्तु इसने अभी तक पूरा काम करना आरम्भ नहीं किया है। सरकार को खाद्य निगम को

पूरे अधिकार देने चाहिये ताकि वह सारे देश में अनाज की वसूली कर सके। इसके बाद निगम को वितरण के लिये अपने अभिकरण स्थापित करने चाहिये। जब तक वसूली की एकसम व्यवस्था नहीं होगी एक समान मूल्य नीति भी नहीं हो सकती है।

खाद्यान्न मूल्य आयोग ने अधिकतम मूल्य नीति का विरोध किया है। परन्तु सरकार ने अधिकतम मूल्य निर्धारित किये हैं। सरकार की इस नीति का पालन देश के किसी भी भाग में नहीं किया जा रहा है।

अनुमान है कि इस वर्ष खरीफ की फसल गत वर्ष की अपेक्षा लगभग 70 लाख टन कम होगी और पिछले वर्ष की खरीफ की फसल उससे पिछले वर्ष की अपेक्षा लगभग 40 लाख टन कम थी। रबी की फसल के भी कोई अच्छा होने की आशा नहीं है। इस समय हमारे देश में खाद्य की स्थिति बड़ी गम्भीर है और ऐसे समय में सरकार को यह देखना चाहिये कि जो भी नीति वह स्वीकार करती है उसको क्रियान्वित किया जाये।

सरकार को कृषि के संबंध में अच्छे बीज, उर्वरक, औजार आदि की व्यवस्था करने संबंधी नीति की क्रियन्विति में सफलता नहीं मिली है। कृषि अनुसन्धान संस्थाओं तथा विस्तार सेवाओं में कोई समन्वय नहीं है।

मेरा सुझाव है कि कृषि के लिय एक केन्द्रीय प्राधिकार होना चाहिये। कृषि को खाद्य से अलग कर के एक पृथक मंत्रालय बनाने के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये।

स्वयं खाद्य मंत्री ने कल अपने भाषण में यह कहा है कि खाद्य की स्थिति बड़ी गम्भीर है। किसी जादूमन्त्र से थोड़े से समय में खाद्य की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता है। इस समय खाद्य की कमी को पूरा करने के लिये पी० एल० 480 के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। झूठी आशाएं बांधने से कुछ काम नहीं चलेगा। हमें अनाज का आयात करना ही पड़ेगा। पिछली तीन योजनावधियों से सरकार राष्ट्र को खाद्य के मामले में झूठे आश्वासन देती रही है। अमरीका के लिये पी० एल० 480 के अन्तर्गत भारत में आने वाले अनाज पर भाड़े संबंधी प्रतिबंध को हटाने पर विचार करने का अब ठीक समय है।

महाराष्ट्र की आधी जनसंख्या को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। प्रत्येक राज्य में इससे मिलती जुलती हालत है। सरकार के लिये यह बहुत प्रशंसा की बात है कि अभी तक भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरा है। अनाज की कमी और सूखे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई एक उपायों का उल्लेख किया है। मैं उनका स्वागत करता हूं, परन्तु महामारी के फैलने के संबंध में सरकार ने किन्हीं पूर्वोपायों पर विचार नहीं किया है। लोग अब असाधारण भोजन खाना पड़ेगा, उनको ऐसा खाना खाना पड़ेगा जिसकी उनको आदत नहीं है और सरलता से जिसको हजम नहीं किया जा सकता है। इसको देखते हुए कई बीमारियों के फैलने का भय है। इसलिये सरकार को महामारियों के रोकने के लिये तुरन्त कुछ उपाय करने चाहिये। जिन क्षेत्रों में सूखे की हालते हैं वहां के लिये सरकार को पीने के पानी की व्यवस्था करनी चाहिये।

बहुतायत वाले राज्यों तथा कमी वाले राज्यों के लिये एक ही मूल्य नीति होनी चाहिए, बहुतायत वाले राज्यों को यह नहीं समझना चाहिये कि वे किसी अन्य देश से संबंध रखते हैं; वे एक ही देश के भाग हैं और यदि कमी पैदा होती है तो उसका भार सभी को सहना चाहिए।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपूर) : जैसा कि श्री अ० चं० गुह ने बताया और माननीय खाद्य मंत्रीने भी अपने भाषण में उल्लेख किया इस वर्ष खाद्य की स्थिति पिछले वर्ष से भी कहीं अधिक खराब है। मैं पूछना चाहता हुं कि तीन पंचवर्षीय योजना के पूरा होने पर भी और अमरीका से 2,638 करोड़ रुपये के मूल्य का अनाज और सहायता प्राप्त करने के बाद भी ऐसी स्थिति क्यों हैं। कृषि क्षेत्र की स्थिति पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। वास्तविक समस्या यह है कि जब तक वास्तविक रूप से खेती करने वालों के हित में आमूल भूमि संबंधी सुधार नहीं किये जायेंगे खाद्य स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। सरकार अब तक गलत नीति पर चलती रही है और इसी के कारण वर्तमान स्थिति है।

अभी अभी श्री गुहने कहा कि देश में भुखमरी की कोई घटना नहीं हुई है। नौकर शाहों और मंत्रियों के भाषणों को सुन कर तो आप यही कहेंगे कि भुखमरी की कोई घटना नहीं हुई है। परन्तु मैं कहता हुं कि सैंकडों व्यक्ति भुख से मर गये हैं। सरकार तो यही कहेगी कि भूख से नहीं अपितु अन्य कारणों से ये मृत्यु हुई हैं। कुछ राज्यों में जो भूमि संबंधी सुधार किये गये हैं वे गलत ढंग पर किये गये हैं और उनसे वास्तविक किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है। यदि आप गांवों में जायें तो आप देखेंगे कि वहां पर अधिकांश किसान बंटाई पर या मज़दूरी पर खेती करते हैं। ऐसी हालत में हम किसान से खाद्य उत्पादन में अपनी पूरी शक्ति लगाने की कैसे आशा कर सकते हैं? जब तक वर्तमान स्थिति में आमूल परिवर्तन नहीं किया जाता हम किसी बात की आशा नहीं कर सकते।

सरकार द्वारा इस सभा में कई बार यह कहा गया है कि किसानों को उचित मूल्य दिये जाने चाहिए। परन्तु केवल 14 से 16 रु० एक मन चावल का मूल्य निर्धारित किया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्रीने स्वयं यह कहा है कि कुछ मामलों में एक मन चावल पैदा करने पर 21 रु० खर्च होता है। ऐसी स्थिति में हम यह आशा कैसे कर सकते हैं कि किसान अपने पास फालतू अनाज की मात्रा को मंड़ी में लायेगा। इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल सरकार यह कहती है कि कीमतें कृषि मूल्य आयोग की मंत्रणा से निर्धारित की गई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि कृषि मूल्य आयोग ने किस आधार पर मूल्य निर्धारित किया था।

माननीय खाद्य मंत्रीने यहां पर कहा था कि सारे देश में 12 औंस का एक समान राशन दिया जायेगा। परन्तु शहरी क्षेत्रों के कुछ भागों में जहां पहले से ही राशनिंग की व्यवस्था है केवल 9 औंस ही राशन दिया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी स्थिति क्यों है।

बंगाल को और विषेशकर कलकत्ता को जो चावल दिया जाता है वह खाने के योग्य नहीं है। कलकत्ते में रहने वाला कोई भी व्यक्ति मेरी इस बात का समर्थन करेगा। कहीं से बहुत ही पुराने चावल लाकर बेचे जा रहे हैं जो खाने योग्य नहीं रहे हैं।

श्रमिकों को और अन्य व्यक्तियों को एक ही मात्रा राशन की दी जाती है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये। ब्रिटिश सरकार के ज़माने में श्रमिकों को अधिक राशन दिया जाता था।

सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि ऐसे प्रत्येक कारखाने में जहां मज़दूरों की संख्या 300 से अधिक हो उपभोक्ता सहकारी समिति बनाई जायेगी परन्तु अभी बंगाल के लिये यह आश्वासन पूरा नहीं हुआ है।

हमारे प्रधान मंत्री ने आत्मनिर्भर होने के लिये कहा है परन्तु बाद की घटनाओंसे ऐसा मालूम होता है कि वह सरकार इस बात पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है। यह सरकार की खतरनाक नीति को छिपाने की एक बात मालूम होती है। सरकार पी० एल० 480 के अन्तर्गत होने वाले आयात को बन्द करने के बारे में नहीं सोचती। इसके विपरीत खाद्य मंत्री ने खाद्य तथा कृषि संघ के रोम में हुये सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया की पी० एल० 480 के अन्तर्गत अधिक अनाज दिया जाना चाहिए। सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती की इससे अमरीकी साम्राज्यवादी किसी भी कठिनाई के समय हमें धोका दे सकते हैं।

जब तक की वसूली भूमि सुधार, उत्पादन में वृद्धि, मूल्य निर्धारण, वितरण आदि के बारे में सरकार की नीति में आमूल परिवर्तन नहीं होते कोई सुधार नहीं हो सकता। मैं इस सम्बन्ध में सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सरकार कहती है कि आत्मनिर्भर होने के लिये हफ्ते में एक बार खाना न खाया जाय परन्तु क्या सरकार लोगों को यह आश्वासन दे सकती है कि उन्हें बाकी तेरह बार के भोजन के लिये खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि ऐसा है तो लोग प्रसन्नता से एक समय का खाना त्याग सकते हैं।

छोटे छोटे स्थानों में खेती करने से खाद्य समस्या हल नहीं हो सकती। सरकार को चाहिये कि वह कृषि योग्य परती भूमि पर कब्जा करके उसे भूमिहीन श्रमिकों को बांट दे ताकि वे उसपर खेती कर सकें।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है, तिसरी योजना में पश्चिम बंगाल में एक भी नलकूप नहीं लगाया गया। बिजली के अभाव के कारण अथवा कुछ अन्य कारणों से वे काम में नहीं लाये जा सके।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, वास्तविक कृषकों को 0.3 प्रतिशत बिजली भी उपलब्ध नहीं कराई जाती है। हम खाद और अन्य प्रकार की दूसरी वस्तुओं देने की बात करते हैं परन्तु वास्तव में कुछ सहायता नहीं देते। मध्यम आकार की सिंचाई परियोजनाओं को ईमानदारी के साथ आरंभ किया जाये और ग्रामीण जनता से सहयोग लिया जाये।

जोत की अधिकतम सीमा प्रणाली गलत है। बड़े बड़े भूस्वामी किसी न किसी तरीके से अपने पास भूमि के बड़े बड़े क्षेत्र रख लेते हैं। अधिकतम सीमा से ज्यादा भूमि स्वामियों से ले लेनी चाहिये और उसे गरीब किसानों में बांटा जाना चाहिए।

जहां तक वसूली कार्यक्रम का सम्बन्ध है, राज्य भारतीय खाद्य निगम को सहयोग नहीं दे रहे हैं। वसूली करते समय उन किसानों को छूट दी जानी चाहिए जिनके पास अनामकारी जोतें हैं। यह भी आवश्यक है कि किसानों को अपना फालतू अनाज देने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये। खाद्य निगम की कोई परवाह नहीं करता; आंध्र प्रदेश सरकार ने कुछ जिलों से अनाज की वसूली करने के लिये खाद्य निगम को इनकार कर दिया।

जहां तक राशन व्यवस्था का सम्बन्ध है, सरकार को नगर तथा ग्राम्य क्षेत्र में भेद नहीं करना चाहिए। इन क्षेत्रों के लोगों को खाद्यान्न की समान मात्रा दी जानी चाहि श्रमिकों को अनाज की कुछ अधिक मात्रा दी जानी चाहिए।

हमारी कठिनाई का वास्तव में यह कारण है कि सरकार जनता विरोधी तथा जमाखोरोंके के पक्ष की नीति तथा अमरीकी साम्राज्यवादियों को प्रसन्न करने की नीति पर चल रही है।

[श्री दीनेन भट्टाचार्य]

यही कारण है कि आज यह दशा है कि देश की जनता यह समझती है कि स्थिति निराशाजनक हो रही है। इसलिये मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि वह अपनी नीति को ठीक करे। यदि वह अपनी नीति में सुधार नहीं करती तो स्थिति और भी गम्भीर हो जायेगी और लोग उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। वे इस सरकार को बदल देंगे और ऐसी नीति अपनायेंगे जिससे देश को खाद्य सम्बन्धी कठिनाई न हो।

श्री जैना (भद्रक) : पाकिस्तानी आक्रमण की पृष्ठभूमि में खाद्य का मोर्चा इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सैनिक मोर्चा। विदेशों से खाद्यान्न के सम्भरण की अनिश्चितता और मौनसून न होने के कारण खरीद की फसल की बहुत ही कम सम्भवना के कारण विशेष रूप से ऐसी स्थिति है इस दृष्टि से सरकार को रबी की फसल अधिक उगाने, तुरन्त वसूली करने और देश में खाद्यान्न के सुचारू वितरण के मामले की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। इस कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के लिये राज्य सरकारों का पूरा पूरा सहयोग अत्यधिक आवश्यक है।

मेरे विचार में खाद्यान्न की वसूली का काम राज्य सरकारों को सौंपा जाना चाहिये क्योंकि ग्राम्य क्षेत्रों में राज्य सरकारों की बहुत सी एजेंसियां होती हैं और वे वसूली का काम आसानी से कर सकती हैं। अपना खाद्यान्न बेचने के लिये किसानों को कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि वसूली के केन्द्र उनके क्षेत्रों से बहुत दूर नहीं होंगे। यदि यह काम केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया तो किसानों को कठिनाई होगी क्योंकि वसूली के केन्द्र बहुत कम तथा उनके स्थानों से दूर होंगे।

जबतक हम कृषिकार्य को लाभदायक नहीं बनायेंगे, कोई भी व्यक्ति यह कार्य करना पसन्द नहीं करेगा और वह नौकरी अथवा व्यापार सम्बन्धी कार्य करेगा और हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर नहीं हो सकेंगे।

जहां तक खाद्यान्नों के मूल्यों का सम्बन्ध है, समूचे देश में खाद्यान्नों के लिये समान मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिये। यदि सम्भव हो तो खाद्यान्न के साथ साथ अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य भी निर्धारित किये जाने चाहिये। खाद्यान्नों के समान मूल्य हो जाने से अन्तर्राज्य तस्कर व्यापार भी समाप्त हो जायेगा।

फालतू अनाज वाले राज्यों को यह कहा जाना चाहिये कि वे कमी वाले क्षेत्रों की अनाज की आवश्यकता पूरी करने के लिये अधिक अनाज दें। हमें अपनी कठिनाईयों को मिल कर दूर करना चाहिए और अनाज के लिये विदेशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने एक समय का भोजन त्यागने के लिये कहा है। देश की जनता ने इस का स्वागत किया है। इसके साथ साथ हमें अपना खाद्यान्न का उत्पादन भी बढ़ाना चाहिये।

अब रबी की फसल बोने का मौसम है। अधिक से अधिक खाद्यान्न का उत्पादन करने के लिये हमें सभी संसाधन जुटाने चाहिये। हमें यह प्रयत्न करना चाहिये कि एक ईंच भूमि भी परती न रहे यदि उस तक जल पहुंच सकता हो। सभी विकास खण्डों को कहा जाना चाहिये कि वे इस कार्यक्रम में तेजी लायें। हमारी सरकार को उत्पादकों को यथा सम्भव बीज, खाद, कीटाणुनाशक दवाइंया तथा पानी खींचने के पम्प उपलब्ध कराने चाहिये। आंगनों में उगाई जाने वाली सब्जियों को बन्दरों द्वारा अधिक क्षति पहुंचाई जा रही है; सरकार को इसे रोकना चाहिये।

मैं कानूनी रूप में लागू राशन व्यवस्था के बारे में भी कुछ कहना चाता हूं। हमें विशेष रूप से बड़े नगरों तथा बड़े पैमाने के औद्योगिक क्षेत्रों में कानूनी तौर पर राशन व्यवस्था लागू करनी चाहिये। कलकत्ता में राशन व्यवस्था लागू की गई है परन्तु श्रमिकों के लिये जो मात्रा निर्धारित की गई है वह काफी नहीं है। यह मात्रा कुछ बढ़ाई जानी चाहिए।

Shri Sarjoo Panday (Rasra) : We have discussed the food problem so many times previously also in this House. This Government has done nothing during the last 18 years to increase the food production. Government has been raising the slogans only but no concrete programme has been undertaken. Some hon. Members said that even Russia had to accept food from America in time of crisis. I don't mean that we should not copy whatever good points Russia has lent, we should also put more and more efforts in order to increase our own food production.

In so far agriculture in our country is concerned, irrigation facilities are utmost necessary. But I find that the percentage of irrigated land is very low in our country particulary in Eastern U.P. The deplorable conditions of Eastern U.P. were mentioned here last time also and Patel Commission was appointed consequently but the Government did not accept its recommendations. The Government has only increased the number of officers and done nothing else. Cheap electricity should be provided to the farmers for irrigation purposes. All the available means of minor irrigation should be utilized to the maximum.

In so far as land is concerned, the tillers have no land. There are corers of acres of waste land in possession of the big land lords. The land has been distributed on wrong basis.

[श्री सोनवने पीठासीन हुए
SHRI SONAWANE *in the Chair*]

The consolidation of holding in U. P. has not been done in a way favourable to the farmers.

Loans advanced for the purchase of pumping sets are not being used for that purpose. The Government should conduct an enquiry into this. The amount which is given for the purchase of tractors is not being used properly.

The prices of foodgrains have increased enormously. Rice is not available at Rs. 3 per kilogram in Calcutta. The Government should look into it.

It was strange that, instead of helping the farmers, the Government has increased the price of Soviet tractors from Rs. 5,000 to Rs. 9,000. It will be impossible for the farmers to purchase tractors now.

Our famine code is outmoded. No worker will come forward to work under this code. The Government should take steps to ensure that this code is brought up-to-date.

The poor people cannot afford to take fish and meat as both these commodities are available on high prices. This is no substitute for cheaper foodgrains.

The procurement policy being pursued by the Government is also wrong. In Bihar, the farmers who do not cultivate paddy are also asked to give paddy to the Government. The Government schemes cannot be successful in the way.

[Shri Sarjoo Panday]

In order to increse production it was necessary that the land lying waste should be brought under cultivation. A new Act should be passed where by wasteland could be acquired and brought under cultivation.

It is unfair on the part of the Government to shift the Ghazipur Opium factory to Neemuch on political considerations. It cannot be understood why this factory is being shifted.

I would also like to suggest to the Government that recommendations of the Patel Commission regarding Eastern U. P. should be implemented. Wasteland should be allotted to the actual tillers. Quotas etc. should be given to the people who may be helpful in increasing the food production.

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : सभापति महोदय, माननीय खाद्य मंत्री ने देश की खाद्यान्न स्थिति का स्पष्ट मूल्यांकन किया है । यह एक चुनौती है और राष्ट्र को इस चुनौती का सामना करना है, एक ओर भूखा है और दूसरी ओर आयात की कठिनाईयां है । पी० एल० 480 के आयात के सम्बन्ध में कुछ भी परिणाम क्यों न निकलें, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि यह हमारे सम्मान का प्रश्न है । देश में जितना खाद्यान्न मिल सकता है, उसका लोगों में एक जैसा वितरण होना चाहिये तथा उसका मूल्य उचित होना चाहिये ।

खाद्यान्न की दृष्टि से केरल कमी-प्रधान राज्य है । वहां की समूची भूमि पर कृषि की जाती है वहां पर उत्पादित कृषि वस्तुओं से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है । ऐसे लोगों को अधिकार है कि देश के अन्य भागों में उत्पादित खाद्य पदार्थों की मांग करें । खाद्यान्न के उत्पादन, वसूली और वितरण के लिये भारत सरकार के एक राष्ट्रीय नीति बनाई है । यदि उसे राज्य सरकारों द्वारा ईमानदारी से सहयोग न दिये जाने के कारण ठीक से लागू नहीं किया जाता तो इसका कोई उपाय किया जाना चाहिये यदि वातावरण ठीक बनाया जाये तो हम इस योजना को सफल बना सकते हैं और लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं ।

इस सम्बन्ध में कृषकों द्वारा उत्पादित खाद्य पदार्थों के मूल्य महत्वपूर्ण हैं । यह ठीक है कि मूल्य आयोग की नियुक्ति की गई है परन्तु मूल्य निश्चित करते समय खाद्यान्न पर किये गये समूचे व्यय की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये था । जहां तक वसूली का सम्बन्ध है, कम से कम मेरे राज्य में यह कार्य वैज्ञानिक ढंग से नहीं किया जा रहा है । वसूली का आधार उपज पर होना चाहिये न कि क्षेत्रफल पर ।

सहकारी समितियों से कृषकों को जो ऋण मिलता है, उसका ब्याज बहुत अधिक है । राज्य सरकार ऋण $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत पर देती है परन्तु कृषकों को यह ऋण 9 प्रतिशत पर मिलता है । इसके अतिरिक्त कोई एक या दो कृषक सहकारी समिति को ऋण नहीं दे पाते है और इस कारण सहकारी समितियों को जिला बैंक से ऋण नहीं मिलता है । इसका कृषि पर गम्भीर प्रभाव पड़ता है, इस सम्बन्ध में कुछ किया जाना चाहिये ।

फसल के नष्ट होने के कारण जिन कृषकों को हानि हुई है, उन्हें रियायतें दी जानी चाहिये । कृषकों को जोखिम के लिये कुछ प्रतिभूति का प्रबन्ध किया जाना चाहिये । कृषकों को प्रोत्साहन के लिये कर में रियायत देनी चाहिये । केरल के राशन में कमी नहीं की जानी चाहिये । यह भावना दूर की जानी चाहिये कि केरल के लोगों के साथ मूल्य और मात्रा के मामले में मतभेद किया जा रहा है ।

श्री जसवंत मेहता (भावनगर) : कल माननीय कृषि मंत्री ने बताया था कि हमें किस प्रकार खाद्य समस्या का सामना है। कुछ राज्यों में पीने के जल के सम्बन्ध में कठिनाई है। पशुओं के लिये चारे की भी कमी है। यह स्थिति बहुत गम्भीर है, आज खाद्य समस्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि प्रतिरक्षा की समस्या। हमें वर्तमान कमी का सामना करना है। हमें दीर्घ काल तक के लिए कभी भी समस्या का सामना करना होगा, खाद्य राजनीति से स्वतंत्र होना चाहिये। परन्तु राज्य खाद्य के विषय में भी राजनीति को बीच में घसीट रहे हैं। बाहुल्य वाले राज्य कमी वाले राज्यों से लाभ कमा रहे हैं। हमें इस सम्बन्ध में स्पष्ट नीति बनानी चाहिये।

हमारी मुख्य समस्यायें उत्पादन, वसूली तथा वितरण की हैं। इन समस्याओं पर तुरन्त ध्यान दिये जाने की आवश्कता है। गत वर्ष हमें बताया गया था कि कृषि पोषक नीतियां और वसूली आदि की नीतियां बनाई जा रही हैं लेकिन कठिनाई यह है कि उन नीतियों को लागू नहीं किया जा रहा है। राज्य केन्द्र का साथ नहीं देते। उन्हें उसके लिये बाध्य किया जाना चाहिये। अन्यथा हमें ऐसी भीषण स्थिति का सामना करना पड़ेगा, जैसी कि बंगाल में हुई थी और लोग मरने लगेंगे।

जब हमें चीनी आक्रमण और पाकिस्तानी आक्रमण का सामना था तो भारत ने मिलकर उसका सामना किया था। हम खाद्य स्थिति का सामना मिलकर क्यों नहीं कर सकते? विभिन्न राज्यों में मूल्यों में असमानता नहीं होनी चाहिये। सभी के लिये समान नीति होनी चाहिये। हमें वसूली और वितरण के मामले में राष्ट्रीय खाद्य नीति बनानी चाहिये और उसे कार्य रूप में परिणत करना चाहिये। राज्य स्तर पर और ग्राम स्तर पर कार्य कुशलता होना भी आवश्यक है। यह कहा जाता है कि खाद्य निगम का गठन किया जा रहा है। क्या सरकार बतायेगी कि कितने राज्यों में खाद्य निगम कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार कर रहे हैं?

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अभी तक हम 15 प्रतिशत से अधिक कृषकों को ग्राम्य ऋण नहीं दे पाये हैं। यदि हम चाहते हैं कि ग्राम्य ऋण ग्रामों तक पहुंचे तो हमें इस प्रणाली को क्रान्तिकारी बनाना होगा। हमें कृषकों की ऋण लेने की क्षमता उनकी भूमि के आधार पर तय करनी चाहिये। हमें विदेशी मुद्रा की कठिनाई का सामना है परन्तु हमें किसी प्रकार भी उर्वरकों का आयात करना चाहिये और उसका सम्भरण करना चाहिये।

बड़ी परियोजनाओं में राजनीति के कारण विलम्ब हो रहा है। यदि नर्बदा घाटी परियोजना कार्यान्वित की जाये तो इस से मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात को लाभ पहुंचेगा, यदि राज्यों राजनैतिक झंझटों के कारण इन परियोजनाओं को आरम्भ नहीं करते तो उनको कार्यान्वित करने का और वित्त व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार को उठाना होगा।

मंत्रालयों के बीच और केन्द्र तथा राज्यों के बीच कोई तालमेल नहीं है। यदि हम अपनी नीति में तालमेल नहीं रख सकते तो हम सफल नहीं हो सकते। जब कोई सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है और नीति बनाई जाती है तो उसको कार्यान्वित करने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये। यदि विलम्ब होगा तो हम अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पायेंगे।

[श्री जसवंत मेहता]

कमी वाले क्षेत्रों में कृषकों ने जो ऋण लिए हैं, उन्हें कम से कम एक वर्ष तक वसूल नहीं किया जाना चाहिये ताकि कृषकों पर अपने ऋण देने के लिये कोई दबाव न पड़े। जब तक ऐसा नहीं किया जाये तब तक यदि हम कृषकों को अन्य सुविधायें दे भी दें तो भी वे उत्पादन में वृद्धि के पूरे प्रयत्न नहीं कर सकेंगे।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : According to the paper circulated by the Ministry in November, 1965, it is the duty of the people in accordance with the famine code to feed the people in case of famine, but that code was formed by the Britishers. According to Article 47 of our Constitution, that responsibility has been entrusted to the Central Government. Therefore, if it is a famine and people die of hunger, the Central Government should shoulder the responsibility.

The Minister has appealed for cooperation. I also want that everyone should cooperate in this matter. The Government should take action in case of famine. The progress in regard to collective farming is very disappointing although elections in 1962 were won on this issue. Out of a total of about 32 crore acres of cultivated land, only 2½ lakh acres have been brought under collective farming. You should try to implement the principles which you have advocated to win the elections?

It, some times, appears that the whole discussion is being held with regard to P.L. 480. Government should have a clear and firm policy in regard to their relation with America and Russia. We should tell both of them explicitly that we cannot side with either of them against the other. It is bad to go on changing our policy particularly with regard to America and Russia.

So long as the present polices of the Government continue, we cannot get rid of famines. The trouble is that in spite of our Five Year Plans, production is not increasing according to the growth in population. The result is that people are not getting sufficient food and there are forty lakh premature deaths every year.

We cannot increase production unless long-term irrigation schemes are taken up. It is also necessary that a balance is maintained in the prices of industrial and agricultural products and those who disturb this balance should be punished.

Government should not use force in the procurement of foodgrains because famine conditions are prevailing in the country and the people are hard pressed, unless the Government changes her policies, it becomes the duty of the people to put an end to such a Government.

Shri A. S. Saigal (Janjgir) : I want to place before you the food situation in Madhya Pradesh. We need 19 lakh metric tons of rice and wheat for domestic consumption. In normal circumstances i.e. when the rains are normal. But to-day there are 40 districts in Madhya Pradesh where famine conditions prevail. If you see the production figures of our State, you would find that this time the crops would be less than ¼th of the normal crops. You may enforce rationing or open fair price shops in Madhya Pradesh, but we would need 1 lakh metric tons of imported wheat and 1 lakh metric tons of rice.

In 1964 Madhya Pradesh was supplied 1 lakh 57,000 metric tons of imported wheat and 9,000 metric tons of rice and in 1965, 35,000 metric tons of imported

wheat and 2,000 metric tons of rice. During 1963-64 Central Government procured 3·77 lakh metric tons of rice from Madhya Pradesh and during 1964-65 purchased 4·2 lakh metric tons of rice.

Whenever the crops are good, we have a little surplus in Grains and Millets; but whenever wheat is in shortage, there is greater consumption of grams and millets. After consuming whatever surplus Millets are left, we supply to the other States. We procured 54,000 metric tons of rice and as per the orders of the Central Government, we have supplied 10 thousand tons to Maharashtra and 40 thousand tons to Gujerat.

I would request the Irrigation Minister to provide us irrigation facilities from the Masda Project and we would be self sufficient. In the Southern part of our States the yield of crops is two to three times the yield of crops in other parts, because of sufficient irrigation facilities available there. If irrigation facilities were made available in these districts also, we would be able to step up our production here also. But at present the famine conditions should be removed there, i.e. relief works should be opened, people should be provided with food and we should pay sympathetic and human consideration for the return of taccavi loans by farmers who are unable to pay them. I would request the Hon. Minister that force should not be used for the recovery of loans. I would also request the Hon. Minister to consider granting of loans to farmers on individual basis, otherwise they have to go to cruel money lenders and are caught in their clutches. I would also request the Government to pay attention to the conditions of small holdings. If the crops are not good, they are left with no means to sow the next crop. We must improve our agricultural research. The work of Community Development, Food and Irrigation Departments should be so coordinated that there should be maximum coordination.

श्री हनुमन्तैया (बंगलौर) : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार मैसूर के कमी वाले इलाकों में अनाज भेज रही है। मैसूर के दक्षिण भाग में आज तक कभी कोई दुर्भिक्ष नहीं पड़ा है। मेरे पितामह मुझे बताया करते थे, और सर एम० विश्वश्वरैया ने भी अपनी आत्मकथा में बताया है कि 90 वर्ष पहले यहां पर अकाल पड़ा था और इसमें बहुत से व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। परन्तु अब संसार के देश उस ऊंचाई पर पहुंच गए हैं जहां वे एक देश में अकाल देख कर चुप नहीं बैठते और अकालग्रस्त देश की सहायता करते हैं। हमारे नेताओं का यह कहना कि हम बिना शर्तों के सहायता लेंगे, बिल्कुल गलत है। हमें इन देशों के सामने झुकना पड़ेगा और उनकी सहानुभूति का पात्र बनना पड़ेगा जो हमें सहायता देंगे। यदि हमें यह सहायता न मिली तो कम से कम 5 करोड़ व्यक्तियों की मृत्यु हो जायेगी। हम 18 वर्षों से जो नारा लगाते आ रहे हैं कि हम बिना शर्तों के सहायता लेंगे, हमें अब छोड़ देना चाहिये इससे हम अन्य राष्ट्रों को केवल नाराज़ ही करते हैं। हमें तो यह कहना चाहिये कि हमारे यहां लोग भख से मर रहे हैं और हमें आपकी सहायता चाहिये। इससे हमें अधिक सहायता मिलेगी। अब अभावग्रस्त क्षेत्रों के बारे में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इन क्षेत्रों में सहायता कार्य तुरन्त आरम्भ कर दिये जाने चाहिये। दो वर्ष हुए मैसूर के संसद्-सदस्यों की एक बैठक में यह फसला किया गया था कि बंगलौर जिले में एक छोटी सिंचाई योजना आरम्भ की जाये। माननीय मंत्री भी इससे सहमत थे। परन्तु अभी तक उस योजना की सरकारी मंजूरी भी नहीं आई है। इस योजना से न केवल भविष्य में कभी दुर्भिक्ष नहीं पड़ेगा बल्कि लोगों को तुरन्त सहायता भी मिलेगी।

मैं खाद्य मंत्री को यह भी बताना चाहता हूं कि पंजाब, राजस्थान और बंगाल में चने का भाव 50 रुपये क्विन्टल है जब कि मैसूर में यह 200 रुपये क्विन्टल है। मेरा

[श्री हनुमन्तैया]

माननीय मंत्री से यह अनुरोध है कि कम से कम दालों के एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : दालों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। चने पर प्रतिबन्ध है क्योंकि पंजाब, उ० प्र०, राजस्थान, बिहार में इसका अनाज के रूप में प्रयोग होता है।

श्री हनुमंतैया : हमारे यहां भी इसे पौष्टिक भोजन माना जाता है। एक किलोग्राम चने से एक परिवार का दो दिन का गुजारा चल सकता है। अतः मैं चाहता हूं कि देश भर में चने के ऊपर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये। मैं अठारह वर्षों से इस खाद्य समस्या को सुलझाने के सुझावों को सुनता आ रहा हूं और मैंने पाया है कि वे लगभग सभी एक समान हैं केवल उनको ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है। योजनाओं के बनाने में कोई त्रुटि नहीं हुई है केवल प्रशासकीय अकर्मण्यता के कारण उनको ठीक ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया है। यदि हम सचमुच खाद्य समस्या को सुलझाना चाहते हैं तो केन्द्र में खाद्य तथा कृषि का कार्यभार प्रधान मंत्री को सौंपा जाना चाहिये और राज्यों में मुख्य मंत्रियों को। दूसरे इस कार्य के बजाय आई० सी० एस० और आई० ए० एस० लोगों के उन लोगों को सौंपा जाय जो इस कार्य को जानते हैं। यदि तकनीकी व्यक्तियों के ऊपर, जो कृषि कार्य को अच्छी तरह जानते हैं, आम व्यक्तियों को रखा जायेगा तो उनको कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। सबसे पहला कार्य तो यह किया जाना चाहिये कि आई० ए० एस और आई० सी० एस० लोगों को इस क्षेत्र से दूर रखा जाना चाहिये। और कृषि के निदेशक को कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होना चाहिये। यदि वह निश्चित अवधि में उत्पादन न बढ़ा सके तो उसे सेवा से च्युत कर देना चाहिये। जिस प्रकार एक सैनिक तब तक कोई युद्ध नहीं जीत सकता जब तक वह मरने के लिये तैयार न हो, उसी प्रकार यदि कृषि निदेशक अपने कार्य में सफल न हो तो उसे अपना पद त्यागने के लिये तैयार रहना चाहिये।

Shri Tan Singh (Barmer) : The food minister has blamed failure of rains for the food crisis. If after 15 years of planning, we are still dependent on rains and are not able to control floods or rains with the help of scientific and technical knowledge. For the last 15 years we have not been able to find any permanent solution of floods or drought.

We have constituted a planning Commission for the balanced economic development of the country. It has spent crores and crores of rupees for industrial development and completely ignored the agriculture. We should not bring in politics in the case of agriculture. We can have a lot from Israel but in order to please Arab nations we are not maintaining any relations with her. I give you another example of politics in agriculture. The Government has established a fertilizer plant in Sindri, while the gypsum needed for it is mined at Rajasthan. So that Rs. 60 per ton are wasted for it's transportation to and from the mine. It is not a tribute to the misuse of Planning Commission.

Long back Rajasthan Government had requested in Centre to take up the work of Rajsthan Canal as if did not have the economic means to bear its cost. But the Government have not taken any decision thereon so far. This canal is not only important for increasing the production of food, but it is important from military point of view. Like Ichhagil canal, if it is deepend and intended, if can be an effective defence against Pakistani aggression. I feel that there is a great necessity of coordination between the Ministries of food and agriculture. We must also establish a united command for the ministries of agriculture, Community

Development and Irrigation. When there was famine in Rajasthan during last year, at that time, the food minister had assured that 250 tube wells would be set-up there. But only 125 tube wells have been set up so far. Government is not fulfillling the assurances given by it.

It is being said that agriculture in principally a state subject and States do not carry out the policies laid down by the Centre. But who is responsible for it? It is the Centre's responsibility. It should either amend the consitution or adopt some other procedure, but it must solve the food crisis. In 1954, the Central Government set-up some tube wells in the Rajasthan area. These tube wells had a capacity of 50,000 gallons per hour. But you would be surprised to know that uptil 1964, the land covered by those tubewells had not been allotted to any body. If the Central Government takes this plea that allotment of land is the responsibility of State Government, then it also cannot absolve itself of the blame.

Ours is a big country. The advantage of a big country is that if there is scarcity in one area, then foodgrains from the surplus area can be rushed to the place. But unfortunately we have divided into watertight areas so that there is no free movement of foodgrains, which results in blackmarketing in the scarcity area

The importance which is being given to industries, is not being given to agriculture. As a result thereof the condition of the farmer is becoming from hand to mouth; so that the farmer is losing interest in agriculture. The Government have fixed a ceiling on land holdings. Rajasthan Government was not agreeable to this ceiling on land holding. But the Central Government replied that ceiling on land holdings is being followed as a national policy. Therfore, this ceiling is essential. But ultimately this policy would prove harmful, because the number of claiments to that piece of land would increase and the profit would decrease. In this country the farmer is being neglected. He finds the life in city more attractive and the jobs more lucrative. That is why people are deserting the villages and going to cities. If Government starts discriminating in the matter of distribution of foodgrains then that would be the last straw on the Camel's back and we would never be able to improve our agriculture.

Our Prime Minister has made very good slogan—long live Jawan, long live kisan. This slogan should be put into practice. Another thing which I would stress is farmer should be supplied power at the same rate at which it is supplied to industries.

In 1956, we had enterd into agreement with America under P. L. 480 for the import of 7 million tons of foodgrains. This was a temporary measure so that our situation in future may improve. But this situation has continued to deteriorate since 1956. I do not want that it should be stopped, but we must strive to affain self sufficiency.

Shri K. D. Malaviya (Basti) : I heard the speech of Shri Subramaniyam with great care. Because he is a responsible person, we must pay due attention to his speeches. He has placed a very gloomy picture of the food situation before us. It has caused great concern to us.

हमें खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये सभी सम्बद्ध विषयों पर विचार करना है। मेरे नागपुर वाले वक्तव्य को समाचारपत्रों में गलत प्रकार से छापा गया है। मैंने यह नहीं कहा था कि वर्तमान खाद्य मंत्री को बदल दिया जाये। ऐसा करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कई वर्षों

[Shri K. D. Malaviya]

से हम त्रुटियों और आरोपों को सुनते चले आ रहे हैं। इस समय कोई नई बात नहीं कही गई है। हमें अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा। हमें यह समझ लेना चाहिये कि हमारी नीति में हमें सफलता नहीं मिली है।

इस विषय में किसी विशेष सैद्धान्तिक विचारधारा की बात नहीं है। अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत निरन्तर अनाज मंगाते रहना ठीक नहीं है। इस से हमारे कृषि उत्पादन सम्बन्धी कार्यक्रम पर भी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इससे हमारे आत्म निर्भरता संबंधी प्रयत्नों पर भी प्रतिकूल भाव पड़ेगा। इसलिये विदेशों पर निर्भर करने की प्रवृत्ति को समाप्त किया जाना चाहिये। हमारे देश में अन्य देशों की अपेक्षा प्रति एकड़ उत्पादन पहले ही बहुत कम है। हां अल्पकालीन व्यवस्था के रूप में अनाज को आयात किया जा सकता है परन्तु हमें शीघ्र से शीघ्र आत्म निर्भर बनने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। कई क्षेत्रों में पी० एल० 480 पर निर्भर करने की बात हो रही है। यह उचित नहीं है। यह आत्म निर्भरता के निर्णय के विपरीत है।

हमने एक समाजवादी ढंग का समाज स्थापित करने का निश्चय किया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये पूरे प्रयत्न करने चाहियें। केवल तभी हम सफल हो सकते हैं। और बातें करने से कोई लाभ नहीं होगा। वितरण व्यवस्था में भी कई युटियां हैं। जब तक मुख्य काम अन्य लोगों के हाथ में है किसी सुधार की आशा नहीं की जा सकती। यह बात ठीक है कि इस मौसम में वर्षा नहीं हुई है। फिर भी स्थिति इतनी निराशाजनक नहीं है कि जितनी यहां पर बतायी गयी है। मेरे जिले में खरीफ की फसल काफी अच्छी हुई है। उत्तर प्रदेश के अन्य ज़िलों में भी स्थिति इतनी खराब नहीं है। पिछली रबी की फसल भी बहुत अच्छी थी। मेरा जिला एक निधन जिला समझा जाता है उसमें भी इस बार फसल ठीक हुई है। इसलिये हमें स्थिति पर फिर विचार करना चाहिये।

वर्षा न होने से भी कोई विशेष अन्तर नहीं होता। वास्तविक आवश्यकता तो भूमि सुधार तथा वितरण को ठीक करने की है। इस सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने कुछ सराहनीय कार्यवाही की है। उन्होंने भूमि जोतने वालों को उत्पाद का भूमि के मालिकों की अपेक्षा अधिक भाग दिया है। इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने में प्रोत्साहन मिलेगा।

आप अधिक मात्रा में खाद्यान्नों का आयात कर सकते हैं परन्तु जब तक वितरण व्यवस्था में सुधार नहीं होता खाद्य स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। हम पिछले कई वर्षों से विदेशों से अनाज मंगा रहे हैं परन्तु मूल्यों में फिर भी कमी नहीं हुई है और अभाव भी वैसे ही चला आ रहा है। इस में हमारी असमर्थता प्रकट होती है कि हम अपनी नीति का अनुसरण नहीं कर सकते।

सरकार के बीज फार्म देश में अच्छे तथा पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। सरकार के पास वित्त भी था तथा तकनीकी जानकारी भी थी परन्तु फिर भी सफलता नहीं मिली और अच्छे बीजोंका उत्पादन नहीं हो सका। अब सरकार संयुक्त स्कंध समवायों की सहायता से खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाना चाहती है। इस प्रकार उद्योगपतियोंको यह अधिकार देना अनुचित है। क्या इस प्रकार सरकार अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहती है। क्या सरकार भूमि को कुछ मुनाफाखोरों को सौंपना चाहती है? ये वही लोग हैं जो करों का अपवंचन करते हैं। यदि सरकार इन गैर-सरकारी समवायों को यह काम सौंप देती हैं तो बड़ी शर्म की बात होगी। इससे हमारी असफलता का परिचय होता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह कदम न उठाया जाये। इससे कोई लाभ नहीं होगा।

यदि हमें खाद्यान्नों के विषय में आत्म निर्भर बनना है तो हमें अपनी नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा। इस में सम्पत्ति तथा भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी नीति की बात भी आती है। हमें इस पर विचार करना चाहिये और निर्णय करना चाहिये। उसके पश्चात् ही हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।

Shri Lahtan Chaudhry (Saharsa) : Sir, we have to make every endeavour to increase our food production. There is no difference of opinion on this. Government is trying its best to achieve its targets. It should be seen that schemes are implemented in right earnestness at lower levels also. It is noticed that the funds allocated for minor irrigation schemes are not utilized and are surrendered. This matter should be considered seriously.

As per Government's figures 1961-62 was record year of production. Then after that there was some shortfall in production. During 1963-64 the production of foodgrains was higher again. The import of foodgrains has also been increasing. In these circumstances the prices should not have risen. I have not been able to understand this.

There seems to be something wrong in the compilation of price Index or Government policies are not being implemented properly.

Government should provide remunerative price to farmers. It will act like an incentive. This becomes all the more necessary when prices are low. The prices are constantly rising. People are in great difficulty.

The big mill owners hoard stocks and take undue advantage whereas the small dealers have been put to hardship by rising prices. Government should consider this matter seriously and provide some relief to the small dealers. Government should fix a maximum price and foodgrains should be available on that price. If it is not possible, Government should create a buffer stock. Prices can be controlled with the help of this stock. The present policy is not good. The foodgrains are not coming into the market. The big businessmen are buying at higher rates. Government has not put any restriction on this. Then on the other hand Government has imposed levy. These two things cannot go together. I have found small farmers selling there produce at very low rate to big dealers. Government should itself buy at reasonable rates and others should be barred from buying.

The large number of B. D. Os should be utilized in proper way. Government should ensure procurement of paddy at the stage of standing crops. By doing so, it would be possible to set up a big buffer stock.

Shri S. L. Verma (Sitapur) : Sir, Government has failed in the sphere of agriculture. We hear so much about the increase in the agricultural production but in reality that is not a fact. A large part of public money is not utilized properly. During recent conflict with Pakistan, America had threatened to stop all aid. In such an eventuality we would have been put to great difficulty. Our countrymen were prepared for any sacrifice. I understand America had put certain conditions while agreeing to give us wheat and our Minister of Food had agreed to fulfill those conditions. I want that the hon. Minister should enlighten us in these matters and our Government should not agree to any such conditions.

There is great unemployment in our country. There is shortage of foodgrains. Our country has not got adequate Army. Our population is increasing and the number of tillers of land is not increasing. It is resulting in unemployment and shortage of foodgrains.

I suggest that more people should be persuaded to work in agriculture. It will help in resolving the unemployment problem and the agricultural output would also go up. The children of farmers should be imparted military training it will be helpful in providing good soldiers for army. Our farmers do not have adequate facilities for irrigation and manure. Government should make adequate provision for seeds of good quality.

[Shri S. L. Verma]

The farmers are experiencing great difficulty on account of paucity of water for irrigation. The standing crops are becoming useless. It is all due to shortage of water facilities.

Government machinery has failed miserably. The farmers are not getting manure according to their requirements.

The U. P. Government has increased the land revenue. This increase will not help in increasing the food production. I know this has caused frustration among farmers. The Central Government says that it is a subject to be decided by the State Governments. I want that the State Governments should be directed not to increase the land revenue in this emergency.

---

*केरल के किसान

**KERALA CULTIVATORS

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : इस चर्चा के द्वारा मैं केरल के कई सौ किसान परिवारों की दशा सामने लाना चाहता हूं जिन्हें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। 1961 में राज्य के ऊंचाई वाले स्थानों से लगभग 2,000 परिवारों को उठाया गया था। उस समय यह एक परियोजना के लिये किया गया था, परन्तु बाद में उस 8,000 एकड़ भूमि को परियोजना के लिये प्रयोग नहीं किया गया। उस स्थान को अब चाय बागान के लिये प्रयोग में लाया जा रहा है। यह पहले की बात है। अब भी सरकार कुछ ऐसे क्षेत्रों में कुछ ऐसा ही कर रही है जहां पर वास्तव में कोई परियोजना नहीं बनायी जायगी। बेचारे किसानों को इन बातों का पता नहीं चलता है। सभी दलों के लोगों ने उस समय की सरकार के इस कार्य की निन्दा की थी। लगभग 2,000 परिवारों के 10,000 लोगों को बड़ी मुश्किल स्थिति में छोड़ दिया गया था। नये स्थान पर बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। उस समय इस अत्याचार के विरुद्ध बहुत आवाज उठी थी और सरकार ने उन लोगों को एक एकड़ प्रति परिवार भूमि देने को कहा गया था और 100 रुपये भी देने की बात हुई थी। अब सरकार कहती है कि उन लोगों ने उस भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा किया है। केरल की जन संख्या वहां की भूमि की अपेक्षा बहुत अधिक है। अतः वहां के लोग भूमि के लिये कहीं भी जा सकते हैं। 1942 में खाद्यान्नों के अभाव के समय लोग वहां पर गये थे और उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों को ठीक किया था और खेती के योग्य बनाया था।

अब उन लोगों के साथ बहुत खराब व्यवहार किया जा रहा है। इस समस्या को कानूनी दृष्टिकोण से हल नहीं किया जाना चाहिये बल्कि मानवीय आधार पर इस प्रश्न पर विचार होना चाहिये। मुझे विश्वास है माननीय मंत्री जी इस ओर सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनायेंगे।

1961 में हटाये जाने वाले 183 परिवारों की दशा बहुत ही खराब है। सरकार ने उन्हें अन्य स्थानों पर जमीन आदि देने का आश्वासन दिया है और मंजापारा नामक स्थान पर जहां उन्हें आबाद किया गया है उन की हालत और भी खराब है। वहां पर उन्हें जीवन की सामान्य सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं। सरकार को इस विषय की ओर ध्यान देना चाहिये और आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिये।

वहां एक और समस्या औषधालय की है, क्योंकि व्यवहारिक रूप से वहां कोई भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं समझता हूं कि सरकार ने वहां एक अस्थायी औषधालय खोला था जो एक सप्ताह पश्चात् बन्द कर दिया गया। इसी प्रकार सरकार ने यह वचन दिया था कि वह कुछ राशन मुफ्त देगी। आज वहां खाद्य स्थिति बहुत विकट बनी हुई है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा उन्हें कम से कम एक अथवा दो महीने के लिये मुफ्त राशन देना चाहिये। वहां लोगों के पास काम नहीं है अतः यदि सरकार इस

---

* आधे घंटे की चर्चा।

** Half an hour Discussion

समय वहां सड़क निर्माण सम्बन्धी परियोजना का, जो लगभग 22 लाख रुपये की लागत खर्च पर मंजूर हुई पड़ी है, कार्य आरम्भ कर दें तो वह लोगों के लिये बहुत सहायक सिद्ध होगी। वहां 99 प्रतिशत लोग अति दयनीय दशा में हैं, इस प्रश्न पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना आवश्यक है। हम शरणार्थियों के पुनर्वास सम्बन्धी समस्या को हल करने का प्रयत्न कर रहे हैं,—यह हर्ष की बात है, किन्तु सरकार को और बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। दण्डकारण्य की भांति यह परियोजना भी उसी स्वरूप की है जिस पर लाखों रुपये व्यय किये जा चुके हैं। निर्धन कृषकों को परियोजना क्षेत्र से निकाला जा रहा है। यह सच है कि ये लोग वहां भूस्वामी नहीं हैं और यह सरकारी भूमि है तथापि परियोजना प्राधिकारियों को चाहिये कि वे पीड़ित लोगों के लिये पर्याप्त व्यवस्था करें क्योंकि सरकार ने इन में से बहुत से लोगों को अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के सिल-सिले में वहां भेजा था।

अन्त में, जहां तक केरल के कृषकों के पुनर्वास का सम्बन्ध है, मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह उन लोगों के पुनर्वास की एक स्थायी तथा बेहतर योजना मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर बनाए।

श्री मणियंगाडन (कोट्टयम) : क्या सरकार उन परिवारों को, जो कुछ मास पूर्व बालंजंगनम् में रहते थे और जिन्हें अब वहां से भेजापारा जाना है, और जिन्हे वहां—नई बस्ती में कोई भी भूभाग (प्लॉट्स) नहीं दिये गये हैं, कुछ जमीन देने के लिये कार्यवाह करेगी?

श्री शिंकरे (मरमागोवा) : मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह निकट भविष्य में कोई ऐसी राष्ट्रव्यापी नीति बनायेगी जिसके द्वारा उन सब लोगों के पुनर्**वास के लिए, जिन्हें** सब भावी परियोजनाओं के कारखानों की स्थापना करने के कारण अपने स्थानों से हटाये जाने की संभावना है, व्यवस्था की जायेगी; और उन भूस्वामियों को जिनकी भूमि भारत रक्षा नियमों अथवा अन्य नियमों के अन्तर्गत अर्जित करली गई है, दिये जाने वाले प्रतिकर के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय में प्रतिरक्षा संभरण मंत्री (श्री हाथी) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस संबंध में गत इतिहास की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, जैसा कि श्री वासुदेवन नायर ने कहा है कि यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे मानवीय दृष्टिकोण से देखा तथा समझा जाना चाहिये और न कि किसी तकनीकी अथवा कानूनी आधार पर। अतः हम इस प्रश्न पर मानवीय दृष्टिकोण से ही विचार करेंगे। इन परिवारों ने इस भूमि पर अवैध कब्जा कर रखा है और अब उन्हें इस भूमि को खाली करने के लिये कहा जा रहा है; जो कुछ भी करना संभव है—वह तो किया ही जाना चाहिये परन्तु इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि वे लोग इस भूमि के मालिक नहीं हैं, अतः उन्हें प्रतिकर देने का प्रश्न तो उठता ही नहीं।

सरकार ने इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त की हुई है और माननीय सदस्य स्वयं उसके एक सदस्य हैं। इस समिति के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा रही है और सरकार उसकी सिफारिशों पर विचार करेगी। जहां तक चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का सम्बन्ध है, हमने अब जो व्यवस्था की है वह यह है कि एक चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था की गई है जिन्हें यह निदेश दिये गये हैं कि वे इन क्षेत्रों में प्रतिदिन अथवा कम से कम एक दिन छोड़ कर जायें। लोगों को इन क्षेत्रों में चिकित्सा सम्बन्धी अब कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये क्योंकि वहां चिकित्सा सेवा तथा चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है।

जहां तक मुफ्त राशन देने का सम्बन्ध है, प्रारम्भ में यह स्वीकार किया गया था कि 25 रुपये अनुदान के रूप में दिये जायें। उन्होंने मुफ्त राशन के स्थान पर अतिरिक्त 50 रुपये की मांग की। परन्तु मुफ्त राशन के स्थान पर मूल अनुदान के अतिरिक्त 25 रुपये और दिये जाने की मंजूरी दी गई। इस प्रकार वह मांग भी पूरी कर दी गई है।

[श्री हाथी]

इन लोगों को रोजगार देने का भी प्रश्न है। मैं इस मामले में कोरे कानूनी तथा तकनीकी आधार पर कोई रवैया नहीं अपनाना चाहता और न ही इस बात को केवल यह कहकर अस्वीकार कर देना चाहता हूं कि वे लोग अनाधिकृत कब्जाधारी हैं। यदि हम उनकी सहायता कर सकते हैं तो हमें अवश्य करनी चाहिये। यदि इस क्षेत्र में नई सड़कें अथवा परियोजनायें आरम्भ की जा सकती हैं, तो मैं निश्चय ही केरल सरकार को इस क्षेत्र में कुछ कार्य चालू करने के लिए कहूंगा ताकि इन लोगों को रोजगार दिया जा सके। परन्तु मैं यह कहूंगा कि इसे एक दृष्टांत अथवा उदाहरण के रूप में नहीं माना जाना चाहिये क्योंकि आखिरकार उन्होंने इस भूमि पर अवैध रूप से ही कब्जा कर रखा है।

इन लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार अवश्य प्रयत्नशील रहेगी। एक और बात यह है कि इस क्षेत्र के लिये तीन कुओं की मंजूरी दी गई है। यदि तीन के स्थान पर और अधिक कुओं की आवश्यकता हो, तो मैं उनके लिये पांच कुओं की मंजूरी दिला दूंगा क्योंकि मानव दृष्टिकोण के आधार पर उन्हें ये सुविधायें मिलनी ही चाहियें।

(1) खाद्य स्थिति तथा (2) अनावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव—(जारी)

MOTIONS RE : (i) FOOD SITUATION AND (ii) SITUATION ARISING OUT OF DROUGHT CONDITIONS—*Contd.*

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : Mr. Deputy Speaker, Sir, We are discussing in the House the food situation and the situation arising out of drought in the country today. The State of Maharashtra is facing considerabe difficulties due to scarcity of water and there are difficulties in regard to drinking water also.

[श्री सोनावने पिठासीन हुए
SHRI SONAVANE *in the Chair*]

Some steps should have been taken to store water at the time of rainfall or rainy season for future use. But nothing has been done during the last seventeen years. Similarly import of foodgrains from U.S.A. has adversely affected our agricultural markets. Farmers are not being paid remunerative prices with the result that they have started growing cash crops. So Government should take some positive steps to prevent and tide over the recurrence of such situations arising out of drought in future.

I would like to request the Central Government and the Maharashtra Government to do something for the protection and preservation of cattle in the State. The price of cattle has gone down to a considerable extent and they are being slaughtered.

Secondly, efforts should be made by the Central Government to see that the supply of food grains in a larger quantity is moved to Maharashtra because the market prices of cereals in that State are considerably gone high.

It is a matter of regret that during the last 18 years, the Government has not paid as much attention to agriculture as it should have and the result was that agriculture has remained an un profitablebusiness. Therefore, no progress will be achieved unless the farmers are paid better remunerative prices and given all the incentives for the purpose. I may suggest that efforts should be made by the Govern-

ment to see that all the difficulties being experienced by the farmers in their daily life are removed. I would, therefore, urge upon the Government to give a serious thought to this matter and take such steps which may facilitate to tideover the situation.

The prices of cereals varies to high degree from state to state. There should be no such difference between one part of the country and the other. It is, therefore, necessary for the Government to revise its policy in this regard. It is clear from the various statistics that the shortage in foodgrains in our country is only five percent and we have to depend on imports to meet this shortage. It is a pity that we could not increase our production even by five per cent. All this shows that our basic policies are defective and are not in favour of the farmer of this country. It is, therefore, absolutely necessary for the Government to revise these policies.

In the last, I have this submission to make that the Government should give utmost priority to agriculture and see that the country becomes self sufficient in food in about two years. Mere statistics and paper work will yield no results unless there is proper preparation, execution and implementation of the plan.

सभापति महोदय : मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि प्रत्येक सदस्य 10 मिनट से अधिक समय न ले ताकि यथासंभव अधिकाधिक सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जा सके । यदि आवश्यकता हुई, और सभा की राय हो, तो सभा की बैठक नियत समय अर्थात् साढे पांच बजे बाद भी जारी रह सकती है ।

श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा (खम्मम) : खाद्य तथा कृषि मंत्री महोदय के वक्तव्य से स्वतः स्पष्ट है कि देश में खाद्य स्थिति बड़ी गंभीर है । यह स्थिति मनुष्य के प्रयत्नों की शिथिलता के फलस्वरूप नहीं अपितु दैवी-प्रकोप के कारण उत्पन्न हुई है । यह कहना गलत है कि राज्य सरकारें सहयोग नहीं दे रही हैं । तथ्य तो यह है कि वे इस समस्या को सुलझाने तथा हल करने में काफी ही नहीं अपितु अत्याधिक उत्साह तथा दिलचस्पी दिखा रहे हैं और काफी प्रयत्नशील रहे हैं । किन्तु प्रकृति ने हमारा साथ नहीं दिया है इसलिये खाद्यान्न-अभाव हुआ है । फालतू अनाज वाले राज्य भी आज यही कह रहे हैं कि वे भी अब कमी वाले राज्य बनने वाले हैं ।

चारे का भी अभाव हो गया है । ग्रामीण जनता अपने पशुओं को बेच रही है क्योंकि उनके पास चारा नहीं है ।

वास्तव में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये एक त्रि-सूत्रीय (three thronged) अभियान चलाना होगा । इसका आधार अधिक उत्पादन, न्यायोचित वितरण तथा उपभोग में स्वैच्छिक कटौती होनी चाहिये । इस कार्य के लिये सभी राजनैतिक दलों को अपेक्षित सहयोग देना भी आवश्यक है और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपना सम्मान बनाये रखने का यही एकमात्र तरीका है ।

हमें अमरीकी सहायता पर अधिक निर्भर नहीं रहना चाहिये हालांकि उन्होंने अब यह बात स्पष्ट कर दी है कि पी० एल० 480 का प्रयोग हमारे राजनैतिक विचारों को ढालने के लिये नहीं किया जायेगा तथापि हमें आत्म निर्भर होना आवश्यक है और हमें अपने कृषि उत्पादन की ओर अधिकाधिक ध्यान देना जरूरी है । हमारे देश में अब एक राष्ट्रीय भावना जागृत हो चुकी है कि हमें किसी प्रकार का राष्ट्रीय अपमान सहन करने की अपेक्षा भूखे रहना कहीं अधिक पसन्द है ।

Shri Ramanand Shastri (Ramasanchighat) : Mr. Chairman, Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to express my views on the food problem in the country today.

[Shri Ramanand Shastri]

On the very outset, I would like to say that the food problem in our country will not be solved unless our policy was radically changed.

There are a number of mills and factories having large areas of cultivable land which are lying unused. All such land should be brought under cultivation. Similarly, most of the railway land lying unused can also be used for agricultural production. There are peasant proprietors in our country who own thousands of acres of land which is lying uncultivated. If such land is given to poor and landless labourers and cultivators for cultivation, it will allow production to go up to a great extent. Mere speeches can yield no results unless a radical change in the basic policy is brought in.

The distribution machinery also contains various defects. There is a lot of corruption in the development blocks. Monies sanctioned for providing seeds, fertilisers etc. to the cultivators are misused by the B.D. Os and other staff.

I may suggest that the Government should come forward with a new Bill or it should amend the existing law, as the case may be, which may empower the Government to take steps to compel every cultivator to dig pits and prepare compost manure. At the same time Government should also give financial assistance to them for the purpose. Secondly, dung-gas plants may be installad in the villages which will give the farmers both the compost manure as well as the fuel for purposes of cooking.

Cooperative societies and Government officials concerned with the distribution of fertilisers sell out these things in black market and fictitious entries are made in relevant registers. All this is within the knowledge of Government but they do not take any action against corrupt officials. Corruption is increasing and the people themselves are as much to blame as Ministers and Government officials etc.

The Government should pay attention to compulsory digging of trenches for conversion of cowdung etc. into compost manure rather than importing fertilisers and this work should be entrusted to B.D.Os who appear to be doing nothing. Big farm should be given to petty agriculturist rather than city-dwellers following other vacations and they should be given all the necessary facilities. Only then food production would increase. With these words, I would request the hon. Minister to give a serious thought to what I have said so that the country might profit by it.

Shri Jagdev Singh Siddhanti (Jhajjar) : I would give small suggestion towards the solution of food crisis—first short term and then on long term basis.

As a short term measure, whole meal atta and rice and pulses should used by people without removing their outer covering. This would result in a saving of 10 to 15 per cent. Quick growing fruits and vegetables like bananas, sweat potatoes, potatoes, raddish, carrot and other green vegetables should be extensive cultivated. In stead of laying undue stress on poultry and fish keeping, 'Singharas' should be cultivated in pond which can be used both in raw as well as powder form as atta. Likewise coconut could also be used in many ways.

Lakes should be constructed by the side of canals and rivers so that these could be used as reaservoirs of water during rains and floods which could be used for irri-

gation. Country wells should be sunk along with tube-wells which could be sunk with profit where the earth is.

The farmers should be given encouragement. Emphasis should be laid on Gur rather than on sugar. The cultivation of tobacco should be put off for sometime. Fruit yielding trees should be sown on the banks of canals and by road side. Electricity and canal officials should be more sympathetic towards farmers. Further sub-division of small land holdings should be stopped forthwith. In village, propaganda should be done through the Deputy Commissioner in every village by beating of drums.

Shri A. P. Sharma (Buxar) : Today the nation is facing two urgent problems—Defence and food. Whereas we are satisfactorily tackling the first problem, we are floundering in respect of food and if we would continue to follow the same old policy we cannot expect to solve it even in the next decade. Irrigation, which is the first pre-requisite of food production, has continully been neglected by Government. Deficit states have been created, by the Government themselves. Whereas U.P. has been provided with 11,000 tube wells and Bihar has another, 5,000 there is none in Madras. If only 200 tube wells are sunk in that State, it could produce 35 to 40 lakh tons of excess foodgrains.

Irrigation is much more vital than fertilisers, therefore Government should first pay their attention towards this before they even think of giving fertilisers. Only would we be able to tide over the present crisis. Where as minor irrigation like tubewells etc, are under Agriculture Department, major irrigation is under irrigation Department. This entails delay and confusion. Irrigation being an integral part of agriculture, it should be under one department. Power should be supplied immediately after the installation of tube-wells.

Since Food problem is only next in importance to Defence, therefore it should engage the some attention as defence.

Shri Ramshekher Prasad Singh (Chhapra) : I very much doubt the veracity of Food Minister's statement regarding satisfactory food situation in Bihar and I would like to convey the same to the Prime Minister through you.

The zonal system is a stab in back of the spirit of nationalism. It should be done away with now when the whole nation is passing through the same critical food situation.

Under the rationing system, foodgrains would not be available for farmers have five acres or less of land in villages. This is not justified. Let every one in the country get equal food. On the other hand rice would be compulsorily procured from even those farmers who have three acres or even less of land. This is entirely unjustified. Let there be monopoly procurement for all items otherwise the Government should allow its trade through regular channels.

On one side the Government wants maximum efforts to produce more food and on the other the Planning Commission has asked the State Governments to enhance levy on water, power and land. These are incompatible. The Russian tractors now cost 4,000 rupees more as against Rs.6,000 previously. I need not

[Shri Ramshekher Prasad Singh]

repeat what Shri Sharma before me had said about the vital importance of irrigation and in this context I express regret that Gandak Irrigation scheme still hangs in the balance. It is the cheapest scheme with maximum benefit.

In conclusion, I would request that an Agriculture institute might be opened at Chhapra, the birth place of Dr. Rajendra Prasad, the first President of India and an announcement to this effect might be made tomorrow which is his birth day.

श्री केप्पन (मुवहूपुज़ा) : खेद है कि जवानों का महत्व समझने पर भी हम किसानों का महत्व नहीं समझ पाये हैं और उन्हें बलवान बनाने के लिये हमने कोई प्रयत्न नहीं किया है। हम भूल जाते हैं कि अन्न उत्पादन व्यय भी अन्य वस्तुओं के साथ साथ बढ़ता चला गया है उसके उत्पादों के मूल्य निर्धारण करते समय हम इस सत्य से आंखे फेर लेते हैं –यह खेदपूर्ण बात है। इसलिये उसका सामाजिक स्तर सुधारने और देश की समृद्धि में उसे भी भागीदार बनाने के हेतु हमें उसे लाभप्रद मूल्य देने होंगे। ऐसा करने पर ही उसमें आश्चर्यजनक परिवर्तन आयेगा और देश में खाद्य उत्पादन दुगना चौगुना हो जायेगा। जब कि सरकारी कर्मचारियों और संगठित कारखाना श्रमिक को अधिकाधिक सुविधायें उपलब्ध हैं वहां आपने––सरकार ने अथवा देश ने क्या विशेष सुविधायें प्रदान की हैं ? मेरा अनुरोध है कि फसलों का बीमा करने की योजना यहां तुरन्त लागू होनी चाहिये ताकि उसकी फसल नष्ट होने पर उसे कोई हानि न हो।

केरल में 'टेपियोका' और मछली के उत्पादन की बहुत संभावनायें हैं। इनका विकास होना चाहिये। थोड़ा सा धन खर्च करके इनका उत्पादन दुगना तिगुना हो सकता है। सरकार को इनकी संभावनाओं की ओर ध्यान देना चाहिये।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : The farmers as also our Party has raised the slogan "Give us water and we would give you Food". Today everywhere such voices are being raised. The Government should be prepared to meet the challenge before the country consequent of failure of monsoon. There should be a revolutionary programme with the Government for tube wells and sinking of small wells throughout the country. We have many a time suggested to the Railway Minister to bring large tracts of land, lying vacant by the side of railway lines in the country, under plough, but to no effect. The Government should now move into action in this regard.

The farmers had all along remained victims of indifference. They have been denied all the legitimate facilities, let alone encouragement, like dependable irrigation facilities, cheap agricultural implements, good seeds, manure and fertilisers.

Though I am not opposed to the suggestion regarding taking to meat-eating by the public but should be ensured that the meat supplied at certain hotels and eating houses is not stale and from sick animals. Undue emphasis should also not be laid on Fisheries and Poultry Farmings instead, effort should be made to grow fruit bearing trees on all roadsides. We should not go about abroad with a begging bowl in our hand. It would be much better if we remain hungry and maintain our self-respect in stead. While we talk of eating less and thus saving foodgrains but have we ever thought of the quantity of food wasted in parties, other occasions and places. Proper arrangements should be made to make it convenient for Government employees and factory workers to get their ration so that they might

not put to any hardship or they might not waste time at which they should have attended to their work. The zonal system of distribution is also a big hurdle in the solution of food problem. It should be scrapped. This system has resulted in smuggling of foodgrains within the country and black marketing and other anti-social activities.

Uncultivated land, wherever it might be, should be brought under plough and standing crops should not be allowed to be destroyed under any circumstances as was done in Madhya Pradesh recently.

There should be uniformity in legislation in all states concerning agriculture.

श्री कृ० ल० मोरे (हुतकंगले) : सभापति महोदय . . .

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 3 दिसम्बर, 1965/12 अग्रहायण, 1887 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 3, 1965/ *Agrahayana* 12, 1887 (*Saka*).